कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 64 अंक : 12 पृष्ठ : 56 अक्तूबर 2018 मूल्य : ₹ 22

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग

प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान की शुरुआत की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर, 2018 को स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के विविध लोगों के साथ बातचीत करते हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में राष्ट्रव्यापी भागीदारी को बढ़ावा देने एवं बापू के एक स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए 15 सितंबर, 2018 को 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान आरंभ किया। 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का उद्देश्य स्वच्छता की दिशा में अधिक सार्वजनिक भागीदारी सृजित करना है। इसका आयोजन 02 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ की तैयारी के सिलसिले में किया गया जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोहों के आरंभ को भी चिन्हित करता है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से इस अभियान का हिस्सा बनने और एक 'स्वच्छ भारत' के निर्माण के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने की अपील की। उन्होंने पूरे देश के 17 स्थानों के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ वीडियो कांफ्रेस के द्वारा बातचीत भी की। बातचीत में प्रधानमंत्री ने कुछ प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। इसमें शामिल था– मात्र चार वर्षों के भीतर ही किस प्रकार भारत के 450 जिले खुले में शौचालय से मुक्त (ओडीएफ) बन गए। इसी प्रकार, 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने इस अवधि के दौरान खुद को ओडीएफ घोषित किया।

असम के डिब्रूगढ़ के बच्चों ने प्रधानमंत्री को अपने स्कूल एवं क्षेत्र को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपने योगदान के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा सामाजिक बदलाव के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बच्चों ने स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाया है, वह सराहनीय है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने वाले महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों में अभिनेता अमिताभ बच्चन, सद्गुरु जगगी वासुदेव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उद्योगपति रतन टाटा के अलावा आईटीबीपी के जवान, महिला स्वच्छताग्राही और वरिष्ठ मीडियाकर्मी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि निजी क्षेत्र स्वच्छ भारत के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत किसी भी सरकार या प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश का अभियान है। उन्होंने लोगों से 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के लिए काम करने का आह्वान किया।

वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आंदोलन शुरू करने के कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री ने सेंट्रल दिल्ली में रानी झांसी रोड पर बाबासाहेब अम्बेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को पुष्पांजलि अर्पित की और सफाई अभियान में भाग लिया। ❑

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता ही सेवा अभियान के अवसर पर नई दिल्ली में श्रमदान करते हुए।

उपकार प्रकाशन की अद्‌भुत पुस्तकें

Code 1470
मूल्य : 175/-

लेखकद्वय : जाँगड़े एवं दीक्षित

Code 520
मूल्य : 230/-

लेखकद्वय : डॉ. लाल एवं जैन

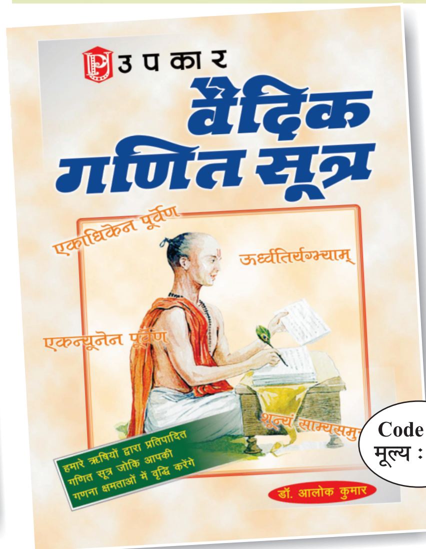

Code 540
मूल्य : 45/-

लेखक : डॉ. आलोक कुमार

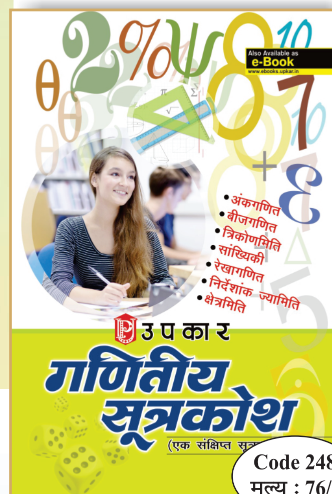

Code 248
मूल्य : 76/-

संकलनकर्ता : जे. पी. दीक्षित

English editions are also available

शीघ्रता एवं 'शॉर्टकट' विधियाँ

प्रतियोगी परीक्षाओं में साधारणतया बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रश्न हल कराये जाते हैं. इसके लिए आपको द्रुतगामी विधियों की आवश्यकता होती है जो आसानी से समझी जा सकें, याद रखी जा सकें तथा जिन्हें लगाकर शीघ्रता से सही उत्तर निकाला जा सके. प्रस्तुत पुस्तकें एकमात्र रूप से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार की गई हैं.

अन्य उपयोगी पुस्तक	कोड	मूल्य
• उपकार आधुनिक सामान्य अंकगणित	1171	220.00

आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति

पुस्तकों में विषय को ऐसे सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है भले ही आप आर्ट, साइंस अथवा कॉमर्स के विद्यार्थी क्यों न हों, अंकगणित न जानने वाले प्रत्याशी भी प्रश्नों के हलों को आसानी से समझ लेंगे. सूत्रों के सीधे उपयोग करके प्रश्नों को हल करने की विधि सभी के लिए लाभदायी होगी.

बड़ी संख्या में हल उदाहरण

पुस्तक के प्रत्येक स्तर में 'स्पर्श करो और भागो' (Touch and Run) वाली नीति का पूर्णतः परित्याग किया गया है तथा इसमें बृहद संख्या में हल किये हुए उदाहरण दिए गए हैं. अनुभवी अध्यापकों, विषय विशेषज्ञों, शोध विद्वानों तथा स्वयं हमारे पाठकों के बहुमूल्य सुझावों एवं योगदानों सभी ने मिलकर इन पुस्तकों को 'मास्टरपीस' बनाया है.

आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ये 'वंडर बुक' अपरिहार्य हैं.

उपकार प्रकाशन
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in
• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
1 अक्तूबर, 2018 को प्रकाशित एवं 5-6 अक्तूबर, 2018 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS... | दृष्टि The Vision | Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

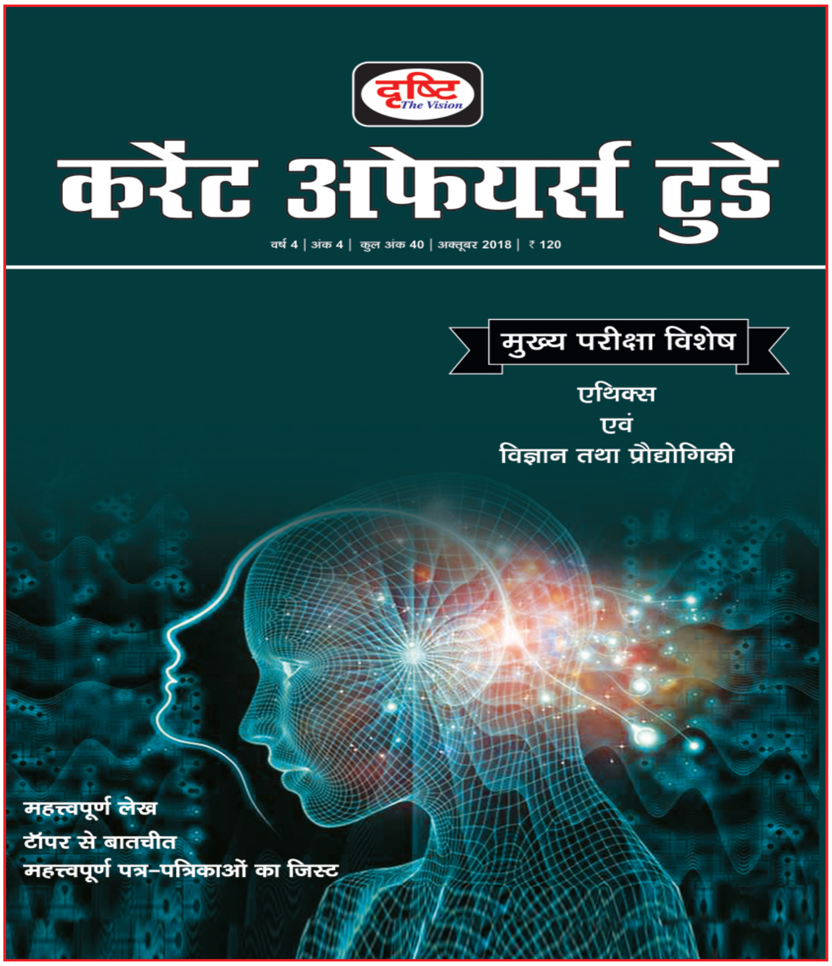

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर केंद्रित सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों के रिवीज़न हेतु 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिंदू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा पर केंद्रित विशेष खंड।
- ☑ टॉपर्स इंटरव्यू।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइटः www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

प्रकाशक और मुद्रकः डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादकः ललिता खुराना

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 64★ मासिक अंक : 12★ पृष्ठ : 56 ★ आश्विन–कार्तिक 1940★ अक्तूबर 2018

इस अंक में

	खादी और ग्रामोद्योग आयोग की नई पहल	विनय कुमार सक्सेना	5
	खादी और ग्रामीण पुनर्निर्माण : गांधीवादी दृष्टिकोण	डॉ. रवीन्द्र कुमार	9
	अर्थशास्त्री महात्मा गांधी का खादी दर्शन	कुमार प्रशांत	12
	एमएसएमई : भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास का आधारस्तंभ	डॉ. नीलेश कुमार तिवारी	15
	समावेशी विकास के लिए एमएसएमई को बढ़ावा	डॉ. नुने श्रीनिवास राव , डॉ. ई. विजया	20
	हथकरघा उद्योग में रोजगार की अपार क्षमता	प्रमोद जोशी	24
	सबकी योजना, सबका विकास	नरेंद्र सिंह तोमर	28
	नई प्रौद्योगिकी से उद्योगों की बढ़ती संभावनाएं	बालेन्दु शर्मा दाधीच	32
	सूक्ष्म और लघु उद्योगों की नवाचार क्षमता : चुनौतियां और अवसर	शाश्वत सिंह, हिमानी सचदेवा	35
	एमएसएमई के विकास के लिए बाजार लिंक जरूरी	हरिकिशन शर्मा	38
	लघु और कुटीर उद्योग : वर्तमान और भविष्य	नितिन प्रधान	40
	एमएसएमई हेतु बैंकों की ऋण योजनाओं का आकलन	मंजुला वाधवा	43
	पर्यावरण हितैषी कॉयर उद्योग को प्रोत्साहन	सन्नी कुमार	47
	स्वच्छता अभियान से बदल रही हैं जिंदगियां	संजय श्रीवास्तव	51
	प्रकाशन विभाग ने दिल्ली पुस्तक मेला, 2018 में भाग लिया	---	54

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
शिशिर कुमार दत्ता
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

भारत जैसे देश के आर्थिक विकास और रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र के साथ–साथ कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो वह है 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग'। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) ही वह माध्यम है जिसमें कम पूंजी निवेश और क्षेत्रीय–स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से उद्यम शुरू किया जा सकता है तथा स्वरोजगार और रोजगार दोनों के लिए अवसरों का निर्माण हो सकता है।

एमएसएमई क्षेत्र पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि यह ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद कर रहे हैं जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है और राष्ट्रीय आय और धन का अधिक समान वितरण आश्वस्त होता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में काफी योगदान देता है।

एनएसएस की 73वें राउंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की इकाईयों की संख्या लगभग 633.88 लाख है। हालांकि इस क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने की राह में कई चुनौतियां भी हैं जैसे निवेश हेतु आवश्यक पूंजी का अभाव, उन्नत तकनीकी का अभाव, कच्चे माल की समस्या, प्रशिक्षण का अभाव, कौशल या हुनर की कमी, उत्पादों के विपणन की समस्या आदि।

वर्तमान सरकार द्वारा इन चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से कई प्रकार के योजनागत कदम उठाए गए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले हैं। खुद के छोटे–मोटे उद्यम को शुरू करने में पूंजी बाधा न बने, इसके लिए 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी मदद से लोगों को लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आवश्यक पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है इन योजनाओं को अधिक बेहतर तकनीकी से लैस कर प्रभावी बनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी नई परियोजना या इकाई की स्थापना के लिए कुल परियोजना लागत पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज की स्थापना हुई, इसके अंतर्गत बिना किसी गारंटी या संपार्श्विक (कोलेटरल) के बिना के 2 करोड़ तक की ऋण राशि मुहैया हो सकती है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत किसी भी नए या पहले से स्थापित लघु और सूक्ष्म उद्यमों के द्वारा तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से किसी भी संस्थागत ऋण के ऊपर 15 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपये तक) की कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत 2014 से लेकर 2018 तक 20,385 लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को 1169.03 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है।

इन उद्यमों से लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से तथा इनमें नवाचार को बढ़ावा देने, लोगों को प्रशिक्षित करने और इससे संबंधित कौशल विकास के कार्यों में भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 'एस्पायर' योजना का उद्देश्य नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिसे मार्च 2015 में प्रारंभ किया गया। असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट योजना के तहत उद्यमिता और कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण क्षमता के विकास को मजबूत करने के लिए सहायता दी जाती है जिसमें आधारभूत संरचना का निर्माण और मानव संसाधन दोनों शामिल हैं। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को नए बाजार के अवसर तलाशने तथा उनकी विपणन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मंत्रालय की मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम भी है जिसके द्वारा इन्हें अपने उत्पादों को विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मेले या प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करने के अवसर दिए जाते हैं।

इस तरह, सरकार की विभिन्न योजनाओं के सम्मिलित परिणामस्वरूप कहीं न कहीं एमएसएमई उद्यमों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है और नए उद्यमियों को यह आकर्षित भी कर रहा है। स्टार्टअप, स्टैंडअप, मेक इन इंडिया, कौशल विकास डिजिटल इंडिया, क्रेडिट गारंटी फंड जैसी योजनाओं ने इन उद्यमों के विकास एवं संवर्धन की नई राहें खोली हैं। साथ ही, सरकार ने परंपरागत उद्योगों के उत्थान हेतु 'स्फूर्ति' योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को कलस्टर में संगठित कर उनके दीर्घकालीन स्थायित्व, निरंतर रोजगार, नवाचार और उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

संक्षेप में, एमएसएमई, जो उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन के मामले में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को विकसित करने हेतु सरकार ने विगत कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें ऋण की उपलब्धता, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता में सुधार और मार्केटिंग हेतु योजनाएं शामिल हैं जिनसे इस क्षेत्र में नए अवसर खुल रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा एनालिटिक्स के साथ–साथ इंडस्ट्रीयल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की व्यापक उपयोगिता भारत में एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा एवं दशा देने में सहायक होगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की नई पहल

–विनय कुमार सक्सेना

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का मुख्य लक्ष्य ऐसे कारीगरों का कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास है जोकि खादी और ग्रामीण उद्योगों पर निर्भर हैं। इन कारीगरों को आय और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना केवीआईसी का प्राथमिक लक्ष्य है। साथ ही, आयोग खादी ब्रांड को मजबूत कर इसके व्यापार के नए क्षितिज तलाश रहा है।

हाथ से काता और बुना प्राकृतिक कपड़ा (खादी के नाम से मशहूर) अनंतकाल से अर्थात् सभ्यता के आरंभ से ही भारत के साथ जुड़ा हुआ है। आज़ादी से पहले खादी उत्पादन के आंदोलन ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में गति पकड़ी और इसका उद्देश्य भारतीयों को विदेशी वस्त्र पहनने के प्रति हतोत्साहित करना था। आज़ादी के बाद खादी राजनीतिक वर्ग की औपचारिक पोशाक बनकर रह गई और उसे पहनने वालों के साथ खादी ने भी अपनी प्रतीकात्मक ताकत गंवा दी। इसका आकर्षण महज ऊपरी ही रह गया। गांधी के दिनों में खादी आयातित कपड़े के खिलाफ स्वदेशी का हथियार था। आज़ादी के बाद भी उसकी कम अहमियत नहीं है। गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया क्योंकि वह हाथ से काते कपड़े को भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का केंद्रबिंदु मानते थे। दूरदराज के जिन गांवों में वर्षा पर निर्भर खेती के अलावा रोजगार का कोई अन्य अवसर ही नहीं है, वहां खादी की कताई और उसी तरह की अन्य आर्थिक गतिविधियां लोगों को आजीविका का साधन दे सकती हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खादी को एक बार फिर लोकप्रिय बनाने का बीड़ा स्वयं उठाया है।

खादी की प्रासंगिकता और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर होने वाले भारी पलायन को कम करने में उसकी भूमिका को गंभीरता से समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतीकात्मक वस्त्र को राष्ट्र के आर्थिक कायाकल्प का माध्यम बनाने का आह्वान किया। 'राष्ट्रीयता' के प्रदर्शन का इससे बेहतर माध्यम और क्या हो सकता है? इस क्षेत्र को जबर्दस्त बढ़ावा मिलने का बड़ा असर होगा और कताई, बुनाई, धुनाई, सफाई, रंगाई, सिलाई तथा तमाम अन्य गतिविधियों में लगे लाखों खादी कारीगरों को सीधे फायदा होगा। हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या चुनते हैं। खाना हो, कपड़ा हो या खपत वाले दूसरे उत्पाद हो, स्थानीय–स्तर पर बने उत्पादों का ही इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से बहुत समझदारी की बात है। प्रधानमंत्री का जोर इसी बात पर यानी 'राष्ट्रीयता के भाव के साथ आर्थिक सहारे' पर है। खादी पर उनके जोर से इसकी मांग कई गुना बढ़ गई है। पहले उन्होंने 'खादी फॉर फैशन' के नारे के साथ जनसामान्य से खादी अपनाने का आह्वान किया, जिससे युवाओं में इसका आकर्षण कई गुना बढ़ गया। और उसके बाद उन्होंने 'आर्थिक कायापलट के लिए खादी' की बात की, जिसने खादी के लिए और भी ऊंची वृद्धि का रास्ता तय कर दिया।

जैसाकि गांधी जी मानते थे, खादी आत्मनिर्भरता का माध्यम या राष्ट्रीयता का प्रतीक भर नहीं है; यह राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका भी निभा सकती है। लेकिन एक के बाद एक सरकारों में नजरिए और ध्यान की कमी के कारण यह कई वर्ष तक वृद्धि और रोजगार सृजन के मामले में घोंघे की चाल से ज्यादा तेज नहीं चल पाई। अचंभे की बात है कि आजादी के बाद से 2014 तक राष्ट्रपिता के इस दुलारे क्षेत्र की वृद्धि दो अंकों तक भी नहीं पहुंच सकी और 65 वर्ष के दौरान सबसे तेज वृद्धि दर 8 प्रतिशत ही थी। निसंदेह प्रधानमंत्री की परिकल्पना के कारण ही इस अनछुए क्षेत्र ने तेजी से वृद्धि की। वित्तवर्ष 2017–18 में खादी की बिक्री 2509 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो 2016–17 के 2007 करोड़ रुपये की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक थी।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 2014 के बाद सफलता की कई कहानियां लिखी हैं। एक नजर डालते हैंः खादी की कुल औसत बिक्री 2004 से 2014 के बीच 914.07 करोड़ रुपये थी, जो उसके तीन वर्ष बाद यानी 2015 से 2018 के बीच उछलकर 1828.30 करोड़ रुपये यानी 100 प्रतिशत अधिक हो गई। इसी तरह 2015 के बाद करीब तीन वर्ष में 391 नई खादी संस्थाएं स्थापित हुईं, जबकि 2004 से 2014 के बीच 10 वर्ष में केवल 110 नई खादी संस्थाओं की बुनियाद रखी गई थी। खादी उद्योगों ने भी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। खादी की विशेषता को योग से जोड़ने का नतीजा है कि 2015 के बाद 3.41 करोड़ रुपये की 'खादी योग किट' बेची जा चुकी है, जबकि उससे पहले ऐसी एक भी किट नहीं बेची गई थी। इतना ही नहीं क्षतिग्रस्त हुए माल की बिक्री से 2014 के पहले एक भी पाई नहीं मिली थी, लेकिन 2015 के बाद उससे 2 करोड़ रुपये से अधिक हासिल हो गए। दूसरी ओर 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का औसत निर्यात केवल 87.77 करोड़ रुपये था। लेकिन जैसे ही सरकार ने इसे आर्थिक कायाकल्प का साधन मानना आरंभ किया, इसमें गजब की तेजी आ गई। 2015 से जून, 2018 तक खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों का औसत निर्यात बढ़कर 2,100 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया यानी 133.28 प्रतिशत बढ़ गया।

चूंकि चरखा खादी का वास्तविक प्रतीक है, इसलिए केवीआईसी ने इसे दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर तक रोजगार का साधन बनाने का फैसला किया। केवीआईसी ने 2015 से जून, 2018 के बीच लगभग 32,000 चरखे और 6,000 लूम बांटे हैं। अचरज की बात है कि 2004 से 2014 के बीच यह आंकड़ा शून्य था।

जमे–जमाए कपड़ा बाजार में पैठ बनाने के लिए केवीआईसी ने मार्केटिंग की नई और आक्रामक नीतियां अपनाने का फैसला किया। इसके लिए केवीआईसी ने रेमंड्स, आदित्य बिड़ला फैशन रिटेल, अरविंद मिल्स जैसे कई कपड़ा दिग्गजों को न्यौता दिया ताकि वे नई और बाजार के बेहद अनुकूल डिजाइन वाले भारत के इस प्रतीकात्मक कपड़े की मार्केटिंग के लिए केवीआईसी के साथ हाथ मिला लें। सरकारी संस्था होने के कारण केवीआईसी के सामने हमेशा रकम की किल्लत रही है, जिससे यह मॉल और महंगे इलाकों जैसे आकर्षक बाजारों में विस्तार नहीं कर पाया है। उसके लिए केवीआईसी ने 'खादी कॉर्नर' नाम की नई जुगत लगाई है, जिसमें बड़े मॉल और महंगे बाजारों तक पहुंचने का नया उपाय निकाला है, जिसमें बड़े रिटेल स्टोरों के भीतर थोड़ी–सी जगह खादी के लिए ले ली जाती है। केवीआईसी ने ग्लोबस, बिग बाजार, कॉटन बाजार आदि के साथ समझौते किए हैं और मेगा मॉल आदि के भीतर उनके शोरूम में खादी कॉर्नर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे खादी को चाहने वालों को नए अवतार में यह कपड़ा मिल रहा है। इससे खादी उपभोक्ताओं की यह शिकायत भी दूर हुई कि कई शहरों में खादी की दुकानें ही नहीं हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग पिरामिड तैयार करने वाले कारीगरों का कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास केवीआईसी की मुख्य चिंता थी। खादी ब्रांड को मजबूत करने एवं कारोबारी अवसर बढ़ाने के साथ ही उन्हें आमदनी तथा रोजगार के बेहतर और व्यापक मौके मुहैया कराना प्राथमिक लक्ष्य है। दिलचस्प है कि खादी के इतिहास में 2014 से पहले कभी एक रुपये प्रति लच्छे से ज्यादा पारिश्रमिक नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान सरकार के अंतर्गत यह दो बार बढ़ा है और हर बार 1.50 रुपये प्रति लच्छे से ज्यादा इजाफा हुआ है यानी जुलाई, 2016 में 4 रुपये से बढ़कर 5.50 रुपये प्रति लच्छा (37.5 प्रतिशत वृद्धि) और 15 अगस्त, 2018 से 5.50 रुपये के बजाय 7.50 रुपये (यानी 36.36 प्रतिशत वृद्धि) प्रति लच्छा। इस तरह एक दिन में कम से कम 202 लच्छे कातने वाले कारीगर को अब औसतन 202 रुपये प्रतिदिन मिलने लगेंगे।

2015 के बाद केवीआईसी ने कई बंद और निष्क्रिय खादी संस्थाओं को पुनर्जीवित भी किया। सेवापुरी को ही देखिएः महात्मा गांधी के निर्देशन में कुछ गांधीवादियों ने खादी को बढ़ावा देने और बुनकरों को आजीविका मुहैया कराने के लिए 5 नवंबर, 1946 को इस आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी कुछ समय यहां रहे थे और उन दिनों 600 लोग इस केंद्र में काम करते थे। लेकिन वित्तीय समस्याओं और समुचित प्रबंधन की कमी के कारण 1990 में यह केंद्र बंद हो गया और खादी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाला यह गौरवपूर्ण केंद्र उसके बाद से उपेक्षा का जीता–जागता प्रमाण बन गया।

26 साल तक जीर्ण–शीर्ण रहने के कारण यह जंगल में तब्दील हो गया और ज्यादातर ढांचों पर धूल जम गई। केवीआईसी ने सेवा दिवस के मौके पर पिछले साल 17 सितंबर को इसे फिर खोल दिया। तीन महीने के भीतर ही यह आश्रम उस क्षेत्र के 800 से अधिक लोगों को रोजगार देने लगा था। केवीआईसी ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की मदद ली और यहां खादी गतिविधियां शुरू करने के लिए उसके सीएसआर कोष का

इस्तेमाल किया। आरईसी ने इस परियोजना के लिए 5.50 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए। खादी गतिविधियों के लिए सीएसआर कोष के इस्तेमाल का यह पहला मौका है। इसी तरह केवीआईसी ने मैसूर क्षेत्र में 14 शांत गांवों के कारीगरों के लिए 91 वर्ष पुरानी बंदनवालू खादी संस्था को एक बार फिर खोल दिया। यह संस्था 1993 में जातीय हिंसा के बाद से ही बंद थी। खादी को आत्मनिर्भरता का जरिया बनाने के महात्मा गांधी के आह्वान पर इस क्षेत्र की चार दलित महिलाओं द्वारा 1926 में शुरू किए गए इस केंद्र पर गांधी जी का भी ध्यान गया था और 1927 में वह इस केंद्र में आए तथा ठहरे थे। इस केंद्र के ऐतिहासिक महत्व और आजीविका का साधन गंवा चुके कारीगर परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केवीआईसी ने इस गांधीवादी खादी केंद्र को प्राथमिकता देने का फैसला किया। वहां नष्ट हो चुके वर्कशेड फिर तैयार किए गए और मधुमक्खी पालन गतिविधियां शुरू करने के साथ ही 100 चरखे तथा 20 लूम भी लगाए गए।

भ्रष्टाचार दूर करने में लगे केवीआईसी को पता चला कि तकरीबन 11.60 लाख सब्सिडी (विपणन विकास सहायता यानी एमडीए) प्राप्त हो रही है और पिछले 10 साल से आंकड़ा जस का तस है। इसमें से सात लाख फर्जी लाभार्थी निकले। 2016 में असली खादी कारीगरों की सब्सिडी आधार के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजनी शुरू की गई और केवीआईसी को उन फर्जी कारीगरों का पता चल गया, जो कारीगर होने का बहाना कर रहे थे। उन्हें हटाने से सरकारी खजाने के 153 करोड़ रुपये बच गए।

केवीआईसी के इतिहास में पहले कभी नहीं सोचा गया था कि चरखों, लूम और अन्य खादी गतिविधियों में जन सहभागिता की कोई गुंजाइश है। लगभग चार वर्ष पहले केवीआईसी ने 'सहयोग' नाम का एक आजीविका दान कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें उसने व्यक्तियों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा कंपनियों से कारीगरों विशेषकर महिलाओं को चरखे प्रदान कराने के लिए योगदान करने का अनुरोध किया। उसे शानदार प्रतिक्रिया मिली और इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत योगदान भी देखा गया। केवीआईसी सार्वजनिक उपक्रमों से संपर्क कर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए कह रहा है ताकि उसकी सीएसआर की राशि का इस्तेमाल खादी कारीगरों तथा खादी संस्थाओं के सशक्तीकरण की गतिविधियों में किया जा सके। केवीआईसी ने पहली बार अपने सेवापुरी आश्रम की विरासत को दोबारा जीवित करने के लिए आरईसी से मदद ली और उसे 5.5 करोड़ रुपये मिले। रोचक बात है कि केवीआईसी के इतिहास में सीएसआर से मदद का यह पहला मौका था। केवीआईसी को अभी तक ओएनजीसी, आईटीपीओ, आदित्य बिड़ला समूह, जेके सीमेंट, जीएमआर, एनसीसीएल, आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसी विभिन्न कंपनियों से 8 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान मिल चुका है।

केवीआईसी ने खादी की बहुआयामी वृद्धि के रास्ते तलाशना भी शुरू किया। केवीआईसी ने पहली बार विदेश में 10 भारतीय उच्चायोगों तथा दूतावासों में खादी प्रदर्शनियां आयोजित कीं, जिनमें खादी का उम्दा किस्म का कपड़ा, रेडीमेड परिधान तथा ग्रामोद्योगों का प्रदर्शन किया गया। पहली बार किसी दूसरे देश में राष्ट्रदिवस के आयोजन में 'खादी' को मुख्य विषय बनाया गया। इस वर्ष 13 जुलाई को मोंटेनेग्रो के राष्ट्रीय दिवस में 50 से अधिक राजनयिक उपस्थित थे और वहां 'खादी' ही विषय वस्तु थी। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रेलगाड़ी से बाहर धकेले जाने के 125 वर्ष पूरे होने के मौके पर 7 जून, 2018 को सेंट पीटरमारिट्जबर्ग में ट्रेन को भारत की पहचान बन चुके इसी कपड़े में लपेटा गया था।

इसी तरह नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया के दूतावासों में खादी फैशन शो आयोजित किए गए और बाद में जोहानिसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) के सैंडटन कन्वेंशन सेंटर में 30 अप्रैल, 2018 को मशहूर फैशन डिजाइनर गैविन राजा ने 20 मिनट के टेक्सटाइल कार्यक्रम को कोरियोग्राफ किया। इसका उद्देश्य खादी को आधुनिक तथा फैशनेबल अवतार में दिखाना था। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन उर्फ बूबू के शताब्दी वर्ष आयोजन के दौरान युगांडा में भारतीय उच्चायोग ने युगांडा गणराज्य के साथ मिलकर गांधी चरखे का अनावरण किया। केवीआईसी से उपहार में मिले इस चरखे का अनावरण 2 अक्टूबर, 2017 को युगांडा के जिंजा में गांधी हेरिटेज साइट पर किया गया। इसी दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। चरखे के विदेशी धरती पर जाने का यह पहला प्रमाण था।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना

भारत सरकार की यह एक प्रमुख योजना है, जिसके लिए केवीआईसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। पिछले चार वर्ष

में इस योजना के जरिए केवीआईसी ने देश भर में 1,93,818 छोटी और मझोली परियोजनाएं स्थापित की हैं तथा 4,736 करोड़ रुपये की मार्जिन राशि का वितरण किया है। पिछले चार साल में इन परियोजनाओं के माध्यम से केवीआईसी ने 14,75,888 प्रत्यक्ष रोजगार तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के क्रियान्वयन में केवीआईसी की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने इसका बजट पिछले वर्ष के 1,100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 1,800 करोड़ रुपये कर दिया है।

13 दिसंबर, 2016 को गुजरात के बनासकांठा में एक डेयरी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को श्वेतक्रांति के बाद मीठी क्रांति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के आह्वान को मिशन बनाकर केवीआईसी ने जुलाई, 2017 में 6 करोड़ रुपये के बजट के साथ मिनी 'हनी मिशन' कार्यक्रम शुरू किया। आज तक केवीआईसी ने देशभर के किसानों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों तथा बेरोजगार युवकों को मधुमक्खियों के लगभग 29,000 डिब्बे बांटे हैं। इनमें से 2,300 डिब्बे भारतीय सेना के सहयोग से जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में बांटे गए हैं, जिससे एक ही दिन में मधुमक्खी के सबसे अधिक डिब्बों के वितरण का विश्व रिकॉर्ड बन गया। उससे पहले केवीआईसी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार रोकने तथा पशु–पक्षियों को बनाए रखने के लिए अनूठा तरीका निकाला। सबसे पहले उसने असम वन विभाग के साथ मिलकर नया प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला, जिसमें काजीरंगा वन क्षेत्र के कार्बी–आंगलोंग जिले में सिलिमखोवा गांव के ग्रामीण कारीगरों को 25 चरखे, पांच लूम तथा अन्य उपकरण दिए गए। उसके बाद 20 मई, 2018 को यानी विश्व मधुमक्खी दिवस पर केवीआईसी ने काजीरंगा में मिशिंग असमिया आदिवासी लोगों के बीच मधुमक्खी के 1,000 डिब्बे बांटे ताकि उनका जीवन पटरी पर लौटे और उनका भविष्य सुरक्षित हो। अंत में केवीआईसी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बाघों की बहुतायत वाले बाली द्वीप में बाघों से पीड़ित महिलाओं (स्थानीय भाषा में बाघ विधवा) को 75 चरखे देने तथा ऐसे 50 स्थानीय परिवारों को मधुमक्खी के 500 डिब्बे देने का फैसला किया। केवीआईसी ने 30 जुलाई, 2018 से 'बाघ पीड़ित खादी कताई केंद्र' के नाम से कताई तथा मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया है। परिणामस्वरूप ग्रामीणों को उन्हीं के गांवों में कृषि तथा खादी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में और उन्हें परिवारों के लिए रोटी कमाने की खातिर शहद इकट्ठा करने तथा मछली पकड़ने के लिए सुंदरवन के गहरे पानी में जाने से रोकने की दिशा में यह केवीआईसी का बड़ा कदम होगा। इससे ग्रामीण अपने जीवन को खतरे में डालने तथा बाघों, मगरमच्छों एवं जहरीले सांपों का शिकार होने से बच जाएंगे।

मिनी हनी मिशन के सफल क्रियान्वयन के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018–19 में 49 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिसकी मदद से इस वर्ष दिसंबर तक मधुमक्खी के 1.25 लाख डिब्बे बांटने तथा 12,500 परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार देने की केवीआईसी की योजना है। मधुमक्खी पालन आंदोलन से ग्रामीण एवं जनजातीय परिवारों को प्रति व्यक्ति सालाना 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। उन्हें नियमित आय प्रदान करने के अलावा हनी मिशन से संकर परागण (क्रॉस पॉलिनेशन) के जरिए उनके गांवों और आसपास के इलाकों में फसल उत्पादन में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि भी होगी।

(लेखक खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष हैं।)
ई–मेल : chairmankvic2015@gmail.com

खादी और ग्रामीण पुनर्निर्माण: गांधीवादी दृष्टिकोण

–डॉ. रवीन्द्र कुमार

"खादी एक ओर दीन जन के सम्मान के साथ रोजगार जुटाने का अच्छा साधन है, तो दूसरी ओर यह अहिंसक साधनों द्वारा स्वराज्य–प्राप्ति का अतिरिक्त तथा अति मूल्यवान मार्ग भी है।"

–महात्मा गांधी

9 सितंबर, 1946 को हरिजन में प्रकट महात्मा गांधी के उक्त विचार खादी और उसके मूल में रहने वाले दर्शन की महत्ता को सामने लाते हैं। साथ ही, खादी दर्शन के माध्यम से एक बड़ी सीमा तक ग्रामीण पुनरुद्धार की उनकी परिकल्पना को, वृहद् अर्थों में हिंदुस्तान के पुनर्निर्माण–आत्मनिर्भरता, विकास और समृद्धि की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं।

एक अन्य अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त विचार हजारों वर्षों से एकता की प्रतीक व माध्यम रही हस्तनिर्मित खादी –इसके मूल में रहने वाले दर्शन द्वारा भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना में इसकी भूमिका को प्रकट करते हैं। इसके माध्यम से कोई भी सहजता के साथ खादी–दर्शन से जुड़े मानव एकता के पहलू को भी समझ सकता है। मानव जीवन के तीन अन्य अति महत्वपूर्ण पहलू, स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार इस समानता से आवश्यक रूप में जुड़े हुए हैं। यह अंततः गांधीजी के रचनात्मक कार्यों के बल पर स्वराज्य–प्राप्ति के सर्वकालिक और अद्वितीय वैचारिक दृष्टिकोण का खुलासा करता है। सर्वोदय–सबका उत्थान इसके केंद्र में है। यह इसकी आत्मा है। यह, निस्संदेह, किसी भी प्रकार के जाति–वर्ग, रंग, समुदाय (सामाजिक अथवा धार्मिक), लिंग या आर्थिक स्थिति–आधारित भेदभाव के बिना सबके उत्थान और समृद्धि को, अर्थात् सच्चे मानवतावाद को समर्पित है। स्वयं महात्मा गांधी के शब्दों में: "मेरे विचार में खादी हिंदुस्तान की समस्त जनता की एकता की, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की प्रतीक है, और इसलिए (यह अंततः) भारत की वेशभूषा है... जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उनके (न्याय संगत और समुचित) वितरण का विकेंद्रीयकरण इसकी मूल भावना है। (रचनात्मक कार्यक्रम, अहमदाबाद, 1948 से उद्धृत)

भारत गांवों का देश है। वर्ष 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत भाग, अर्थात् 83 करोड़ से भी अधिक लोग 6,49,481 ग्रामों में निवास करते हैं। गांधीजी के जीवनकाल में देश की स्वतंत्रता से पूर्व अथवा अंग्रेजों से स्वाधीनता के वर्ष 1947 में भी देश में ग्रामों की संख्या इससे कहीं अधिक थी।

ग्राम केवल देश के सामाजिक ताने–बाने का आधार ही नहीं, अपितु हिंदुस्तान की विकासोन्मुख एवं समन्वयकारी संस्कृति व उन सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षक हैं, जो देशवासियों को अनेकता से एकता के सूत्र में पिरोते हैं, तथा अति विशेष रूप में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ग्राम–आधारित उद्यम–प्रमुखतः कृषि तथा सहायक या अन्योन्याश्रित लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में, कुल मिलाकर देश के संपूर्ण विकास में गांवों की महत्ता, जिसे महात्मा गांधी ने अपने सर्वोदय (सर्व–कल्याण) एवं स्वराज्य–संबंधी विचारों में प्रमुखता से उजागर करते हुए देशवासियों का तदनुसार पुरुषार्थ का आह्वान किया है, आज भी ज्यों–की–त्यों है। वह महत्ता वर्तमान में भी स्वयं

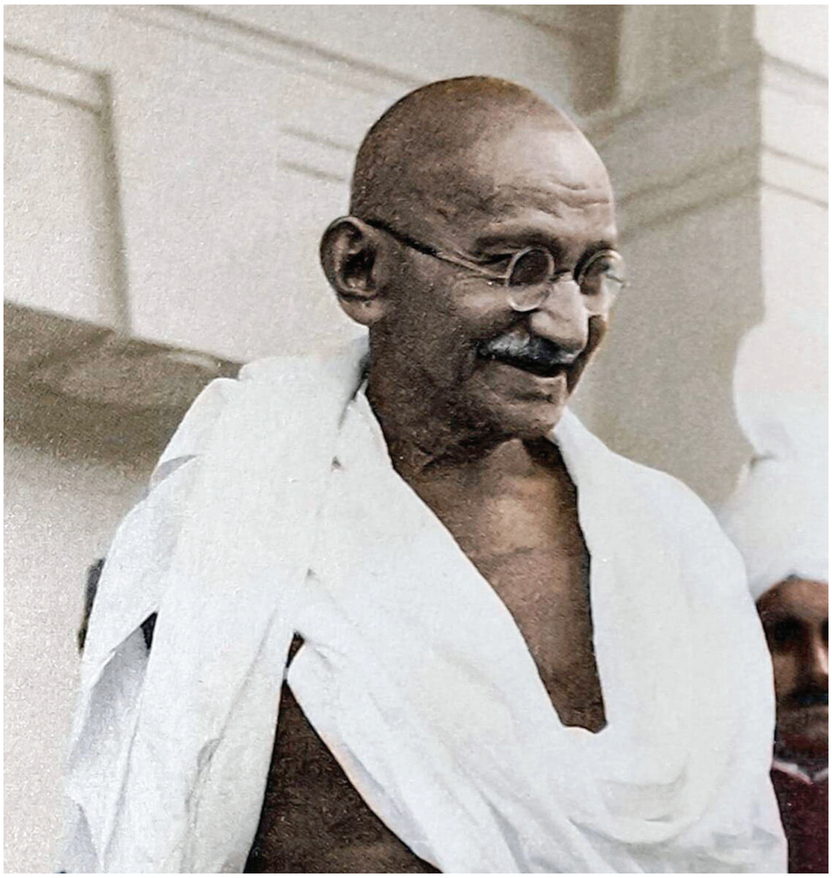

गांधीजी के जीवनकाल से लेशमात्र कम नहीं है।

खादी राष्ट्रीय गौरव को प्रकट करने वाला हाथ–कते सूत से हस्तनिर्मित वस्त्र है। अति साधारण शब्दों में, यह स्वयं देशवासियों द्वारा देश में ही अपने द्वारा पैदा की गई कपास से निर्मित वस्त्र है। वस्त्र, मनुष्य की पांच मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव जीवन में वस्त्र की आवश्यकता एवं महत्ता से हम सभी भली–भांति परिचित हैं। इसी महत्ता को केंद्र में रखते हुए महात्मा गांधी ने खादी उत्पादन को राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का एक अनिवार्य भाग बनाया। वर्ष 1920 में असहयोग और स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद करते समय गांधीजी ने देशवासियों का सभी प्रकार की विदेश–निर्मित वस्तुओं, विशेष रूप से मिलों में मिलमालिकों के एकाधिकार में निर्मित होने वाले और अंग्रेजी सत्ता द्वारा भारतीयों को, उनकी प्रतिष्ठा पर आघात करते हुए तथा उनकी सम्पन्नता के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली अपनी नीति का अनुसरण करते हुए, अत्यधिक महंगे दामों पर बेचे जाने वाले वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया।

गांधीजी के ऐसा करने का कारण अथवा उनके द्वारा ऐसा किए जाने के मूल में रहने वाली भावना ग्रामों एवं किसानों के देश हिन्दुस्तान के आम जन को अनिवार्यतः राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना था। लोगों में जाग्रति उत्पन्न कर, उनके श्रम के संपूर्ण सदुपयोग से उनकी आत्मनिर्भरता के बल पर अर्थव्यवस्था में उनका समुचित स्थान सुनिश्चित करना था। किसान और उनके सहयोगी –गांवों में बसने वाले लगभग सभी लोग एक बड़ी सीमा तक, किसी–न–किसी रूप में एक–दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनकी परस्पर निर्भरता होती है। महात्मा गांधी ने, इसीलिए, इस ग्रामीण शक्ति–भारत की वास्तविक शक्ति की उसकी आत्मनिर्भरता के बल पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण और वांछित भूमिका के निर्वहन की कामना की –'सर्वोदय' (सर्वोत्थान) से 'स्वराज्य' की परिकल्पना की।

इस प्रकार, खादी की बात केवल स्वदेशी हस्तनिर्मित वस्त्र तक ही सीमित नहीं है। इसके मूल में एक अति प्रभावकारी –सशक्त, व्यावहारिक और सर्वकल्याण को समर्पित दर्शन है, जो ग्राम–केंद्रित अर्थव्यवस्था के बल पर स्वराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। यह राष्ट्र के अपने संसाधनों, जनता के श्रम के संपूर्ण, सकारात्मक व न्यायोचित सदुपयोग से देशवासियों के समय की मांग के अनुरूप संयुक्त प्रयासों द्वारा सर्वकल्याणकारी तथा भारत की परिस्थितियों के पूर्णतः अनुकूल मूलभूत परिवर्तन क्रांति का माध्यम है।

इस संदर्भ में स्वयं महात्मा गांधी अथवा उनके जीवनकाल में उन्हीं की प्रेरणा से उनके साथियों–सहयोगियों द्वारा किए गए सभी प्रयास, विशेषकर वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यसमिति द्वारा बीस लाख चरखों के निर्माण और देशभर में उनके वितरण–संबंधी प्रस्ताव को पारित किया जाना, वर्ष 1923 में काकीनाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना होना और 22 सितंबर, 1925 को पटना में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम थे। यही नहीं, ग्रामसेवक समग्र ग्रामसेवाएं, ग्रामीण लघु अथवा कुटीर उद्योग विकास ग्रामोद्योग, पंचायती राज, सहकारी पशुपालन गोरक्षा एवं ऐसे ही अनेक अन्य रचनात्मक कार्य, गांधी मार्गीय कार्यक्रम अद्वितीय खादी–दर्शन को आगे बढ़ाने, उसे विस्तार दिए जाने के लिए ही थे।

संपूर्ण भारतवर्ष से लाखों जन गांधीजी के जीवनकाल में ही उनके इस दर्शन के साथ जुड़े। स्वदेशी की भावना से आत्मसात करते हुए (खादी स्वयं जिसकी जीती–जागती प्रतीक थी) इसे केंद्र में रखकर तदानुसार रचनात्मक कार्यक्रमों में, विशेषकर जिनका हमने अभी–अभी उल्लेख किया है, सक्रिय रूप से संलग्न होते हुए अपनी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। साथ ही, उपनिवेशवादी सत्ता –विदेशी आधिपत्य से देश की मुक्ति हेतु संघर्ष में वे अपने को संलग्न कर सकें। वे महान और अद्वितीय विशिष्टताओं से भरपूर राष्ट्रीय संस्कृति और वस्त्र परंपरा के बल पर देश के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे आए।

इस संपूर्ण घटनाक्रम से संबंधित पर्याप्त साहित्य और अभिलेख उपलब्ध हैं, जिनसे वास्तविकता को भली–भांति जांचा–परखा जा सकता है। वर्तमान पीढ़ी को खादी–दर्शन एवं महात्मा गांधी की परिकल्पना के ग्रामीण पुनर्निर्माण के उद्देश्य को उन्हीं के मार्ग प्राप्त करने की अभिलाषा को केंद्र में रखते हुए उस साहित्य एवं अभिलेखों का अध्ययन करना चाहिए। खादी–दर्शन के आधार पर गांधी–विचार एवं गांधी मार्ग की सर्वकालिक प्रासंगिकता और व्यावहारिकता को परखना चाहिए और इसे सार्थक –व्यावहारिक पाने की स्थिति में इससे प्रेरणा लेकर कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए।

महात्मा गांधी का खादी–दर्शन, जैसाकि पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित है। यह भारत की आत्मा–ग्रामों को समर्पित है तथा उपलब्ध स्वदेशी साधनों एवं विशाल जनशक्ति के समुचित सदुपयोग द्वारा अहिंसा केंद्रित उच्चतम मानवीय मार्ग से मूल सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों व परम्पराओं के बल पर हिन्दुस्तान के पुनर्निर्माण को दृढ़ संकल्पित है। यह दर्शन–विचार पूर्णतः स्वदेशी है। भारतीय समाज, राष्ट्रीय ढांचे और व्यवस्था के अनुकूल है। यह, इसीलिए, समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार परिष्कृत रूप में अपनाए जाने की स्थिति में सर्वकालिक बन जाता है। कोई भी इस विचार की अनदेखी नहीं कर सकता। इसकी प्रासंगिकता को कम करके नहीं देख सकता।

यही कारण रहा कि हिंदुस्तान की अंग्रेजी दासता से मुक्ति के नौ वर्षोपरांत वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना की गई। खादी और ग्रामोद्योगों –कुटीर उद्योगों का गांधी मार्ग से विकास इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में, इस आयोग का गठन महात्मा गांधी के खादी–दर्शन को स्वाधीन भारत में स्वयं देशवासियों द्वारा निर्वाचित सरकार के माध्यम से व्यावहारिक रूप देना था। सैंकड़ों वर्षों से ग्रामों में अस्तित्व में रहने वाले कुटीर उद्योग–धंधों की विद्यमान परिस्थितियों एवं समय की मांग के अनुरूप समुचित पुनर्विकास से देश की अर्थव्यवस्था की धुरी गांवों का उत्थान –देश का सच्चा पुनर्निर्माण इस आयोग का मूलादर्श रहा।

इस आयोग ने अपनी 62 वर्षों की यात्रा में, व्यवस्थागत अनेक दुर्बलताओं –कमियों के बावजूद, जिनकी चर्चा यहां करना प्रासंगिक नहीं है, अपने गठन के उद्देश्य की मूल भावना के अनुरूप अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से अच्छा कार्य किया है। यह एक सीमा तक संतोष की बात है कि आयोग ने अपनी योजनाओं और समय–समय पर प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों के बल पर देश के सभी 29 प्रांतों एवं लगभग समस्त केंद्रशासित क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाई है। खादी, जोकि आत्मनिर्भरता को समर्पित और ग्रामोद्धार को प्रतिबद्ध संपूर्ण दर्शन का आधार है, की गुणवत्ता में निरंतर सुधार और निखार आया है। समय और परिस्थितियों की मांग के अनुरूप –मौसम की आवश्यकता तथा सभी आयु वर्ग के लोगों, ग्रामीण व शहरीजन दोनों की पसंद के अनुसार खादी एवं अन्य वस्त्रों का उत्पादन भारतीयों को स्वदेशी की भावना की अनुभूति कराने और इस दर्शन की महत्ता को समझाने में बहुत कुछ सफल रहा है। यही नहीं, विदेशों में भी इसकी सुप्रसिद्धि का कार्य हो सका है।

लगभग पचास लाख लोग खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों और संस्थानों में कार्य करते हुए सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इससे भी अधिक संख्या में लोग आयोग द्वारा पोषित–आर्थिक सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों से, जिनका विवरण उपलब्ध है, अप्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित हो रहे हैं। वे सम्मानपूर्वक अपनी रोजी–रोटी कमा रहे हैं। वर्तमान में, वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार देशभर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग पोषित अथवा सहायता प्राप्त कुल 3,91,344 उद्योग कार्यरत हैं।

लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। ग्रामोत्थान ही हिंदुस्तान की सच्ची उन्नति की कसौटी है। खादी–दर्शन की मूल भावना से साक्षात्कार करते हुए ग्रामों की अधिकतम आत्मनिर्भरता के लिए और ठोस प्रयास आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। इस संबंध में प्रयास कार्य केवल सरकारी स्तर अथवा सहायता से ही नहीं, अपितु स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से मस्तिष्क में गहराई के साथ यह सत्यता बैठाकर वांछित है कि स्वदेशी से स्वराज्य का मार्ग ग्रामों से ही होकर गुजरता है। खादी राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और समृद्धि की जीती–जागती प्रतीक रही है। यह भारतीय मार्ग की अभी तक भी पहचान है। इसलिए, मैं विशेष रूप से देश के युवा वर्ग का आह्वान करूंगा कि वह आगे आएं। खादी को अपनाएं। खादी–दर्शन के व्यापक प्रचार–प्रसार में अपना योगदान दें। खादी कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ इस सत्यता से साक्षात्कार करते हुए जुड़े कि खादी और खादी–दर्शन हमारी अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता का एक सुदृढ़ एवं अति महत्वपूर्ण स्तंभ है।

(लेखक सुप्रसिद्ध भारतीय शिक्षाशास्त्री हैं एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश) के कुलपति रह चुके हैं। इन्हें पद्मश्री और सरदार पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।)

ई–मेल : ravindrakumar5@hotmail.com

अर्थशास्त्री महात्मा गांधी का खादी दर्शन

–कुमार प्रशांत

''खादी वस्त्र नहीं विचार है'', इस सूत्रवाक्य के रचयिता महात्मा गांधी खादी के लिए सिर्फ तीन सरल सूत्र कहते हैं : कातो तब पहनो, पहनो तब कातो और समझ–बूझ कर कातो! आज की खादी का इन तीन सूत्रों से कोई नाता नहीं है। गांधी ने खादी की ताकत यह बताई थी कि इसे कितने लोग मिल कर बनाते हैं यानी कपास की खेती से लेकर पूनी बनाने, कातने, बुनने, सिलने और फिर पहनने से कितने लोग जुड़ते हैं, यह आधार होगा खादी की सफलता जांचने का।

महात्मा गांधी दूसरे किसी अर्थ में हों या न हों, इस अर्थ में जीवित हैं कि हम भारत में, और दूसरे दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में जब किसी भी समस्या से घिरते हैं तो बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए गांधी तक पहुंचते हैं। यह भी कम ही होता है कि हम या वे गांधी रास्ता स्वीकार लेते हैं। गांधी को स्वीकार कर लेना इतना सरल कभी नहीं रहा है। आप उन्हें टुकड़ों में समझने और अपनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी बुरी स्थिति में पड़ेंगे, क्योंकि गांधी की समग्रता में ही उनकी परिपूर्णता है। हम आज उस दौर में है जो 'शॉर्टकट' की खोज करता है– जल्दी और आसान रास्तों से सफलता! लेकिन सबसे जल्दी और आसान रास्ता तो वही है न कि जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता हो। जो मंजिल तक पहुंचता ही न हो, वह चाहे जितना आसान हो, छोटा हो हमारे किस काम का? यही गांधी कहते और समझाते हैं।

गांधी पूछते हैं कि हम सबसे पहले तय यह करें कि हम चाहते क्या हैं। इस बारे में सबकी सहमति हो जाए तब यह देखें कि यह हो कैसे? साधन, तकनीक, संसाधन और बाजार– ये चार बातें भी हमें देख–समझ लेनी पड़ेंगी। वे कहते हैं कि यह जब पक्का हो जाए तब काम में जुट पड़ो, सफलता कदमों में रखी है। वे कहते हैं कि मैं गुजराती बनिया हूं तो घाटे का सौदा करता ही नहीं हूं।

हमारे सामने चुनौती बेरोजगारी की है। हर सरकार के सामने यह सवाल होता है और हर सरकार अपना संकल्प भी बताती है कि वह किस तरह नए रोजगारों का सृजन करेगी। लेकिन होता यह है कि न मनचाही परिस्थितियां मिलती हैं, न मनचाहे लोग मिलते हैं, न पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, न आवश्यकतानुसार साधन! हमारी सारी कोशिश आंकड़ों के जंजाल में उलझ कर रह जाती है और हम ख्याली पकोड़े तलते मिलते हैं।

गांधी को पता है कि संकल्प, साधन, तकनीक, संसाधन और बाजार की चुनौती से कोई बच नहीं सकता है। इसीलिए वे अपना काम बुनियाद से खड़ा करते हैं। वे गांवों को अपना आधार इसीलिए नहीं बनाते हैं कि वहां सब कुछ आसानी से हो जाएगा बल्कि इसलिए बनाते हैं कि वहां वह सब कुछ उपलब्ध है, जिसकी हमें जरूरत है। वे यह भी बताते हैं हमें कि यह पेंच बहुत पुराना है कि जहां संसाधन हैं, वहां लोग नहीं हैं; जहां लोग हैं वहां संसाधन नहीं हैं। इसलिए उनका रास्ता यह है कि जहां लोग हैं, वहां हम पहुंचें और उनके पास जो संसाधन हैं, उससे काम शुरू करें।

सभ्यता के सहज विकासक्रम में आदमी ने जहां रहना शुरू किया, वह गांव था। हम सब वहीं रहते आए हैं। गांवों के पास स्थायी प्राकृतिक संसाधन हैं– जल, जंगल और जमीन! गांधी कहते हैं कि इन्हीं संसाधनों का मनमाना दोहन करके तो औद्योगिक क्रांति के बाद का संसार बनाया है हमने। हमने चूक यह की कि मशीनें, कारखाने, परियोजनाएं आदि सबकी–सब हमने वहां स्थापित की, जहां लोग नहीं थे। ऐसा शायद इसलिए किया कि जहां आबादी नहीं है, वहां निर्माण का काम अबाध गति से हो पाता है। हमने यह सुविधा तो देखी लेकिन इसमें से पैदा होने वाला खतरा नहीं देखा। देखते भी कैसे? हमें ऐसा करने का कोई अनुभव तो था नहीं। हमारे परंपरागत समाज की चालक–शक्ति वे थे जो मेहनत से उत्पादन

करते थे, औद्योगिक क्रांति ने समाज का चालक उसे बना दिया जिसके पास पूंजी थी। श्रमिक से धनिक की तरफ समाज की इस छलांग ने पूंजी तो बेहिसाब बढ़ाई लेकिन उसे बहुत छोटे समूह तक सीमित कर दिया। पूंजी वाले इस समूह ने अपनी सुविधा देखकर विकास के पैमाने तय किए। जब ढांचा खड़ा हो गया तब पता चला कि काम करने वाले लोग तो वहां हैं ही नहीं। लोग कहीं थे, साधन कहीं और बनाया गया। हम अपनी इस चूक को समझ कर सुधारते और वापस लौटते तो भी खैर थी लेकिन पूंजी–संपन्न वर्ग ने इस मशक्कत से मुंह चुराया, और अपनी चूक को कबूल करने की जगह रास्ता यह निकाला कि मनुष्यों को अपनी जगह से उखाड़ कर वहां लाया जाए, जहां साधन बनाया गया है। इस तरह कारखानों व दूसरे प्रतिष्ठानों के इर्द–गिर्द शहरों–नगरों–कस्बों का निर्माण होने लगा। गांव प्राकृतिक संरचना है जो प्रकृति के आधार पर बना–बसा और संपन्न हुआ; शहर कृत्रिम संरचना है जिसके पीछे पूंजी की ताकत और श्रमिक वर्ग की लाचारी है। आबादी बढ़ने, आवश्यकताएं बढ़ने के साथ–साथ औद्योगिक विकास की यह जटिल संरचना और भी जटिल होती गई। फिर इसमें एक दूसरा पेंच यह आ पड़ा कि मशीनों से हो रहा बेहिसाब उत्पादन बिके कहां? तो रास्ता यह निकाला गया कि उत्पादन जहां कहीं भी हो, उत्पादित माल वहां पहुंचाया जाए, जहां लोग रहते हैं। यहां से बाजार एक नई ताकत बन कर गांव–गांव तक पहुंचा। एक बाजार पर्याप्त नहीं था, तो नए–नए बाजार खोजने और वहां पहुंचने की होड़ शुरू हुई और इस तरह वह भयानक उपनिवेशवाद पांव फैलाने लगा जिसने सारी दुनिया में गुलामी का एक दौर चलाया। हम भी उस चक्की में लंबे समय तक पिसते रहे।

गांधी किताबी विद्वान नहीं थे। उनके व्यक्तित्व में क्रांतिकारी विचारक–योद्धा का अनोखा संगम था। इसलिए उन्होंने इंसान, पूंजी और बाजार का यह विष–चक्र तोड़ने की योजना बनाई और खादी–ग्रामोद्योग का पूरा दर्शन खड़ा किया। दर्शन ही खड़ा नहीं किया बल्कि उसे प्रयोगशाला में उसी तरह जांचा–परखा, जिस तरह कोई भी वैज्ञानिक अपनी खोज को जांचता–परखता है। विदेशी के बहिष्कार और स्वदेशी के स्वीकार का उनका पूरा आंदोलन वह प्रयोगशाला थी जिसमें वे इसकी व्यावहारिकता व इसके परिणामों को परख रहे थे।

यह इतिहास और उसका यह परिणाम गांधी ने देखा व समझा तथा 1909 में लिखी अपनी कालजयी पुस्तक 'हिंद स्वराज्य' में बड़ी ही लाक्षणिक शैली में हमें समझाया। लेकिन गांधी किताबी विद्वान नहीं थे। उनके व्यक्तित्व में क्रांतिकारी विचारक–योद्धा का अनोखा संगम था। इसलिए उन्होंने इंसान, पूंजी और बाजार का यह विष–चक्र तोड़ने की योजना बनाई और खादी–ग्रामोद्योग का पूरा दर्शन खड़ा किया। दर्शन ही खड़ा नहीं किया बल्कि उसे प्रयोगशाला में उसी तरह जांचा–परखा, जिस तरह कोई भी वैज्ञानिक अपनी खोज को जांचता–परखता है। विदेशी के बहिष्कार और स्वदेशी के स्वीकार का उनका पूरा आंदोलन वह प्रयोगशाला थी जिसमें वे इसकी व्यावहारिकता व इसके परिणामों को परख रहे थे। खादी का काम जिस गति से बढ़ा और खादी ने विदेशी सामानों के बाजार को जिस तरह चोट पहुंचाई और खादी का विकसित होता बाजार जिस तरह सुदूर इंग्लैंड में लंकाशायर की कपड़ा मिलों को बंदी की कगार पर ले गया, उसने यह प्रमाणित कर दिया कि खादी ग्रामोद्योग की उनकी अवधारणा में शक्ति भी है और संभावना भी।

खादी–ग्रामोद्योग की उनकी पूरी अवधारणा के पीछे उनकी सोच यह है कि जहां संसाधन हैं और लोग हैं, वहां ही हम विकास के साधन पहुंचाएं। लक्ष्य यह है कि हर इंसान की बुनियादी जरूरतें तो पूरी हो ही! वे बुनियादी जरूरतों में घर–रोटी–कपड़ा ही नहीं जोड़ते हैं, आज़ादी और स्वाभिमान को भी जोड़ते हैं। मतलब यह कि उनकी कल्पना का समाज अपनी भौतिक व आंतरिक या आध्यात्मिक जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर होगा। वे इस दर्शन का आधार तैयार करते हुए कहते हैं कि आप उत्पादन को जितना विकेंद्रित करेंगे, शोषण उतना कम होगा। उत्पादन तभी विकेंद्रित होगा, जब पूंजी विकेंद्रित होगी। इसलिए गांवों को केंद्र बना कर, वहां के संसाधनों का वैज्ञानिक नियोजन कर, उत्पादन के साधन खड़े करना और वहीं उनके उपभोक्ता तैयार करना– अत्यंत सरल तरीके से कहूं तो यह गांधी की अर्थरचना है। जब लाखों गांवों में ऐसा अथर्तंत्र विकसित होगा तो पूंजी के समवितरण का शास्त्र बनाना होगा, और तब हम यह समझ सकेंगे कि सारे देश की दौलत समेट कर दिल्ली पहुंचाना और फिर वहां से वितरित करना अवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें पूंजी का भयंकर अपव्यय होता है, भ्रष्टाचार को खुला खेलने का मौका मिलता है और लोगों की जरूरत की नहीं, बाजार की जरूरत का उत्पादन होता है। इस बड़े लेकिन बुरे खेल में पहले उपनिवेशवादी ताकतें शामिल थीं, अब वे ही ताकतें चेहरा बदल कर सत्ता–संपत्ति–बाजार का त्रिभुज बना रहीं हैं। गांधीजी ने यह खेल समझ लिया था और गांवों को शासन की बुनियादी ईकाई बनाने की कोशिश की थी।

आज सारी दुनिया आर्थिक मंदी से घिरी हुई है। इतिहास बताता है कि जब–जब ऐसी गहरी आर्थिक मंदी ने संसार को घेरा है, विश्वयुद्ध हुए हैं। आज का बड़ा–छोटा हर अथर्शास्त्री इस आशंका से परेशान है कि क्या यह मंदी भी किसी विश्वयुद्ध को जन्म देगी? आशंका के बादल घिर रहे हैं। इसलिए भी जरूरी है कि हम गांधी के अर्थदर्शन को समझें। उन्होंने हमें पूरी आज़ादी दे रखी है कि हम उसमें अपनी जरूरत का जो भी फर्क करना चाहें करें लेकिन इस सावधानी के साथ कि उसकी मुख्य टेक कहीं धरी न रह जाए– वह टेक जो घोषणा करती है कि सभी मनुष्य समान सिरजे गए हैं इसलिए जीने की बुनियादी जरूरतें सबकी पूरी होनी ही चाहिए। वे हमसे कह गए हैं कि धरती के हर इंसान व हर प्राणी की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति के पास अकूट

गांधीजी और चरखा

महात्मा गांधी, खादी और चरखा हमारी आज़ादी की लड़ाई का कितना प्रमुख हिस्सा रहे हैं, यह दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारी दो–तीन बुनियादी जरूरतों में एक, वस्त्र की इस लड़ाई को गांधीजी ने टिकाऊ और विकेंद्रित विकास के साथ जोड़ा था। गांधीजी ने पुराने चरखे से मैनचेस्टर की सबसे आधुनिक मिलों को पीछे छोड़ दिया था। गांधीजी ने खुद तो खादी पहना ही, लगभग पूरे देश को खादी पहना दी, खादी पहनने को शान की चीज बना दिया। पर खादी महज कपड़े भर का नाम नहीं है। गांधीजी ने इसे जीने के तरीके और सादगी से जोड़ा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वदेशी और खादी ने किसी समय ईंग्लैंड में बैठे सूती मिल–मालिकों और गोरे व्यापारियों की नींद हराम कर दी थी। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जब केवल नौ महीनों में ही एक करोड़ 60 लाख गज खादी कपड़ा तैयार कर लिया गया तो एक ग्रामीण उद्योग के रूप में इसकी ताकत का अंदाजा भी हो गया था। यही कारण था कि खादी की जब्ती से लेकर उसके भंडारों को जलाने तक की कोशिश बरतानवी हुकूमत ने की थी। हालांकि गांधी ने 8 दिसंबर, 1921 को **'यंग इंडिया'** में अपने लेख में लिखा था– 'चरखा व्यापारिक युद्ध की नहीं, बल्कि व्यापारिक शांति की निशानी है।'

लेकिन चरखे की साधना में गांधीजी जैसे ही गहरे उतरे, वैसे ही वह उनके लिए एक आध्यात्मिक साधन भी बन गया। 16 मई, 1926 को **'नवजीवन'** में अपने एक लेख में वे कहते हैं– "मैं चरखे को अपने लिए मोक्ष का द्वार मानता हूं।" ऐसे ही कई स्थानों पर उन्होंने चरखे के लिए मूर्तिरूपी ईश्वर, अन्नपूर्णा और यज्ञ जैसे रूपकों का भी इस्तेमाल किया।

गांधीजी के अर्थशास्त्र में खादी किसी मिल से प्रतिस्पर्धा करने वाला उद्योग न होकर बेरोजगार और निरुद्यमी लोगों के लिए एक वैकल्पिक और तात्कालिक रोजगार का स्रोत भर था। बाजारवाद के भारी विरोध पर वे कहते हैं "मैंने कताई उद्योग को विकसित करने के लिए किसी भी अन्य पोषक उद्योग को त्यागने की कल्पना तक नहीं की है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बेरोजगार रहते हैं, इसी आधार पर चरखे का प्रचार–प्रसार आरंभ किया गया है। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जिस दिन भारत में ऐसे बेरोजगार लोग नहीं रहेंगे, उस दिन इस देश में चरखे के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। ...मैं जो मध्यम वर्ग के लोगों से यज्ञार्थ चरखा चलाने के लिए कहता हूं, वह भी बचे हुए समय में ही। चरखे की प्रवृत्ति किसी उद्योग की विनाशक नहीं, बल्कि पोषक प्रवृत्ति है। इसलिए मैंने उसे अन्नपूर्णा की उपमा दी है।"

हालांकि गांधीजी को मालूम था कि चरखा चलाने और उस पर खुद से बुने हुए खादी को धारण करने का आध्यात्मिक आनंद जो समझ लेगा, वह इसे छोड़ेगा नहीं। उन्होंने चरखे से निकलने वाली घर्र–घर्र आवाज को 'चरखे के संगीत' का नाम दिया था। इसी शीर्षक से 18 जुलाई, 1920 को **'स्वदेशी'** और 21 जुलाई, 1920 को **'यंग इंडिया'** में लिखे अपने लेख में उन्होंने कहा– 'मैं जानता हूं कि कुछ लोग चरखा चलाने की इस कला के पुनरुद्धार की कोशिश पर हंसते हैं। वे कहते हैं कि मिलों, सिलाई मशीनों या टाइपराइटरों के इस युग में कोई पागल ही चरखा जैसे दकियानूसी यंत्र का पुनरुद्धार सफल होने की आशा कर सकता है। लेकिन ये मित्र भूल जाते हैं कि सिलाई मशीन के आ जाने पर भी घर में सुई रखने का चलन उठ नहीं गया है और न ही टाइपराइटर आ जाने से हाथ से लिखने की कला का अंत हो गया है। यदि होटलों के रहते भी लोग घर में खाना बनाकर खा सकते हैं, तो मिलों के साथ–साथ चरखे क्यों नहीं चल सकते।'

गांधीजी कहते हैं "चरखे में बड़ी ताकत है। वह ताकत अहिंसा की ताकत है।" इसलिए आज गांधी जी को याद करने का मतलब उस चरखे की तलाश है, जिसके इस्तेमाल से अहिंसा और एकता की ताकत मिलती हो, गैर–बराबरियां दूर होती हों। क्योंकि गांधीजी के लिए चरखा अहिंसा, स्वराज्य, एकता की रूहानी ताकत थी। आर्थिक बदलाव का मजबूत औजार था।

संसाधन हैं लेकिन उसके पास एक आदमी के भी लालच को पूरा करने की कूवत नहीं है। मतलब यह कि हम सबको अपनी जरूरतें कम–से–कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी संसाधन का अक्षय भंडार नहीं है। हम जितनी किफायत से प्रकृति से अपनी जरूरतें लेंगे, प्रकृति को उतना ही वक्त मिलेगा कि वह अपने संसाधनों का भंडार भरती रहे।

खादी के लिए गांधी सिर्फ तीन सरल सूत्र कहते हैं : कातो तब पहनो, पहनो तब कातो और समझ–बूझ कर कातो! गांधी ने खादी की ताकत यह बताई थी कि इसे कितने लोग मिल कर बनाते हैं यानी कपास की खेती से लेकर पूनी बनाने, कातने, बुनने, सिलने और फिर पहनने से कितने लोग जुड़ते हैं, यह आधार होगा खादी की सफलता जांचने का। खादी उत्पादन यथासंभव विकेंद्रित हो और इसका उत्पादक ही इसका उपभोक्ता भी हो ताकि मार्केटिंग, बिचौलिया, कमीशन जैसे बाजारू तंत्र से मुक्त इसकी व्यवस्था खड़ी हो। जब गांधी ने यह सब सोचा–कहा तब कम नहीं थे ऐसी आपत्ति उठाने वाले कि यह सब अव्यावहारिक है, यह बैलगाड़ी युग में देश को ले जाने की गांधी की खब्त है, यह आधुनिक प्रगति के चक्र को उल्टा घुमाने की कोशिश है! आज भी तथाकथित आधुनिक लोग, विशेषज्ञ ऐसा ही कहते हैं। लेकिन आज पयार्वरण का भयावह खतरा, संसाधनों की विश्वव्यापी किल्लत, नागिरकों की और प्राकृतिक संसाधनों की अंतरराष्ट्रीय लूट आदि को जो जानते–समझते हैं, वे सब स्वीकार करते हैं कि गांधी इस शताब्दी के सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक चिंतक थे जिन्होंने अपने दर्शन के अनुकूल व्यावहारिक ढांचा विकसित कर दिखला दिया। गांधी ने खादी को सत्ता पाने का नहीं, जनता को स्वावलंबी बनाने का औजार माना था। वे कहते थे कि जो जनता स्वावलंबी नहीं है, वह स्वतंत्र व लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है। गांधी के खादी–ग्रामोद्योग का यह रहस्य हम जितनी जल्दी समझेंगे, उतनी जल्दी नई संभावनाएं खुलने लगेंगी।

(लेखक गांधी शांति प्रतिष्ठान, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं।)

ई–मेल : k.prashantji@gmail.com

एमएसएमई : भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास का आधारस्तंभ

–डॉ. नीलेश कुमार तिवारी

विगत पांच दशकों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अपनी निरंतर प्रगति से भारत के सतत आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ समावेशी सामाजिक आधारशिला को मजबूत करने का कार्य किया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार देश के सकल मूल्य संवर्धन में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा 32 प्रतिशत है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के अनुसार देश मे 633.8 लाख असमायोजित गैर–कृषि एमएसएमई में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा लगभग 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है।

36 सदस्य देशों के संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), जो विकसित और विकासशील देशों का समूह है तथा जिसमें भारत गैर–सदस्यीय देश है, में लगभग 99 प्रतिशत उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। ओईसीडी देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औसतन लगभग 70 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ लगभग 50 से 60 प्रतिशत मूल्य संवर्धन में भी योगदान देता है। वर्ष 2017 में संपन्न हुई ओईसीडी परिषद की मंत्री–स्तरीय बैठक की रिपोर्ट के अनुसार, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एमएसएमई कुल रोजगार का लगभग 45 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में 33 प्रतिशत का योगदान देता है।

वहीं दूसरी ओर विश्व बैंक समूह के अध्ययन के अनुसार, उभरते बाजारों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, 36.5 करोड़ से 44.5 करोड़ के बीच अनुमानित हैं जिनमें 5.5 से 7 करोड़ औपचारिक सूक्ष्म उद्यम तथा 28.5 से 34.5 करोड़ अनौपचारिक उद्यम अनुमानित हैं। इसी क्रम में विश्व बैंक के अनुसार, औपचारिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कुल रोजगार का 60 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद (राष्ट्रीय आय) का लगभग 40 प्रतिशत तक योगदान देता है।

विगत पांच दशकों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने (एमएसएमई) अपनी निरंतर प्रगति से भारत के सतत आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ समावेशी सामाजिक आधारशिला को मजबूत करने का कार्य किया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार देश के सकल मूल्य संवर्धन में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा 32 प्रतिशत है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के अनुसार देश मे 633.8 लाख असमायोजित गैर–कृषि एमएसएमई विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा लगभग 11.10 करोड़ लोगों को विभिन्न कार्यों मे रोजगार मिला है। वहीं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल अनुमानित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों की संख्या 633.8 लाख है।

एमएसएमई विकासशील देशों में, विशेषकर भारत जैसे देश में, बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजीगत लागत से, कृषि एवं कृषि–संबद्ध क्षेत्र के बाद एकमात्र दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जो उद्यमिता, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसरों का सृजन करता है। साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र नवाचार तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देकर, कम जोखिम उठाकर स्वदेशी वस्तुओ, सेवाओं के उत्पादन से

तालिका–1ः एमएसएमई क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

क्र.	देश मे कुल अनुमानित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या	633.8 लाख	स्रोत–राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के सर्वेक्षण
1	पारंपरिक से उच्च–तकनीकी उत्पादों श्रृंखला	6,000 से ज्यादा	12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों मे वृद्धि पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, एमएसएमई, मंत्रालय, भारत सरकार
2	रोजगार प्रदान करता है	लगभग 6.9 करोड़	
3	औद्योगिक उत्पादन में योगदान	लगभग 45 प्रतिशत	
4	कुल निर्यात मे योगदान	लगभग 40 प्रतिशत	
5	समाज के वंचित वर्ग द्वारा स्वामित्व	लगभग 50 प्रतिशत	

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आत्मनिर्भर होने व घरेलू और वैश्विक बाजारों की पूर्ति कर अपनी महत्ता को प्रतिपादित करता है।

भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान और भविष्य के अवसरों के मद्देनजर, भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर दिशा एवं दशा प्रदान करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु अनेक नीतिगत पहल की हैं। जिसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में 'उद्यम की अवधारणा को विस्तृत करते हुए विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। (तालिका–4)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के वर्गीकरण के आधार में बदलाव को मंजूरी दी है। इसे 'संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश' से बदलकर 'वार्षिक कारोबार' में बदलने का प्रस्ताव है। मौजूदा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 (अनुच्छेद 7) में निर्माण इकाईयों के संबंध में संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा सेवा उपक्रमों के लिए उपकरण में निवेश के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण करता है। संयंत्र और मशीनरी में निवेश का मानक स्वघोषणा है जिसके लिए प्रमाणीकरण और लेन–देन की लागत आवश्यक है। इसमें संशोधन कर नई परिभाषा लागू की जाएगी। (तालिका–5)

एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों जैसे अगरबत्ती व मोमबत्ती बनाना, बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न और आभूषण संबंधित कार्य, पेपर कप व पेपर बैग बनाना, फर्नीचर निर्माण, हस्तशिल्प बनाना, मशीन टूल्स, खेल सामान, खाद्य प्रसंस्करण जैसे काजू प्रसंस्करण, बेकरी, डेयरी एवं संबंधित उत्पाद, आइसक्रीम कारखाना, रेडीमेड कपड़े तैयार करना, डिटर्जेंट पाउडर विनिर्माण, चमड़ा प्रसंस्करण, खिलौने बनाना, पैक किया गया पेयजल, ब्यूटी सैलून, आउटडोर विज्ञापन हेतु फ्लेक्स प्रिंटिंग, बायो–डीजल उत्पादन इत्यादि को और अधिक सुनियोजित तरीके से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

हालांकि, भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के साथ–साथ उनकी उत्पादकता बढ़ाने एवं क्षमता निर्माण हेतु क्लस्टर विकास दृष्टिकोण (उद्यमों का एक चिन्हित सामूहिक क्षेत्र, जहां समान उत्पादों व सेवाओं का उत्पादन होता है) रणनीतिक तौर पर अपनाया है एवं क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत देश में निम्नलिखित क्लस्टर तालिका–6 में दिखाए गए हैं।

सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा

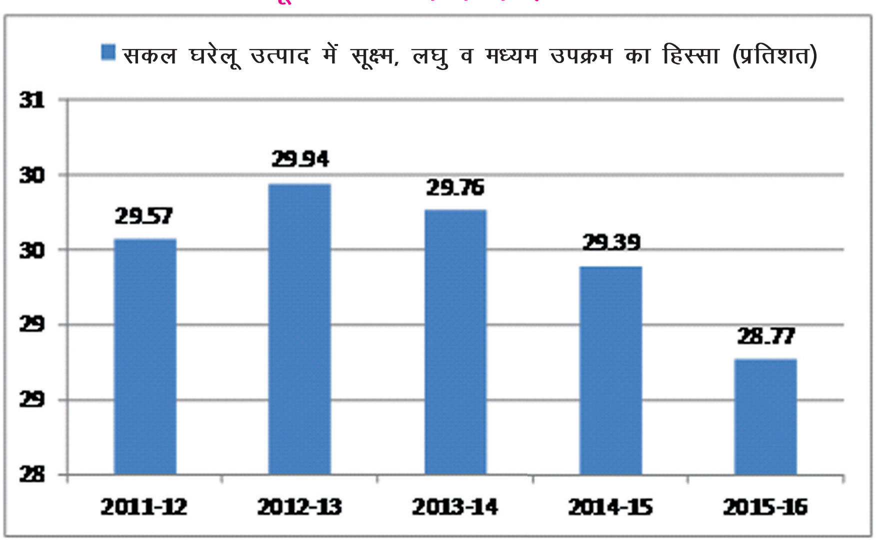

स्रोतः केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, मंत्रालय, भारत सरकार

भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका

- रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से, एमएसएमई क्षेत्र गरीबी, भुखमरी व आर्थिक असमानता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- लोगों के ज्ञान और कौशल को विकसित करने के माध्यम से उनके रहन–सहन एवं जीवन–स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देता है।
- समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे वंचित, पिछड़े एवं दिव्यांग–जनों को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर कर सम्मानपूर्वक खुशहाल जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सामाजिक–आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देता है।
- पुरुष–प्रधान भारतीय समाज में यह क्षेत्र महिलाओं को, विशेषकर स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता हेतु प्रेरित कर महिला सशक्तिकरण में योगदान देता है।

तालिका–2: श्रेणीवार एमएसएमई का वितरण

(लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल एमएसएमई
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88
शहरी	306.43	2.53	0.04	309
कुल	630.52	3.31	0.05	633.88

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका–3: गतिविधियों के अनुसार एमएसएमई संख्या

(लाख में)

गतिविधि वर्ग	ग्रामीण	शहरी	कुल एमएसएमई
उत्पादन–संबंधी	114.14	82.5	196.64
व्यापार	108.71	121.64	230.35
अन्य सेवाएं	102	104.85	206.85
बिजली*	0.03	0.01	0.04
कुल	324.88	309	633.88

*केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के साथ पंजीकृत इकाइयों द्वारा गैर–कैप्टिव बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण

- एमएसएमई क्षेत्र मुख्य रूप से श्रम–आधारित होने के कारण रोजगार–रहित विकास (जॉबलेस ग्रोथ) की समस्या को कम करके समावेशी विकास प्रदान करता है।
- यह क्षेत्र स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन एवं आपूर्ति से आत्मनिर्भर होकर आयात प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाएं प्रदान करता है जिससे पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकोनॉमी) को बढ़ावा मिलता है।
- वैश्वीकरण, निजीकरण एवं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के दौर में एमएसएमई क्षेत्र स्थानीय कला एवं संस्कृति, पर्यटन, योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य पर्यटन, हस्तशिल्प इत्यादि को न केवल बढ़ावा देता है अपितु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने हेतु विभिन्न पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया जो निम्नलिखित हैं–

- छोटे एवं मझोले उद्यमों को विकसित करने हेतु अनुकूल व्यावसायिक वातावरण का निर्माण;
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर उत्पादकता को बढ़ावा देना;
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से नवाचार को बढ़ावा देना;
- एमएसएमई क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना;
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार पर्याप्त वित्त की समय पर अनुपलब्धता जिससे व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया जा सके;
- सही समय पर सही वस्तुओं, सेवाओं की बाजार तक पहुंच एवं विपणन;
- वस्तुओं एवं सेवाओं में नवाचार एवं रचनात्मकता का अभाव;
- निर्यात हेतु समय पर ऋण की उपलब्धता एवं निर्यात बीमा तक सीमित पहुंच;
- समयानुसार आवश्यक ज्ञान, कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण का अभाव;
- अनुसंधान, सूचना व प्रौद्योगिकी की सहायता से वस्तुओं, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार;
- वस्तुओं के विनिर्माण हेतु आवश्यक आधुनिक उपकरणों का पड़ोसी देशों से आयात, जिसे अनुसंधान द्वारा अथवा स्वदेशी तकनीकी के प्रयोग से विकसित किया जाए;
- उत्पादों, सेवाओं के मानकीकरण और प्रमाणीकरण का अभाव;
- व्यावसायिक प्रबंधन कौशल का अभाव;
- ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित आपूर्ति शृंखला एवं आवश्यक कारीगरों के अभाव के कारण उच्च लागत वस्तुओं का निर्माण;
- बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी जानकारी का अभाव;

चुनौतियों का अवसरों के रूप में समावेशी व सतत विकास

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार व निजी क्षेत्र (सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स) के संयुक्त प्रयास से 10 तकनीकी स्कूलों में युवाओं को विभिन्न सैमसंग उत्पादों के मरम्मत और रखरखाव कार्य हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत सरकार की 'सार्वजनिक खरीदी नीति' के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनकी कुल खरीदी का 20 प्रतिशत एमएसएमई क्षेत्र से एवं 4 प्रतिशत खरीदी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाली एमएसएमई से लेने का प्रावधान किया गया है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

एमएसएमई क्षेत्र के उत्थान हेतु भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य क्रेडिट सहायता योजना

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड
- ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र

2. खादी, गांव और कॉयर उद्योगों के विकास हेतु

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना
- बाजार संवर्धन एवं विकास योजना
- पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए फंड का पुर्नोत्थान

तालिका–4: एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की परिभाषा

वर्गीकरण	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
सूक्ष्म	25 लाख रुपये तक निवेश	10 लाख रुपये तक निवेश
लघु	25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक निवेश	10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक निवेश
मध्यम	5 से 10 करोड़ रुपये तक	2 से 5 करोड़ रुपये तक

तालिका–5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की नई प्रस्तावित परिभाषा

सूक्ष्म	5 करोड़ रुपये तक वार्षिक विक्रय कारोबार
लघु	5 से 75 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार
मध्यम	75 से 250 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार

योजना (स्फूर्ति)

- कॉयर उद्यमी योजना, कॉयर विकास योजना

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन

- अभिनव, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना 'एस्पायर'
- राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी
- मार्केटिंग समर्थन/एमएसएमई को सहायता
- बौद्धिक संपदा अधिकार बिल्डिंग जागरूकता
- लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता
- डिजाइन विशेषज्ञता के लिए डिजाइन क्लिनिक
- तकनीक और गुणवत्ता उन्नयन का समर्थन

4. विपणन प्रोत्साहन योजनाएं

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- विपणन सहायता योजना
- विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (MATU)
- एमएसएमई बाजार विकास सहायता

5. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम

6. बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम

एमएसएमई क्षेत्र के समुचित उत्थान हेतु महत्वपूर्ण पहल

- **'क्लस्टर विकास कार्यक्रम'** के अंतर्गत चयनित एसएमई क्लस्टर के समग्र विकास हेतु सहकारी आधार पर मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर जोर।
- **50 सौर चरखा कलस्टरों में सौर चरखा मिशन:** 2018–19 और 2019–20 के दौरान इस योजना के लिए 550 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इस योजना से लगभग एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।
- **'डिजिटल एमएसएमई स्कीम'** के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से 'क्लाउड कम्प्यूटिंग' द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
- **खादी स्टोर लोकेटर एप:** देशभर में फैले 4,000 खादी स्टोरों के सटीक स्थानों का पता लगाने में सहायता के लिए एक मोबाइल फोन एप लांच किया। वर्तमान समय में भारत में 8,000 से भी ज्यादा खादी स्टोर हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का निर्माण निजी स्वामित्व वाली लगभग 7 लाख घरेलू अथवा पारिवारिक इकाइयों द्वारा किया जाता है जिनका वित्तपोषण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाओं के जरिए किया जाता है।
- **'स्फूर्ति'** इससे पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टर में संगठित करने और उनके दीर्घकालिक स्थायित्व, निरंतर रोजगार, नवाचार, उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान करना इत्यादि है।
- **महिला उद्यमियों के लिए 'उद्यम सखी' पोर्टल:** देश में इस समय लगभग 80 लाख महिलाएं अपना कारोबार चला रही हैं। पोर्टल के द्वारा उद्यमशीलता को बढावा देने, महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने तथा कम लागत वाली सेवाओं और उत्पादों के लिए कारोबार के नए मॉडल तैयार किए जा सकेंगे। पोर्टल के जरिए महिला उद्यमियों को कारोबार शुरु करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, निवशेकों से सीधे संपर्क, बाजार सर्वेक्षण सुविधा तथा तकनीकी सहयोग जैसी मदद उपलब्ध करायी गई है।

एमएसएमई क्षेत्र एवं बजट 2018–19

- केंद्रीय बजट 2018 में 250 करोड़ रुपये तक की वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25 प्रतिशत जिससे कंपनियां अधिक अधिशेष को निवेश कर अधिक नौकरियों का सृजन हो सकें।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवंटन को वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के 1024.49 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 1800 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि गैर–कृषि क्षेत्र में लगभग 88,000 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा सकेंगे तथा इससे लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
- **साख गांरटी कोष** को पहले ही 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ–साथ संबंधित योजना में अन्य ढांचागत सुधारों की बदौलत इस सेक्टर में ऋण वृद्धि और रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए आवंटन को वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के 150 करोड़ रुपये से तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- खादी अनुदान के तहत आवंटन को वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के 265.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 415 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

तालिका–6 : क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर

उत्पाद क्लस्टर	स्थान	उत्पाद क्लस्टर	स्थान
कॉयर और कॉयर उत्पाद	ईरोड, तमिलनाडु	छत टाइल्स	बांकुरा, पश्चिम बंगाल
कपास फैब्रिक	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	प्लास्टिक प्रसंस्करण	दाग्राम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल
फुटवेयर	बहादुरगढ़, हरियाणा	रिफैक्ट्री ईंटें	कुल्टी, सालनपुर, बर्दवान, पश्चिम बंगाल
फार्मास्यूटिकल्स	करनाल, हरियाणा	लेड–एसिड बैटरी	सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
स्टेनलेस स्टील	कुंडली, सोनीपत, हरियाणा	पीतल व बेल धातु	खगरा, पश्चिम बंगाल
प्लाईवुड	यमुनानगर, हरियाणा	माचिस	विरुधुनगर, तमिलनाडु
काजू	कर्नाटक	स्टेनलेस स्टील	कुम्भकोणम, तमिलनाडु
रायसिन प्रसंस्करण,	बेलगाम, कर्नाटक	कर्नाटक प्रिंटिंग	चमारजपेट, बैंगलोर
लकड़ी	कन्नूर, केरल	सोने के आभूषण	त्रिची, तमिलनाडु
प्लास्टिक पैकेजिंग	उज्जैन, मध्य प्रदेश	पावरलूम	सालेम, तमिलनाडु
फ्लाई एश	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	चावल मिल	तंजावुर, तमिलनाडु
धातु	मोहाली, पंजाब	काजू	गंजम, व निलाचक्र ब्रह्मगिरी, पुरी ओडिशा
गोटा जारी फीता क्लस्टरए	अजमेर, राजस्थान	पंप और फाउंड्री	राजकोट, गुजरात
आधुनिक गुच्छेदार कालीन	भदोही, उत्तर प्रदेश	रेडीमेड गारमेंट्स	बरेली, उत्तर प्रदेश
कांच	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	हाईटेक रेशम बुनाई	वाराणसी, उत्तर प्रदेश

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

गैर–परंपरागत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सोलर चरखा मिशन की एक नई योजना भी प्रस्तावित की गई है ताकि और ज्यादा रोजगारों का सृजन हो सके।

- **एस्पायर नवाचार–** ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन हेतु योजना के तहत आवंटन को वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 232 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य 100 आजीविका बिजनेस इन्क्युबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्युबेटरों की स्थापना करना है। इससे उद्यमिता और रोजगार सृजन में तेजी आएगी।
- **राष्ट्रीय एससी/एसटी हब** के तहत आवंटन को 60 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 93.96 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि एससी/एसटी उद्यमियों के कारोबार में वृद्धि को नई गति प्रदान की जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत एससी/एसटी घटकों हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समग्र आवंटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

निष्कर्ष

एमएसएमई क्षेत्र, जो उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन के मामले में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को विकसित करने हेतु भारत सरकार ने विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिनमें ऋण की उपलब्धता, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता में सुधार और विपणन समर्थन के लिए योजनाएं शामिल हैं। मुद्रा, 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' और 'स्किल इंडिया', क्रेडिट गारंटी फंड के कवरेज में वृद्धि इत्यादि प्रयास एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा की ओर अग्रसित करते हैं।

वहीं दूसरी ओर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा खरीदी नीति 2018 के मसौदे में एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है। जबकि अनौपचारिक व अपंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

अंत में, चौथी औद्योगिक क्रांति, एमएसएमई क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट विकास की असीमित संभावनाओं की ओर इंगित करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा एनालिटिक्स के साथ–साथ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईआईओटी) की व्यापक उपयोगिता भारत में एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा एवं दशा देने में सहायक होगी।

संदर्भ

- वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
- https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance
- https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-8-EN.pdf
- High-Growth SMe~ Support Initiatives in Nine Countries: Analysis, Categorçation, and Recommendations, Report prepared for the Finnish Ministry of Trade and Industry
- http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/52835696.PDF
- http://www.dcmsme.gov.in/mse-cdprog.htm
- http://www.dcmsme.gov.in/schemes/Ongoing_CFC.pdf
- इंडिया एमएसएमई मार्चिंग अहेड अचीवमेंट्स 2014–18, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
- https://economictimes.indiatimes.com/small-bç/sme-sector/move-over-it-iiot-is-the-next-big-thing-for-msmes/articleshow/57040654.cms
- द न्यू वेब इंडिया एमएसएमई, एन एक्शन एजेंडा फॉर ग्रोथ केपीएमजी रिपोर्ट
- स्टैंडअप इंडिया इंटरनेशनल क्रांफ्रेंस ऑन एंटरप्रेनरशिप एंड वीमैन एम्पावरमेंट के अंश
- एनएसएस 73वां राउंड, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार

(लेखक छत्तीसगढ़ के बस्तर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ मेनेजमेंट स्टडीज में सहायक प्रोफेसर हैं।)

ई–मेलः nileshtiwariprsu@gmail.com

समावेशी विकास के लिए एमएसएमई को बढ़ावा

–डॉ. नुने श्रीनिवास राव
डॉ. ई.विजया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कारोबारी नवोन्मेष के जरिए उद्यमिता की संस्कृति के प्रसार में अपना योगदान कर रहे हैं। इन उद्यमों की एक अनोखी विशेषता यह है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं और स्थानीय तथा वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कहना न होगा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान 8 प्रतिशत के बराबर है। इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन का 45 प्रतिशत और देश के निर्यात का 40 प्रतिशत इस क्षेत्र से आता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है और इनका मुनाफा काफी अधिक होता है।

एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यंत जीवंत और गतिमान क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। यह क्षेत्र न सिर्फ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि ग्रामीण तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी इससे बहुत मदद मिलती है। इस तरह क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने तथा राष्ट्रीय आय और संपत्ति का समानता पर आधारित वितरण सुनिश्चित करने में भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र अहम भूमिका अदा करता है। सरकार गरीबों, खासतौर पर महिलाओं की आजीविका संबंधी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल बना रही है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मदद देकर सुदृढ़ कर रही है।

एमएसएमई बड़े–बड़े उद्योगों के मुकाबले कम लागत पर रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराते हैं। एमएसएमई क्षेत्र ने देश में करीब 11.10 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार (2015–16) भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के तहत 633.88 लाख इकाईयां शामिल हैं। वर्ष 2014–15 में खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार के 1,37,79,000 अवसर उपलब्ध कराए गए। 1,93,818 इकाईयां स्थापित की गई जिनसे 14.75 लाख लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा 51,11,026 लोगों ने सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट से रोजगार प्राप्त किया। करीब 4,42,272 लोगों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम टेक्नोलॉजी केंद्रों में प्रशिक्षण मिला जिनमें से 91,634 ने रोजगार प्राप्त किया। अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में 2,07,325 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 43,761 को सवेतन रोजगार मिला और 21,783 स्वरोजगार में नियोजित हुए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कारोबारी नवोन्मेश के जरिए उद्यमिता की संस्कृति के प्रसार में अपना योगदान कर रहे हैं। इन उद्यमों की एक अनोखी विशेषता यह है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं और स्थानीय तथा वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कहना न होगा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान 8 प्रतिशत के बराबर है। इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन का 45 प्रतिशत और देश के निर्यात का 40 प्रतिशत इस क्षेत्र से आता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है और इनका मुनाफा काफी अधिक होता है। रोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए जबर्दस्त क्षमता है और यह क्षेत्र स्वरोजगार के जरिए लोगों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन में बड़ा मददगार साबित हो सकता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 पारित कराया है जिसमें सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा दी गई है। ये परिभाषाएं इस प्रकार हैं (विधि और न्याय मंत्रालय, 2006):

उद्यम से अभिप्राय एक ऐसे औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय या किसी अन्य प्रतिष्ठान से है जो सामान के उत्पादन या विनिर्माण

में किसी भी तरह से संलग्न हो और उन उद्योगों से संबंधित हो जो उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम,1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ठ हैं या जो कोई सेवा या सेवाएं उपलब्ध कराने में संलग्न हैं।

विनिर्माण क्षेत्र : ऐसे उपक्रम जो विनिर्माण या उत्पादन; वस्तुओं के प्रसंस्करण या संरक्षण में लगे हैं जैसाकि नीचे बताया गया है:

- सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
- लघु उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है।
- मध्यम उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनके संयंत्र और मशीनरी 5 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है।

इस तरह के उद्यमों के मामले में संयंत्र और मशीनरी में निवेश में मूल लागत शामिल है जिसमें भूमि और भवन की लागत को शामिल नहीं किया गया है।

सेवा क्षेत्र

ऐसे उद्यम जो सेवाएं उपलब्ध कराने या सेवाएं प्रदान करने में लगे हैं और जिनका उपकरणों पर निवेश (मूल लागत जिसमें भूमि और भवन शामिल नहीं हैं तथा फर्नीचर, फिटिंग एवं ऐसी अन्य वस्तुएं जो उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं से संबद्ध नहीं हैं या जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित की गई हैं, उनको नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

- सूक्ष्म उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसमें उपकरणों पर निवेश 10 लाख रुपये से अधिक न हो;
- लघु उद्यम ऐसा उद्यम है जिसमें उपकरणों पर निवेश 10 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- मध्यम उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसमें उपकरणों पर निवेश 2 करोड़ रुपये से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से अधिक नहीं है।

फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के आधार में बदलाव किया गया और 'संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश' के स्थान पर 'वार्षिक कारोबार' को वर्गीकरण का आधार बना दिया गया। इससे कारोबार करने की आसानी को बढ़ावा मिलेगा, वर्गीकरण के मानदंड विकास मूलक बनेंगे और वे नई कर प्रणाली के अनुरूप वस्तु और सेवा कर केंद्रित हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप जो विकास होगा, उससे देश के एमएसएमई क्षेत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 7 को भी इसी के अनुसार संशोधित किया जाएगा और वस्तुओं का उत्पादन करने वाली तथाा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इकाइयों को उनके वार्षिक कारोबार के अनुसार इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा:

- सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा एक ऐसी इकाई के रूप में की जाएगी जिसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक न हो;
- लघु उद्यम की परिभाषा एक ऐसी इकाई के रूप में की जाएगी जिसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक हो मगर 75 करोड़ से अधिक न हो;
- मध्यम उद्यम की परिभाषा एक ऐसी इकाई के रूप में की जाएगी जिसका वार्षिक कारोबार 75 करोड़ रुपये से अधिक न हो मगर 250 करोड़ रुपये से अधिक न हो;

इसके अलावा केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए वार्षिक कारोबार की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

सरकारी कार्यक्रम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों पर अमल कर रहा है। एमएसएमई को बुनियादी ढांचा और मदद देने और इनसे संबंधित विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अमल इसके संबद्ध कार्यालय विकास आयुक्त–एमएसएमई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी), कॉयर बोर्ड और प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों जैसे राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

मंत्रालय की सूचना टेक्नोलॉजी संबंधी पहल

- **माईएमएसएमई** : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने और उनमें प्रगति का पता लगाने के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन।
- **उद्योग आधार मेमोरेंडम** : एमएसएमई को स्वयं–प्रमाणन आधार पर पंजीकृत करने के लिए मोबाइल फोन के लिए अनुकूल एप्लिकेशन।
- **एमएसएमई समाधान** : सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों/सरकारी विभागों द्वारा खरीद के बारे में जानकारी देता है : https://sambandh.msme.gov.in

मंत्रालय की नई पहल

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केंद्र** : अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से की गई पहल। अप्रैल 2018 तक इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 13,211 और अनुसूचित जनजातियों के 2,704 उद्यमियों का एमएसएमई डाटाबैंक में पंजीकरण हो चुका था।
- **जीरो डिफेक्ट**–जीरो इफेक्ट योजना के अंतर्गत एमएसएमई में इस तरह के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है ताकि श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उपकरणों/ प्रणालियों तथा ऊर्जा की किफायत उत्पादन को बढ़ावा मिले।

ऋणों की उपलब्धता

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** 1,93,818 एमएसएमई इकाइयों को 4735.93 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी गई।
- **ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस):** 20,385 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 1169.93 रुपये की सब्सिडी।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई):** 16,32,722 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 80221.59 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी सुरक्षा।

कौशल विकास और प्रशिक्षण

- **उद्यमी विकास योजना :** 1,17,532 लोगों को आईएमस/ईडीपी/ईएसडीपी/एमडीपी कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण।
- **एटीआई योजना :** 2,07,235 लोगों ने 7407 ईडीपी/ईएसडीपी में हिस्सा लिया।
- **एनएसआईसी :** एनएसआईसी के तकनीकी सेवा केंद्रों ने देश भर में 1,17,000 लोगों को प्रशिक्षित किया।
- **एनआईएमएसएमई:** 1,72,231 युवाओं/कार्यपालकों को 5290 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।
- **एमजीआईआरआई :** 400 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 5000 लोगों के कौशल को उन्नत बनाया गया।
- **टेक्नोलॉजी केंद्र :** 6,42,272 युवाओं ने इन केंद्रों के विभिन्न कार्यक्रमों का फायदा उठाया।

चिरस्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) और एमएसएमई

रोजगार के अवसर पैदा करने सहित वृहत्तर सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने महत्वपूर्ण योगदान की वजह से एमएसएमई चिरस्थायी विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र में आ गए हैं। एमएसएमई के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने से अक्सर गरीबों और दुर्बल वर्गों, खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को सीधा फायदा मिलता है जिससे गरीबी में कमी आती है, आमदनी बढ़ती है और कालांतर में परिवारों के शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले निवेश में बढ़ोतरी होती है। एमएसएमई के विकास में विश्व–स्तर पर चिरस्थायी विकास लक्ष्यों पर दूरगामी प्रभाव डालने की क्षमता है जिनमें एसडीजी–1 (गरीबी दूर करना), एसडीजी–2 (भुखमरी दूर करना), एसडीजी–3 (स्वास्थ्य और खुशहाली), एसडीजी–5 (लैंगिक समानता), एसडीजी–8 (समावेशी और चिरस्थायी आर्थिक विकास, रोजगार और सम्मानजनक कार्य) और एसडीजी–9 (चिरस्थायी औद्योगीकरण तथा नवाचार को बढ़ावा) (लिउ झेनमिन, 2017) शामिल है।

महिला उद्यमी और एमएसएमई

भारत की स्टार्टअप व्यवस्था में महिला उद्यमियों को सभी जगह देखा जा सकता है। महिलाएं अब ऊंचे पदों को छोड़कर उद्यमिता को अपनाने लगी हैं। बहुत–सी महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर उद्यमियों की जमात में शामिल हो रही हैं। करीब 80 लाख महिलाओं ने अपने उद्यम शुरू किए हैं और अपना कारोबार चला रही हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को भरोसा है कि भारत में महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

एमएसएमई के वित्तपोषण के बारे में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले कारोबारों को वित्तीय सुविधाएं सुलभ कराने से ऐसे उद्यमों की संख्या बढ़ी है। देश में करीब 30.1 लाख एमएसएमई में से 10 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं। ये सब मिलकर औद्योगिक उत्पादन में 3.09 प्रतिशत का योगदान करते हैं और इनमें 80 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। करीब 78 प्रतिशत महिला उद्यम सेवा क्षेत्र में हैं। महिलाओं के ज्यादातर उद्यम छोटी फर्मों के रूप में हैं और ऐसे 98 प्रतिशत उद्यम सूक्ष्म उद्यम हैं। करीब 90 प्रतिशत महिला उद्यम अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

महिलाओं के लिए एमएसएमई योजनाएं

- महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास योजना
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष योजना
- उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास में सहायता
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रोत्साहन पैकेज के तहत महिलाओं के लिए प्रदर्शनियां।

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान ने विभिन्न मंत्रालयों की एमएसएमई/उद्यमिता संबंधी योजनाओं और सहायक सेवाओं का संकलन किया है और 'एमएसएमई स्कीम' नाम की एक ई–पुस्तक छापी है ताकि उद्यमियों और मौजूदा एमएसएमई तक जानकारी पहुंचाई जा सके। यह ई–बुक मंत्रालय की वेबसाइट (https:// msme.gov.in/) पर उपलब्ध है।

महिलाएं स्वयंसहायता समूह बनाकर बैंकों और सरकारी योजनाओं से ऋण प्राप्त कर सकती हैं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योग शुरू कर सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के विभाग उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं और उपयुक्त नीतियां बना रहे हैं तथा महिलाओं, किसानों, दिव्यांगों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों समेत सभी को प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहे हैं। बैंक भी स्टाट्रअप्स/उदीयमान उद्यमियों/मौजूदा एमएसएमई के लिए विभिन्न एमएसएमई कार्यक्रम चला रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में माल और सेवा कर जैसे नए कर सुधारों के लागू होने के बाद इनमें से सभी असंगठित क्षेत्र में टिके रहने में असमर्थ हो गए हैं। लघु और मध्यम उद्योगों के लिए औपचारिक क्षेत्र के तहत अपना पंजीकरण कराना और अपने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान करने के साथ नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध सुविधाओं का फायदा उठाना जरूरी हो गया है।

महिलाओं की गौरव गाथाएं

श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जो लिज्जत के नाम से लोकप्रिय है, दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुएं बनाने वाली भारतीय

महिलाओं की सहकारिता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। 1959 में 80 रुपये की प्रारंभिक पूंजी से शुरू की गई इस संस्था का वर्तमान वार्षिक कारोबार 6.50 अरब रुपये (10 करोड़ डालर) है और यह 29 करोड़ रुपये के सामान का निर्यात भी करती है। लिज्जत करीब 43,000 (2015) महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराती है। लिज्जत का मुख्यालय मुंबई में है और देश भर में इसकी 27 शाखाएं और 27 डिवीजन हैं।

द मुलूकनूर वीमेंस कोआपरेटिव डेयरी महिलाओं द्वारा गठित और संचालित पहली डेयरी है जो अपनी स्थापना के बाद से लगातार प्रगति कर रही है। महिलाओं की इस डेयरी संस्था की स्थापना 17 अगस्त, 2002 को करीमनगर–वारंगल सीमा पर भीमादेवरपल्ली मंडल मुख्यालय के बाहरी इलाके में 72 सहकारी समितियों ने मिलकर की थी जिसकी 3,600 महिला सदस्य थीं। इस समय 127 समितियां (जिन्हें महिला डेयरी सहकारिताएं–डब्ल्यूडीसी भी कहा जाता है) डेयरी की सदस्य हैं। करीम नगर और वारंगल जिलों के 120 गांवों की 20,000 से अधिक महिलाएं इनकी सदस्य हैं।

द सेल्फ–एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन (एसईडबल्यूए–सेवा) स्वरोजगार में लगी गरीब महिलाओं को एकजुट करके अधिकार–संपन्न बनाने का सफल प्रयास है। 1972 में गरीब, निरक्षर, कामकाजी और आस्मिक मजदूर महिलाओं के समूह के रूप में थोक कपड़ा बाजार में छोटे पैमाने पर शुरुआत करके अपने गृह राज्य गुजरात में सेवा की सदस्य संख्या 535,000 हो गई है जबकि समूचे भारत में इसके सदस्यों की संख्या 7,00,000 के आसपास पहुंच गई है।

भारत में सूक्ष्म और लघु महिला उद्यमों के संघ : निम्नलिखित महिला एसोसिएशन महिला उद्यमियों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा दे रही हैं। संभावित महिला उद्यमी इन संघों के साथ संपर्क स्थापित कर सकती हैं:

1. भारतीय महिला उद्यमी परिसंघ (एफआईडब्ल्यूई), नई दिल्ली
2. कन्सोट्रियम ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर्स (सीडब्ल्यूईआई), नई दिल्ली
3. एसोसिएशन आफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आंध्र प्रदेश (एएलईएपी), हैदराबाद
4. एसोसिएशन आफ वूमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कर्नाटका (एडब्यूएकेई), बेंगलुरु
5. सेल्फ एम्लायड वीमेंस एसोसिएशन (एसईडब्ल्यूए), अहमदाबाद
6. वीमेन एंटप्रेन्योर्स प्रोमोशन एसोसिएशन (डब्ल्यूईपीए), चेन्नई
7. द मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन आफ वीमेंन एंटरप्रेन्योर्स (एमओओडब्ल्यूईएस), चेन्नई
8. बिहार महिला उद्योग संघ, पटना
9. महाकौशल एसोसिएशन ऑफ वूमैन एंटप्रेन्योर्स (एमएडब्ल्यूई), जबलपुर
10. वूमेन एंटप्रेन्योरशिप प्रोमोशनल एसोसिएशन, चेन्नई

महिला उद्यमिता केंद्र– तेलंगाना : तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में महिला उद्यमिता केंद्र की स्थापना की है। इसका मूल उद्देश्य महिला उद्यमियों के स्टाट्रअप उद्यमों की ढांचागत समस्याओं को दूर कर उन्हें सफल उद्यमी बनाने में मदद करना है। अपनी प्राथमिक गतिविधियों के जरिए यह केंद्र एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास करता है जिससे भारत में और पूरे विश्व में सामाजिक बदलाव आए। महिला उद्यमिता केंद्र की परिकल्पना एक ऐसी संस्था के रूप में की गई है जो महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के लिए मददगार समुदाय का निर्माण करे ताकि वे वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेंचर कैपिटल संस्थाओं से बातचीत कर सकें। साथ ही, इसमें कारोबार बढ़ाने के लिए कार्पोरेट कंपनियों से संपर्क स्थापित करने, योजनाओं पर अमल के लिए मदद करने वाले संगठनों से सहायता लेने, खर्चीली गलतियां न दोहराने तथा नए जोश के साथ सफलता की राह पर आगे बढ़ने में भी मदद देता है।

निष्कर्ष

भारत में करीब 3.1 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के साथ–साथ देश की विश्व–स्तर की संभावित उद्यम प्रतिभाओं के विकास के लिए पौधशालाओं की तरह कार्य कर रहे हैं। पिछले पांच दशकों से अधिक समय में भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की मदद के लिए कई प्रगतिशील ऋण नीतियां और नई योजनाएं शुरु की हैं जिनके माध्यम से ऐसे उद्यमों का संवर्धन और विकास किया जा रहा है। उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में भी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे उद्यमों से खरीद में भुगतान में होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इन तीनों श्रेणियों के उद्यमों के लिए कारोबार बंद करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है।

इसके बावजूद वित्त और विपणन, अभिनव टेक्नोलॉजी को अपनाने आदि के बारे में जागरूकता की कमी है। ये एमएसएमई की ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना मौजूदा बाजार में टिके रहने के लिए करना बहुत जरूरी है। बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और दुनिया में आर्थिक मंदी के कारण अनिश्चितता के माहौल में एमएसएमई के लिए अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ–साथ उनके वित्तपोषण, विपणन और प्रबंधन जैसे कार्यों में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को अपनाना जरूरी हो गया है। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और कार्यकुशलता तथा निरंतरता बढ़ेगी। इससे उन्हें सफल रहने और आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना योगदान करने में मदद मिलेगी।

(लेखक राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद में संकाय सदस्य हैं।)
ई–मेल : nsr@rimsme.org

हथकरघा उद्योग में रोजगार की अपार क्षमता

–प्रमोद जोशी

खेती के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला वस्त्रोद्योग है, जो परोक्ष रूप से करीब साढ़े तीन करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इनमें से करीब 43 लाख लोग सीधे हथकरघा से जुड़े हैं। देश के सकल निर्यात में करीब 13 फीसदी हिस्सा वस्त्र उद्योग का है। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों शामिल हैं। सरकार वस्त्र एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास, विशेषकर तकनीकी उन्नयन, बुनियादी ढांचे के सृजन एवं कौशल विकास के लिए नीतिगत पहलों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है, जिनमें संशोधित तकनीकी उन्नयन कोष योजना और पॉवरटेक्स इंडिया स्कीम भी शामिल हैं। इसी तरह एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

दस्तकारी और कशीदाकारी में दुनिया के पारंपरिक समाजों में काफी उम्दा काम हुआ है, पर हथकरघा यानी हाथ से बुने परिधान के मामले में भारत का जवाब नहीं है। दुनिया का तकरीबन 85 फीसदी हाथ से बुना कपड़ा आज भी भारत से जाता है। ईसा के तीन हजार साल या उससे भी पहले खम्भात की खाड़ी के पास बसा गुजरात का लोथाल शहर मैसोपाटिया के साथ समुद्री रास्ते से व्यापार करता था। पहली और दूसरी सदी में पूर्वी अफ्रीका, मिस्र और भूमध्य सागर तक और जावा, सुमात्रा समेत दक्षिण–पूर्वी एशिया के काफी बड़े हिस्से तक भारतीय वस्त्र और परिधान जाते थे।

कपास की खेती ईसा से कम से कम पांच हजार साल पहले शुरू हो गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को सम्भवतः कपास की खेती का श्रेय दिया जा सकता है। प्राचीन यूनानी लेखक हैरोडोटस ने भारतीय कपास के बारे में लिखा है कि वह भेड़ के ऊन से भी बेहतर होती है। एक ओर यूनानी इतिहासकार स्त्राबो ने भारतीय सूती परिधानों की खासियतों का विवरण दिया है।

भारत ही नहीं दुनिया की शान

खेती के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला वस्त्रोद्योग है, जो परोक्ष रूप से करीब साढ़े तीन करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इनमें से करीब 43 लाख लोग सीधे हथकरघा से जुड़े हैं। देश के सकल निर्यात में करीब 13 फीसदी हिस्सा वस्त्र उद्योग का है। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों शामिल हैं। सन 2015–16 में भारत से करीब 40 अरब डॉलर के वस्त्रों का निर्यात हुआ था। इसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग का अनुमान है कि वर्ष 2018–19 में देश से करीब 5000 करोड़ रुपये (करीब 78 करोड़ डॉलर) के खादी वस्त्रों का निर्यात होगा। कहने का मतलब यह कि वस्त्रोद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे देश का आर्थिक आधार मजबूत होगा।

पुराने यूनानी साहित्य में विवरण मिलता है कि भारतीय कपास लेकर अरब व्यापारी आते थे। भारत का वस्त्र उद्योग एक जमाने में दुनिया भर में विख्यात था। ठप्पों वाले (छपे हुए) भारतीय वस्त्र सन 1690 के बाद पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोप में पहुंचाए तो लोग उन पर टूट पड़े। कोझीकोड का कपड़ा जिसे ब्रिटेन में कालीकट या कैलिको क्लॉथ कहा जाता था, इतनी बड़ी मात्रा में जाने लगा कि उससे इंग्लैंड का स्थानीय वस्त्र उद्योग चरमराने लगा। इसके कारण ब्रिटिश संसद ने कैलिको एक्ट पास करके भारतीय वस्त्र के आयात पर रोक लगा दी।

औपनिवेशिक नीतियों का शिकार

उसी दौरान मशीनों का आविष्कार हो गया और सन 1774 में कैलिको कानून वापस ले लिया गया, क्योंकि इंग्लैंड के उत्पादक भारतीय कपड़े का मुकाबला करने लगे। उसी दौर में भारत तैयार वस्त्रों के निर्यातक के बजाय केवल कपास के निर्यातक के रूप में सीमित होता चला गया। भाप की शक्ति के आविष्कार, सस्ते मजदूरों की उपलब्धि और कताई–बुनाई मशीनरी के आविष्कार ने ब्रिटेन को बड़ी ताकत बना दिया। इंग्लैंड के पूंजीवादी विकास में लंकाशायर और मैनचेस्टर की टेक्सटाइल मिलों की बड़ी भूमिका

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

सामाजिक–आर्थिक विकास में बुनकरों के योगदान को पहचान देने और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए 7 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ चेन्नई में हुए एक समारोह से हुआ जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ प्रधानमंत्री ने 'इंडिया हैंडलूम ब्रॉड' को लांच किया। वर्ष 2015 से मनाया जा रहा यह विशेष दिवस इस क्षेत्र के विषय में जन–जागरूकता का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्षेत्र के संवर्धन हेतु प्रचार–प्रसार के इन प्रयासों के यह लाभ होंगे कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इन उत्पादों की मांग बढ़ेगी जिससे उत्पादन बढ़ेगा और इन हस्तशिल्पकारों की आजीविका को एक मजबूत धरातल मिलेगा।

है। प्राचीन भारत की गौरवगाथा उसके वस्त्र उद्योग और हथकरघा कारीगरों के हुनर से लिखी गई थी। आज वह कारीगर फटेहाली का शिकार हैं।

हथकरघा विकास और हस्तशिल्प को एक साथ रखकर देखना चाहिए। इसके साथ जूट और ऊन से जुड़े काम भी हैं। भारत के अलग–अलग इलाकों में अलग–अलग किस्म की कारीगरी का विकास हुआ है। यह सब हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण है। कांचीपुरम, बनारस या असम का सिल्क, कश्मीर का पश्मीना, बंगाल की तांत की साड़ियां और मसलिन, तेलंगाना और ओडिशा का इक्कट, गुजरात का पटोला, राजस्थान के सांगानेरी रंग, लखनऊ का चिकन, नगालैंड के दुशाले और मणिपुर के परिधान। मध्य प्रदेश की महीन माहेश्वरी बुनाई या तमिलनाडु की काष्ठ या पत्थर से बनी मूर्तिकारी जैसे काम हैं, जिन्हें दुनिया में अलग पहचान मिली हुई है।

नवोन्मेष की जरूरत

यह सूची बहुत लंबी है। बांस, रस्सी, कॉयर और जूट का काम भी इससे जुड़ा है। कारीगरों के पास हजारों साल की विरासत है। देश के वस्त्र मंत्रालय ने हाल के वर्षों में अपनी इस विशेषता का लाभ उठाने के प्रयास किए हैं। इससे एक तरफ निर्यात बढ़ेगा और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे कारीगरों के जीवन–स्तर में सुधार होगा। इस परंपरागत काम को मार्केटिंग और डिजाइन की नई पद्धतियों से भी जोड़ने की जरूरत है। तभी हमें पश्चिमी देशों के बाजार में सफलता मिलेगी।

इसमें फैशन डिजाइनरों की मदद भी चाहिए। इसके साथ रेशम, कालीन, दरी और ऊनी शॉल का काम है। ठप्पे की छपाई, रेशमी और सूती धागों को बांधकर तरह–तरह चीजें बनाने की पटुआ कला। जेवरात और रंगीन पत्थरों का काम, मीनाकारी, पत्थर तराशने का काम, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, तांबे और पीतल के बर्तन यानी ठठेरों का काम, चमड़े का काम, लकड़ी के खिलौने और कारपेंटरी, परिधान निर्माण जैसे परंपरागत काम हैं, जिनके साथ आधुनिक ज्ञान और मार्केटिंग के गुर जोड़े जाएं और साथ में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की मदद मिले तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। सरकार अब इसी दिशा में काम कर रही है।

भारत जैसे देश में गरीबी दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका यहां के पारंपरिक उद्यमों की हो सकती है। अक्सर उत्पादन के तौर–तरीकों में बदलाव से पारंपरिक उद्यमों को धक्का लगता है, क्योंकि वे नए तौर–तरीकों को जल्द ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसा भी नहीं कि वे उद्यम भावना में कच्चे होते हैं।

विश्व प्रसिद्ध ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद युनुस अक्सर गरीबों को स्वाभाविक उद्यमी कहते हैं। मार्केट गुरु स्वर्गीय सीके प्रह्लाद कारोबारियों से कहते थे कि वे 'बॉटम ऑफ पिरैमिड' पर फोकस करें। यदि उनके पास कौशल नहीं है तो वह उन्हें उपलब्ध कराएं। पारंपरिक उद्यमी संयोग से गरीब भी हैं। इसलिए वे वैश्विक प्रवृत्तियों से वाकिफ भी नहीं हैं।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का हिस्सा तकरीबन 8 फीसदी है। तकरीबन 3.6 करोड़ उद्यमों में इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ के आसपास लोगों को रोजगार मिला है। यदि संगठित तरीके से प्रयास किया जाए तो इन उद्यमों और सेवाओं के मार्फत अगले दशक में दस करोड़ नए लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं। सरकारी कार्यक्रम सन 2022 तक तकरीबन पचास करोड़ लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का है।

स्किल डेवलपमेंट

प्रधानमंत्री ने हुनर सिखाने का अभियान चलाया है स्किल डेवलपमेंट। यह हुनर नए और पुराने हर तरह के हुनर का है। परंपरागत शिल्पों के साथ आज भी काफी बड़ी आबादी की रोजी–रोटी जुड़ी है। उन्हें अपने काम के तरीके में थोड़ा बदलाव करके और उसकी तकनीक को सुधारकर बेहतर बाजार तक लाने की जरूरत है। थोड़ी–सी सावधानी बरतें तो इन उद्यमों के लिए वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण बजाय खतरा बनने के बेहतर मौके तैयार पैदा कर सकते हैं।

बुनकरों और कारीगरों के लिए अपने उत्पादों को बाजार में

सही जगह दिलाना भी मुश्किल होता है। इस क्रम में वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर हो जाते हैं, जो अच्छा–खासा लाभ कमाते हैं और बुनकरों व कारीगरों के हाथ में उचित कीमत के बजाय मामूली पारिश्रमिक ही आ पाता है।

सरकार वस्त्र एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास, विशेषकर तकनीकी उन्नयन, बुनियादी ढांचे के सृजन एवं कौशल विकास के लिए नीतिगत पहलों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है, जिनमें संशोधित तकनीकी उन्नयन कोष योजना और पावरटेक्स इंडिया स्कीम भी शामिल हैं। इसी तरह एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

गुजरात के गांधीनगर में 30 जून, 2017 से तीन दिन तक चले 'टेक्सटाइल्स इंडिया' कार्यक्रम में देश और विदेश के उद्यमियों, व्यापारियों और नीति–निर्माताओं ने विचार–विमर्श किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और लगभग 3,50,000 लाख रुपये का कारोबार हुआ। कार्यक्रम के दौरान 11,000 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के कुल 65 समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए गए।

सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में वस्त्रोद्योग के विकास पर खासतौर से ध्यान देना शुरू किया है। इसकी वजह यह है कि देश के सबसे सघन हथकरघा उद्यम पूर्वोत्तर में हैं। हाल में वस्त्र राज्यमंत्री अजय टम्टा ने लोकसभा में जानकारी दी कि सरकार ने परिधान एवं मेड–अप क्षेत्र में निवेश, रोजगार एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज लांच किया है।

इस विशेष पैकेज का उद्देश्य तीन वर्षों में एक करोड़ तक रोजगारों को सृजित करना, निर्यात में 31 अरब अमेरिकी डॉलर का इजाफा करना और 80 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना रहा है। इसके तहत अब तक 5728 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात और 25,345 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश सृजित हुआ है।

बुनकर कल्याण

व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत बुनकरों के कल्याण के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) इसमें आगे बढ़कर काम करता है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना अचानक आने वाली मुसीबतों में सहायता करती है। हाल में शुरू की गई 'आयुष्मान भारत' योजना बुनकरों के लिए भी मददगार होगी। सरकार बुनकर सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहन देती है।

22 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री ने दीनदयाल हस्तकला संकुल, वाराणसी के रूप में ट्रेड सेंटर और क्राफ्ट संग्रहालय की शुरुआत की। इसका लक्ष्य भी हथकरघा और ग्रामीण दस्तकारी का वैश्विक प्रसार है। कारीगरों और बुनकरों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा प्लेटफॉर्म का खासतौर से इस्तेमाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हथकरघा उत्पादों की ई–मार्केटिंग के लिए 21 सामग्रियों को शामिल किया गया है। 19 दिसंबर, 2016 के ई–धागा एप को लांच किया गया। इसका उद्देश्य बुनकरों की धागे की जरूरतों को ऑनलाइन पूरा करना है। हालांकि यह तकनीक से जुड़ा मसला है, पर पिछले साल ही 130.56 करोड़ रुपये के आदेश ई–धागा परियोजना में दिए गए। इसी तरह 4 जनवरी, 2017 को सरकार ने 1800–208–9988 नंबर से बुनकर मित्र हैल्पलाइन शुरू की है।

इसी तरह प्रशिक्षित बुनकरों को 90 फीसदी सब्सिडी के साथ हथकरघे और उसके उपकरणों की प्राप्ति के लिए हथकरघा संवर्धन सहायता योजना शुरू की। व्यापक–स्तर पर हथकरघा क्लस्टर विकास कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया है। देश में चार सौ के ऊपर क्लस्टर चल रहे हैं। 381 नए ब्लॉक–स्तर के क्लस्टर निर्माण की स्वीकृति पिछले वर्ष दी गई थी।

बुनकर परिवारों के छात्रों को पढ़ाई में सहायता देने के लिए इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय ओपन स्कूल संस्थान में हथकरघा बुनकरों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कपड़ा मंत्रालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे और महिला बुनकरों के परिवारों के मामले में शैक्षिक शुल्क का 75 प्रतिशत देगा। इन योजनाओं के अलावा अलग–अलग राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों में बुनकरों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को शुरू किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 'कबीर पुरस्कार' जैसी योजनाएं भी शामिल हैं, जो बुनकरों को प्रोत्साहित करेंगी।

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र देश के सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। देश के निर्यात क्षेत्र में हस्तशिल्प उत्पादों की अहम भूमिका है। इनमें पश्चिमी देशों की रूचि बढ़ रही है। वर्ष 2016–17 के दौरान भारत से कुल 24,392.39 करोड़ रुपये के हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात किया गया। गत वर्ष के मुकाबले हस्तशिल्प निर्यात में 13.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। देश भर में करीब 6 करोड़ लोग हस्तशिल्प और उससे संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में हथकरघा–हस्तशिल्प क्षेत्र में बहुत कम निवेश के साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने की अहम क्षमता है।

वस्त्र मंत्रालय की वित्तवर्ष 2016–17 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र ने क्रमशः 43.31 लाख और 68.86 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इन दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्यात से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही हथकरघा और हस्तशिल्प भारत की विरासत का मूल्यवान और अभिन्न अंग है, जिसे संरक्षित रखने और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : pjoshi23/gmail.com

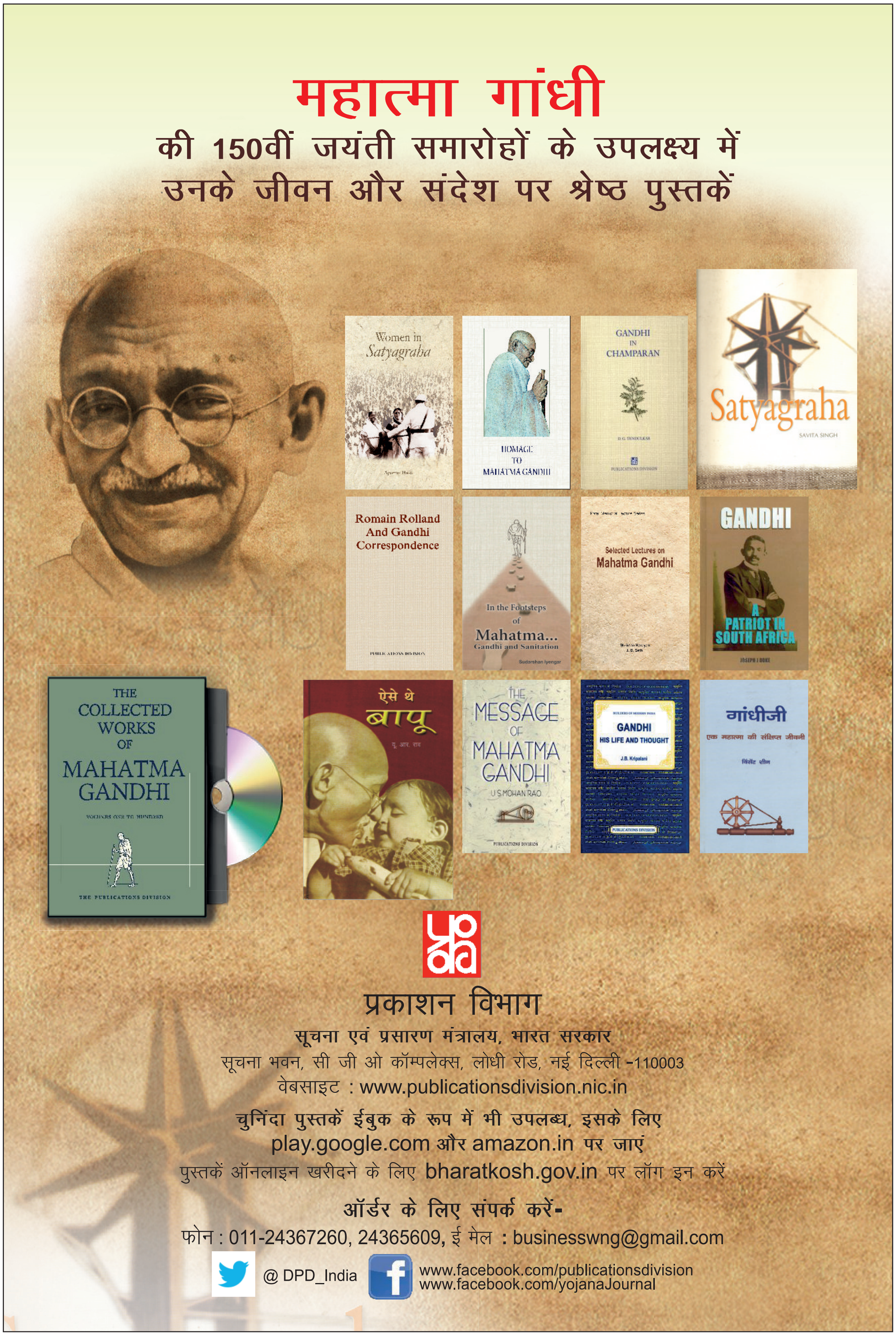
महात्मा गांधी
की 150वीं जयंती समारोहों के उपलक्ष्य में
उनके जीवन और संदेश पर श्रेष्ठ पुस्तकें
Women in Satyagraha
HOMAGE TO MAHATMA GANDHI
GANDHI IN CHAMPARAN
Satyagraha
SAVITA SINGH
Romain Rolland And Gandhi Correspondence
In the Footsteps of Mahatma... Gandhi and Sanitation
Selected Lectures on Mahatma Gandhi
GANDHI A PATRIOT IN SOUTH AFRICA
THE COLLECTED WORKS OF MAHATMA GANDHI
THE PUBLICATIONS DIVISION
ऐसे थे बापू
THE MESSAGE OF MAHATMA GANDHI
U.S. MOHAN RAO
GANDHI HIS LIFE AND THOUGHT
J.B. Kripalani
गांधीजी
एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
चुनिंदा पुस्तकें ईबुक के रूप में भी उपलब्ध, इसके लिए
play.google.com और amazon.in पर जाएं
पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkosh.gov.in पर लॉग इन करें
ऑर्डर के लिए संपर्क करें-
फोन : 011-24367260, 24365609, ई मेल : businesswng@gmail.com
@ DPD_India
www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

सबकी योजना, सबका विकास

–नरेंद्र सिंह तोमर

ग्राम पंचायत विकास योजना के अपेक्षित लक्ष्य और लाभ हासिल करने के लिए आवश्यक है कि ज़मीनी–स्तर पर पंचायत–प्रतिनिधियों, पंचायतकर्मियों, स्वयंसहायता समूहों, लाभग्राहियों और यहां तक कि आम जनता को इसके बारे में सही जानकारी हो। उन्हें गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने के लिए जरूरी सभी पहलुओं का पूरा ज्ञान हो, साथ ही उनमें इस योजना के माध्यम से स्थानीय विकास में सक्रिय भागीदारी का उत्साह भी हो। इन्हीं उद्देश्यों के साथ केंद्र सरकार 02 अक्तूबर, 2018 को 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत पूरे देश की 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।

आज देश–दुनिया के साथ हमारे गांव भी तेजी से बदल रहे हैं। इसमें उन्हें वर्तमान सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सरकार का पूरा ध्यान गांव, गरीब और किसान के विकास, उत्थान, कल्याण व खुशहाली सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। सरकार गांवों को लेकर बनी स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ पंचायती राज को प्रभावी योजनाओं के जरिए वास्तविकता के धरातल पर उतारने और मूर्त रूप देने की भरपूर कोशिश कर रही है। हम पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा–से–ज्यादा अधिकार–संपन्न और सशक्त बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम–स्वराज का संकल्प पूरा करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

पहले के मुकाबले बहुत कुछ बदला है और मौजूदा परिदृश्य में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र की सबसे छोटी, लेकिन पूरी तरह ज़मीन से जुड़ी इकाई–पंचायती राज संस्थाओं की देश को आगे ले जाने में अहम भूमिका है। पंचायत सही मायने में लोकतंत्र की बुनियाद है। इसकी मजबूती से ही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, इसे सरकार ने और सभी ने शिद्दत के साथ महसूस किया है। वास्तव में, पंचायत हमारे राष्ट्रीय जीवन की आधारशिला है, रीढ़ है, जिस पर संपूर्ण शासन व्यवस्था टिकी हुई है। पंचायतकर्मी और पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच कड़ी का काम करते हैं। इन लोगों के सहयोग से ही पंचायती राज प्रणाली का सुव्यवस्थित विकास संभव हो पाता है।

हमारे देश में, वैदिककाल से ही पंच–परमेश्वर की अवधारणा के रूप में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है, किंतु समकालीन पंचायती राज संस्थाएं इस अर्थ में नई हैं कि उन्हें काफी अधिकार, साधन एवं उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। पंचायतें लोकतंत्र की प्रयोगशाला के रूप में नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं। साथ ही, उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें स्वशासित संस्थाओं के तौर पर पहचान देने वाले 73वें संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज प्रणाली और पंचायतों को सही अर्थों में सशक्त, अधिकार–संपन्न और प्रभावपूर्ण बनाया है। हमारे देश में 2 लाख 48 हजार 160 ग्राम पंचायतें, 6284 ब्लॉक पंचायतें और 595 जिला पंचायतें हैं। पंचायतों के सभी स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 31 लाख है। इस तरह से भारत की पंचायती राज व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी पंचायतों की अहम भूमिका है। निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख 39 हजार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। पंचायती राज प्रणाली महिलाओं की स्थिति में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने तथा उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने में सफल हुई है। इसे निर्विवादः रूप से देश के राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक बदलाव लाने

वाली प्रक्रिया कहा जा सकता है। पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 33 से लेकर 50 फीसदी तक है। इस दृष्टि से यह कहना उचित ही होगा कि पंचायती राज प्रणाली महिलाओं व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वरदान साबित हुई है।

पंचायती राज व्यवस्था का सबसे सुखद सामाजिक पहलू यह है कि जहां इसने हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है, वहीं समाज के अति पिछड़े और वंचित तबकों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की है। पंचायतों में अनिवार्य आरक्षण के प्रावधान से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के दस लाख से अधिक प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थान मिला है।

24 अप्रैल, 1993 को अस्तित्व में आए 73वें संविधान संशोधन विधेयक को पंचायती राज प्रणाली के आधुनिक इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। इसके बावजूद विधेयक पास होने के लगभग दो दशकों तक इस पर खास ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र में वर्तमान सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक दृढ़ इच्छा–शक्ति और निष्ठापूर्ण प्रयासों के कारण जीवंत हुई पंचायती राज प्रणाली से ग्राम–स्तर पर विकास, सशक्तीकरण, अधिकारों के प्रति जागरूकता और सही मायनों में लोकतंत्र की क्रांति का सूत्रपात हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय, पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बना कर तथा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय शासन एवं स्थानीय विकास से जुड़े ज्यादा–से–ज्यादा अधिकार सौंपकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 'ग्राम स्वराज' की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का संकल्प पूरा करने में लगा हुआ है।

पंचायती राज प्रणाली को ज़मीनी–स्तर पर लागू करने के लिए केंद्र के गहन प्रयासों का सुखद नतीजा धीरे–धीरे सामने आ रहा है। विकास की नित नई कहानियां लिखी जा रही हैं। सच कहें, तो पंचायती राज प्रणाली ने हमारे गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। देश के कोने–कोने से इस प्रणाली की सफलता और उपलब्धियों की कहानियां सुनाई पड़ रही हैं। पंचायतों के माध्यम से वंचितों को उनका वांछित स्थान और हक मिल रहा है और वे विकास की राष्ट्रीय मुख्यधारा से सीधे जुड़ रहे हैं। यह हमारे समुदाय, समाज और राजनीतिक तंत्र के लिए भी सुखद संदेश है। दलितों, आदिवासियों व महिलाओं को उनका वाजिब हक मिलना, सही अर्थों में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का स्वप्न साकार करने के साथ, बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि है।

गांवों की तस्वीर बदलने में पंचायती राज व्यवस्था सफलता के नित नए सोपान तय कर रही है। गांव और गरीब हालांकि सभी सरकारों के एजेंडे में रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि वर्तमान सरकार ने इसे मिशन का रूप दिया है। गांव और गरीबों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं। इन्हें ज़मीनी–स्तर पर लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए और चलाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी का सपना था कि लोकतंत्र की गंगा का उद्गम और प्रवाह गांवों से हो, इसमें सबसे पहले पवित्र डुबकी लगाने का हक गांव, ग्रामीण, गरीब और किसान को मिले। ग्राम पंचायतें हर मामले में आत्मनिर्भर हों, वे स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आम सहमति के आधार पर अपनी योजनाओं का खाका खुद तैयार कर उनका कार्यान्वयन ईमानदारी से कर सकें। वे आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर न हों और उन्हें इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आजादी और अधिकार प्राप्त हों।

गांधीजी के इसी स्वप्न को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की शुरुआत की है। स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप योजना निर्माण के इस प्रयोग का असर धरातल पर दिखाई देने लगा है। हकीकत यही है कि अगर गांव के गरीबों और युवाओं को गांव में ही रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हों, तो गांव से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति अपने–आप रुक जाएगी। अगर गांव का व्यक्ति गांव के लिए सोचेगा और गांव के लिए ही कुछ–न–कुछ करेगा, तो गांव आगे बढ़ेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मौजूदा केंद्र सरकार गांवों के पारंपरिक ज्ञान और तकनीक का बेहतर उपयोग करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है।

इसमें कोई संशय नहीं कि ग्राम पंचायत विकास योजना

(जीपीडीपी) के तहत बनाई जा रही योजनाओं से गांवों में आर्थिक और सामाजिक समृद्धि आएगी और स्थानीय–स्तर पर अपेक्षित विकास हो सकेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना वर्तमान सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि स्थानीय जरूरतों के मुताबिक, अच्छी तरह सोच–समझकर बनाई जाने वाली गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना से गांव की समावेशी प्रगति का रास्ता खुलेगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों को अपने सभी बाह्य एवं आंतरिक स्रोतों– संसाधनों का समुचित प्रबंधन करते हुए सभी ग्रामवासियों की सहमति से ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का निर्माण करना होगा। वास्तव में, यह पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से एक नए भारत के निर्माण की दिशा में अहम कदम होगा। सरकार का लक्ष्य 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र को केंद्र में रखकर समस्त ग्रामवासियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। यह सच है कि जब तक गांव के सामाजिक–आर्थिक विकास के निर्णयों में गांव के पहले और अंतिम व्यक्ति की बराबर की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना से कोसों दूर रहेंगे। पंचायत व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था केवल तभी सशक्त और सुदृढ़ हो सकेगी, जब आम आदमी ग्रामसभा और ग्राम पंचायत से जुड़ी गतिविधियों और कार्यों में अपनी भागीदारी का महत्व समझेगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना के अपेक्षित लक्ष्य और लाभ हासिल करने के लिए आवश्यक है कि ज़मीनी–स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायतकर्मियों, स्वयंसहायता समूहों, लाभग्राहियों और यहां तक कि आम जनता को इसके बारे में सही जानकारी हो। उन्हें गुणवत्तापूर्ण जी.पी.डी.पी. तैयार करने के लिए जरूरी सभी पहलुओं का पूरा ज्ञान हो, साथ ही उनमें इस योजना के माध्यम से स्थानीय विकास में सक्रिय भागीदारी का उत्साह भी हो। इन्हीं उद्देश्यों के साथ सभी संबंधित पक्षकारों को इस विषय में प्रेरित करने, जागरूकता का प्रसार करने और ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन की तैयारी के लिए केंद्र सरकार 02 अक्तूबर, 2018 से 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत पूरे देश की 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। 'सबकी योजना, सबका विकास' नाम के इस महत्वाकांक्षी अभियान में ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में ज़मीनी–स्तर के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही, पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए कार्यों की पूरी तरह लेखा–परीक्षा भी कराई जाएगी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किए जा रहे इस व्यापक अभियान का समापन दिसंबर 2018 में होगा। इसके तहत देश की सभी ग्राम पंचायतों को पिछले 4 वर्षों के दौरान किए गए सभी कार्यों का ब्यौरा देते हुए एक नोटिस बोर्ड लगाना होगा। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि, उनके आवंटन का विवरण और वित्तवर्ष 2018–19 के दौरान प्रस्तावित विकास कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी भी नोटिस बोर्ड पर देनी होगी। इसके अंतर्गत ग्रामसभा की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएंगी और संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायतों को सौंपे गए सभी 29 क्षेत्रों से जुड़े प्रशिक्षित सहायकों को इन बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा। इन 29 क्षेत्रों में कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, समाज कल्याण, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार और मेले इत्यादि शामिल हैं। प्रशिक्षित सहायकों के तौर पर काम करने वालों में ग्राम सखी या मनरेगा से जुड़े कर्मचारी हो सकते हैं। इन सहायकों को पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि भविष्य के लिए उनकी योजनाएं क्या हैं? उन्हें वित्तीय ब्यौरे भी देने होंगे। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं आमतौर पर असंगठित स्वरूप में रही हैं, लेकिन इस साल से इन्हें ज्यादा–से–ज्यादा सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध बना दिया जाएगा। इसमें ज़मीनी–स्तर के लोगों की ज्यादा–से–ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि आम आदमी इस बारे में जान सके कि वह किन विकास गतिविधियों और लाभों का हकदार है और विकास कार्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है?

इस अभियान में अपेक्षित सफलता मिलने और 'ग्राम पंचायत विकास योजना' को सुव्यवस्थित तरीके से लागू किए जाने के बाद ग्राम पंचायतें सचमुच विकास की सूक्ष्म मॉडल बन सकती हैं। अब पंचायतों के लिए धनराशि की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने 2 लाख 292 करोड़ रुपये पंचायतों को सीधे प्रदान करने की स्वीकृति दी है।

गौरतलब है कि इससे पहले 13वें वित्त आयोग के तहत सभी त्रि–स्तरीय पंचायतों– जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के लिए कुल 63,051 करोड़ रुपये की अनुशंसा की गई थी, जबकि 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2 लाख 292 करोड़ रुपये अकेले ग्राम पंचायतों को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। यह वित्तीय प्रावधान 13वें वित्त आयोग की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा है। आज स्थिति यह है कि पंचायतों के पास केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा है, राज्य वित्त आयोग का पैसा है, मनरेगा से सहायता मिल रही है और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से भी निधियां पहुंच रही हैं। इस तरह अब पंचायतों के पास बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों के लिए और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। अगर इस धनराशि का उपयोग अच्छी तरह और योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, तो इससे बड़े पैमाने पर ऐसे विकास कार्य किए जा सकेंगे, जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देने वाले होंगे। इस अभियान के समापन के बाद प्रत्येक

ग्राम पंचायत की विकास योजना केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। आमतौर पर सभी राज्य इस योजना के प्रति उत्साहित और आशान्वित हैं।

यह अभियान केंद्र सरकार की 7 प्रमुख योजनाओं का शत–प्रतिशत आच्छादन और सभी पात्र व्यक्तियों को इनके दायरे में लाने के उद्देश्य से 2 चरणों में चलाया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान पूरा होने के कुछ ही समय बाद इसे शुरू किया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान से जुड़ी 7 प्रमुख योजनाएं हैः– मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, घरेलू बिजली कनेक्शन देने से जुड़ी सौभाग्य योजना, एल.ई.डी. बल्बों के वितरण से जुड़ी उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और टीकाकरण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम–मिशन इन्द्रधनुष।

ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ इस साल अप्रैल में किया गया और इसे 2 चरणों में लगभग 64,000 गांवों में चलाया गया। इनमें से ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी गई, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है। इसके अलावा, इसमें सामाजिक–आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े 117 आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया। 2 चरणों के इस अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं। इसके अंतर्गत 47.70 लाख से अधिक नए एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान किए गए। 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई। 65.50 लाख एल.ई.डी. बल्ब वितरित किए गए। करीब साढ़े 73 लाख नए जन–धन खाते खोले गए और 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया गया।

24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत बनाने और सफलता की राह में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं को दूर करने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना (आर.जी.एस.ए.) का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मंडला से किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर, वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और अधिक कुशल बनाना है। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक चार वर्षों के लिए किया जाएगा। इसके लिए 7255.50 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के जरिए सतत विकास लक्ष्यों पर प्रभावपूर्ण तरीके से काम करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक क्षमता का विकास किया जाएगा।

बेहतर सेवा प्रदायगी और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों में ई–गवर्नेंस और प्रौद्यागिकी आधारित समाधानों पर बल दिया जाएगा। इसमें पंचायतों के निजी राजस्व–स्रोत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं को इस योजना के जरिए बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधन और परिणामोन्मुखी प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानक हासिल करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा सरकार द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण प्रयासों के नतीजे, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दिए हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना– स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायतों ने देश को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाने में जो योगदान दिया है, वह अत्यंत सराहनीय है। स्वच्छ भारत मिशन को एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप देने में ग्राम पंचायतों की प्रमुख भूमिका रही है। इसे एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों ने रात–दिन एक कर दिया है और यह उनके अथक प्रयासों और उत्साह का ही परिणाम है कि 2 अक्तूबर, 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता दायरा वर्ष 2014 के 38.70 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान समय में लगभग 92.60 प्रतिशत हो गया है। आज पूरे देश के 20 राज्य, 451 जिले, 1,98,777 ग्राम पंचायतें, 4442 ब्लॉक और 4,46,000 से अधिक गांव ओ.डी.एफ. हो गए हैं। इनमें से 3 लाख 67 हजार 507 गांवों का सत्यापन भी कर लिया गया है। 2 अक्तूबर, 2014 से अब तक 8 करोड़ 43 लाख 17 हजार से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। मौजूदा समय में 14 करोड़ 68 लाख 12 हजार से अधिक परिवारों के पास व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की संख्या 18,293 हो गई है। वास्तव में पंचायतों, पंचायतकर्मियों एवं प्रतिनिधियों के सक्रिय और ईमानदारीपूर्ण सहयोग के बिना स्वच्छ भारत मिशन की इस उपलब्धि की कल्पना तक नहीं की जा सकती।

मौजूदा समय में केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। ई–गवर्नेंस से संबंधित अवसंरचना और उपकरण उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने और एक्सपोजर दौरों के लिए भी राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायतकर्मियों को श्रव्य, दृश्य तथा एनिमेशन फिल्मों के जरिए उनकी जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन सब प्रयासों के परिणाम भी बेहद सुखद और आशाओं–अपेक्षाओं के अनुरूप रहे हैं। हमारे गांव बदल रहे हैं। गांवों के कायाकल्प से देश बदल रहा है। बदलाव की यह सुखद बयार हर गांव और गांव के हर आंगन तक पहुंचे, सरकार इस दिशा में संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। आवश्यकता है इस बात की, कि गांव का हर व्यक्ति इसे अपना पहला कर्तव्य मानते हुए, राष्ट्र निर्माण के हवन में अपने हिस्से की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहे।

(लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खान मंत्री है।)

ई–मेल : mord.kb@gmail.com

नई प्रौद्योगिकी से उद्योगों की बढ़ती संभावनाएं

–बालेन्दु शर्मा दाधीच

देश में उभर रहे सकारात्मक आर्थिक, कारोबारी और तकनीकी माहौल से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। नवीन प्रौद्योगिकी उनके विकास और समृद्धि में अप्रत्याशित भूमिका निभा सकती है। केंद्र सरकार को इस बात का अहसास है जो उसके बजट से लेकर विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं से स्पष्ट होता है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस क्षेत्र का कायाकल्प करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका प्रभावशाली और निर्णायक रहने वाली है।

लघु और मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह क्षेत्र नवोन्मेष और रोजगार का प्रमुख स्रोत तो है ही, देश में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत में पांच करोड़ से ज्यादा लघु और मध्यम उद्योग पहले से ही हैं और उपभोक्ता की बढ़ती क्रयशक्ति, उपभोक्तावाद के विकास और बढ़ावा देने वाली नीतियों के चलते उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां तक संसाधनों और प्रौद्योगिकी का सवाल है, इस निरंतर बढ़ते हुए क्षेत्र की जरूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं। उसे अधिक उत्पादक, अधिक गुणवत्ता–संपन्न और लाभप्रद बनाने के साथ–साथ उसके दायरे का विस्तार करने में भी प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका हो सकती है। भारत सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए लघु और मध्यम उद्यमों की प्रौद्योगिकीय सक्षमता बढ़ाने, उसका उन्नयन करने, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा प्रशिक्षण के लिए कई योजनाएं तथा कार्यक्रम चला रही है।

मास्टर कार्ड और भारतीय व्यापारी परिसंघ की ओर से जारी की गई 'माइक्रो मर्चेंट मार्केट साइजिंग एंड प्रोफाइलिंग' नामक रिपोर्ट के अनुसार लघु और मध्यम उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियों की तुलना में लगभग तीन गुना योगदान दे रहे हैं। करीब 46 करोड़ लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र हर साल 11.5 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। लेकिन इस क्षेत्र की अनेक समस्याएं भी हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई ये समस्याएं भी शामिल हैं– तकनीक के बारे में नवीनतम जानकारी का अभाव, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल की कमी, प्रौद्योगिकी में दक्षता रखने वाले कर्मचारियों को नौकरियों के लिए आकर्षित करने की चुनौती और आधारभूत तकनीकी सुविधाओं का अभाव।

आज इंटरनेट हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने, पहुंच बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, संसाधनों को आसानी से जुटाने और संचार को सुगम बनाने में मदद कर रहा है। लघु और मध्यम उद्यम वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। उद्यमी इंटरनेट का प्रयोग करके नए बाजारों तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं जो उनके लिए पहले संभव नहीं था। जितनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता और सप्लायर इंटरनेट और मोबाइल माध्यमों से जुड़ रहे हैं, उसी संख्या में लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो उद्यम इंटरनेट से जुड़े हैं, वे इंटरनेट से दूर रहने वाले उद्यमों की तुलना में दो गुना तेजी से विकास करने में सफल हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में इस वर्ग को इंटरनेट में निहित संभावनाओं के प्रति सजग बनाना उनके अपने हित में भी है और हमारी अर्थव्यवस्था के हित में भी।

संयोगवश, इस समय सिर्फ 32 प्रतिशत छोटे उद्यमी इंटरनेट

पर मौजूद हैं इसलिए इस क्षेत्र में काम करने की बहुत अधिक गुंजाइश है। न सिर्फ उद्यमों को नई तकनीकों से जोड़ने की जरूरत है बल्कि जो पहले से तकनीकी रूप से जागरूक हैं, उन्हें भी बेहतर परिणामों और कार्यकुशलता के लिए अपनी मौजूदा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

यह एक सुखद तथ्य है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इस क्षेत्र की तकनीकी सीमाओं और समस्याओं के समाधान में जुटे हैं।

मंत्रालय के राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के तहत इस वर्ग के उद्यमियों को सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अनुप्रयोगों और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत वेबपोर्टलों का विकास, स्थानीय सॉफ्टवेयर समाधानों की व्यवस्था, कर्मचारियों को ई–साक्षरता प्रशिक्षण और ई–तैयारी केंद्र स्थापित करने में मदद दी जाती है। उद्यमियों को कम ऊर्जा खर्च करने वाली तकनीकों के प्रयोग की जानकारी दी जाती है और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल करने में मदद की जाती है।

सितंबर 2014 में जारी किए गए भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यम काफी लाभान्वित हुए हैं। इसने उन्हें निवेश आमंत्रित करने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने, कौशल विकास, बौद्धिक संपदा के संरक्षण और अत्याधुनिक विनिर्माण संरचनाओं के विकास में मदद की है।

'स्किल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यमों सहित तमाम आकार के उद्यमों को तकनीकी, व्यावहारिक, वित्तीय, डिजिटल और उद्योग–अनुकूल सैद्धांतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षण, प्रशिक्षण और परियोजनामूलक सहायता दी जाती है।

केंद्र सरकार की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम–सिप्स) के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के दायरे में आने वाले लघु और मध्यम उद्यमों को 20 प्रतिशत और गैर–सेज उद्यमों को 25 फीसदी का अनुदान दिया जाता है। ये उद्यम वे हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, एरोनॉटिक्स, ऑटोमोटिव और नवीकृत तथा गैर–नवीकृत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण में लगे हैं।

तकनीकी हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, दूरसंचार, नेटवर्किंग, कंप्यूटर विज़न, डिजाइन, हरित प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों के लिए 25 लाख रुपये की सहायता की व्यवस्था न्यूजेन इनोवेशन एंड एंटरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर के रूप में उपलब्ध है।

अटल नवाचार मिशन के तहत केंद्र सरकार देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में जुटी है। इसके तहत प्रौद्योगिकी से संचालित क्षेत्रों में नवाचार केंद्रों की स्थापना, स्टार्टअप उद्यमों को प्रोत्साहन देने और स्वरोजगार की अन्य गतिविधियों के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

जो उद्यमी अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के इच्छुक हैं और सभी नियमों के अंतर्गत पात्रता रखते हैं, ऐसे केंद्रों के लिए, अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए, दस करोड़ रुपये की ग्रांट–इन–एड (सहायता अनुदान) की व्यवस्था है।

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के तहत लघु और मध्यम उद्यमियों को बेहतर तकनीक के प्रयोग के लिए एक करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त निवेश पर 15 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। इसके दायरे में 7500 उत्पाद शामिल हैं जो भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। पात्र उद्यमी इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए सिडबी, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक आदि से संपर्क कर सकते हैं। इन उद्यमों को ऊर्जा–सक्षम प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए भी अलग से मदद दी जाती है।

''एक अध्ययन के अनुसार जो उद्यम इंटरनेट से जुड़े हैं, वे इंटरनेट से दूर रहने वाले उद्यमों की तुलना में दो गुना तेजी से विकास करने में सफल हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में इस वर्ग को इंटरनेट में निहित संभावनाओं के प्रति सजग बनाना उनके अपने हित में भी है और हमारी अर्थव्यवस्था के हित में भी।''

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम देश भर में फैले अपने एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्रों (एनटीएससी) और उनके विस्तार केंद्रों तथा उपकेंद्रों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इन केंद्रों के माध्यम से तकनीकी सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रशिक्षण तथा परीक्षण, सामान्य सुविधाओं, टूल किट्स, पर्यावरण प्रबंधन आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं।

केंद्र सरकार के अभियानों, कार्यक्रमों और योजनाओं से लघु और मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष लाभ ही नहीं हुआ, इनसे देश में ऐसा माहौल बना है जिसके तहत इस वर्ग के उद्यम नई तकनीकों से अधिकाधिक लाभान्वित हो सकते हैं। अब इन उद्यमों की दृष्टि परंपरागत उद्योगों तक सीमित नहीं है और वे आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स और क्लाउड (स्मैक) के बारे में कहा जाता है कि वह भारतीय औद्योगिक मानचित्र की तस्वीर बदलने में सक्षम है। खुशी की बात है कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदि कार्यक्रमों से इन नए प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों के प्रति आकर्षण और दिलचस्पी बढ़ी है, जिसका इन उद्यमों को त्वरित तथा दीर्घकालीन लाभ हो सकता है। सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनियों के संगठन नैसकॉम का मानना है कि स्मैक के क्षेत्र में 2020 तक तीस प्रतिशत की वृद्धि संभावित है और इस प्रक्रिया में एसएमई क्षेत्र की अग्रणी भूमिका हो सकती है।

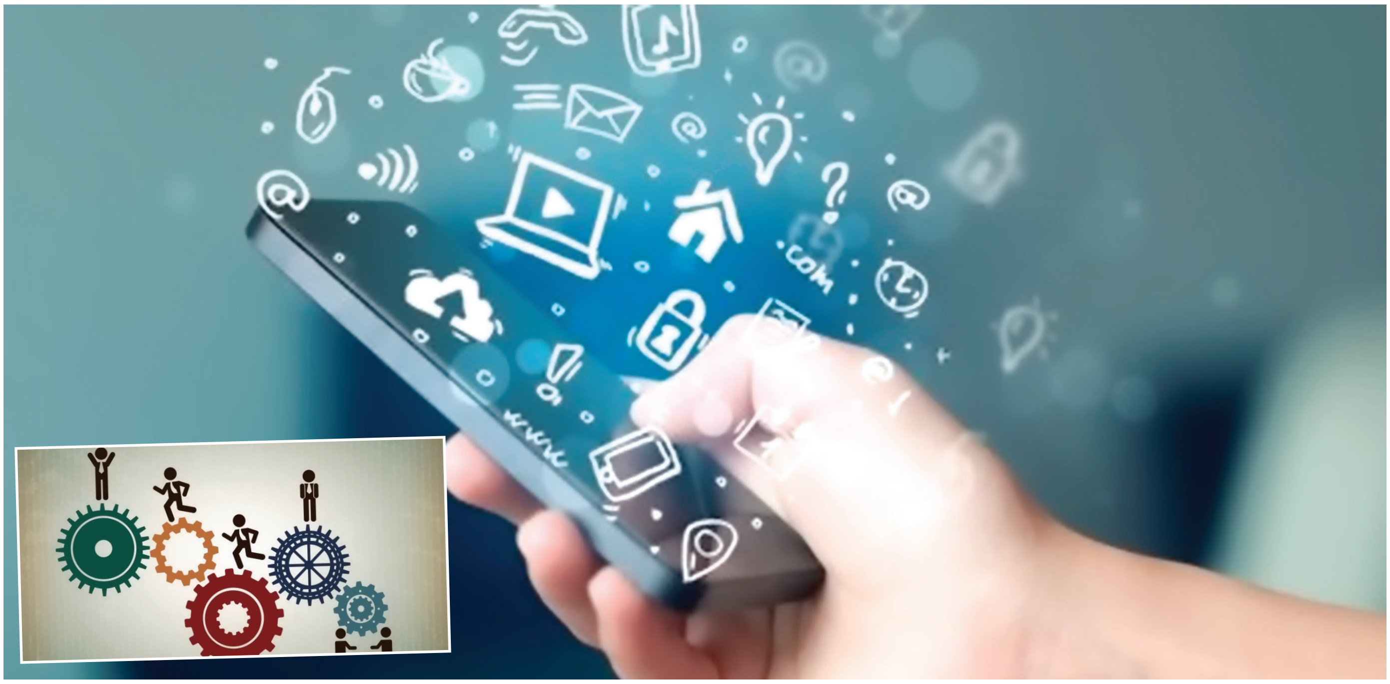

इस क्षेत्र में नैसकॉम और सरकार के आशावाद के अनेक कारण हैं, जैसे–

- 3जी और 4जी नेटवर्कों की ओर आसान पहुंच सुनिश्चित करने वाले स्मार्ट उपकरणों की संख्या में आशातीत वृद्धि।
- सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता।
- कारोबारी संस्थानों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले डाटा की मात्रा में अथाह वृद्धि। आज कारोबारों के विभिन्न पहलुओं से संबंध रखने वाला डाटा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- एनालिटिक्स के क्षेत्र में हुई प्रगति, जिसकी वजह से आज डाटा का विश्लेषण करना बहुत आसान हो गया है और लघु तथा मध्यम उद्यम भी अपने स्तर पर इसका लाभ उठाने में सक्षम हो गए हैं।
- क्लाउड तकनीकों का आगमन जिन्होंने उद्यमों को मोबिलिटी और एनालिटिक्स समाधानों का कम लागत पर इस्तेमाल करने का रास्ता खोल दिया है।

और भी अनेक ऐसी तकनीकें हैं जिनमें इस वर्ग के उद्यमी दिलचस्पी ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रोबोटिक्स और स्वचालन। बहुत से उद्योंगों ने इन्हें अपनाया है और अपनी उत्पादकता का कायाकल्प कर लिया है। जिन्होंने भारतीय एसएमई सेक्टर के बदलते चेहरे को ध्यान से नहीं देखा है, उन्हें शायद इस तथ्य पर यकीन नहीं होगा कि देश के 59 प्रतिशत लघु और मध्यम उद्यम किसी न किसी रूप में रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। प्राइसवाटर हाउसकूपर्स के एक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष सामने आया है।

जिन्होंने भारतीय एसएमई सेक्टर के बदलते चेहरे को ध्यान से नहीं देखा है, उन्हें शायद इस तथ्य पर यकीन नहीं होगा कि देश के 59 प्रतिशत लघु और मध्यम उद्यम किसी न किसी रूप में रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। प्राइसवाटर हाउसकूपर्स के एक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष सामने आया है।

एक अन्य क्षेत्र, जिसमें सरकार के प्रोत्साहन और जागरूकता निर्माण से काफी प्रभाव पड़ा है, वह है कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा मशीन लर्निंग का। इन नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके इस क्षेत्र के उद्यम अपनी कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल, कार्यकुशल, तेज–तर्रार और लाभप्रद बना सकते हैं। आज सरकारी विभागों के साथ–साथ देशी–विदेशी कंपनियां भी उनके सहयोग के लिए आगे आई हैं क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में टिकाऊ कारोबारी वातावरण के निर्माण की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इन कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के नाम प्रमुख हैं।

संक्षेप में, देश में उभर रहे सकारात्मक आर्थिक, कारोबारी और तकनीकी माहौल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। नवीन प्रौद्योगिकी उनके विकास और समृद्धि में अप्रत्याशित भूमिका निभा सकती है। केंद्र सरकार को इस बात का अहसास है जो उसके बजट से लेकर विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं से स्पष्ट होता है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस क्षेत्र का कायाकल्प करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका प्रभावशाली और निर्णायक रहने वाली है।

(लेखक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं।)

ई–मेल : balendu@gmail.com

सूक्ष्म और लघु उद्योगों की नवाचार क्षमता चुनौतियां और अवसर

–शाश्वत सिंह, हिमानी सचदेवा

भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की नवाचार क्षमता को विकसित करने के लिए उपयुक्त नीति एवं योजनाएं बनाई हैं। निकट भविष्य में, इन नीतियों और योजनाओं के फलस्वरूप, भारतीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों का अपार विकास होगा और एक सुदृढ़ व्यवस्था का सृजन होगा, जो भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को एक नई ऊर्जा एवं गति देगा।

किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सुदृढ़ औद्योगिक पृष्ठभूमि का विशेष महत्व होता है। औद्योगिक विकास से केवल निर्यात और उपभोग की वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं होती, साथ ही साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होता है। अतः औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि बड़े उपक्रमों के साथ–साथ सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास के अनेक लाभ हैं। ऐसे उद्यमों के लगाने में बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे उद्योग रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म और लघु प्रतिष्ठानों की राष्ट्रीय आय और धन का अधिकाधिक समान वितरण करवाने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने एवं ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में विशेष भूमिका होती है। ऐसे उद्यम बड़े उद्योगों की सहायक इकाईयों के रूप में पूरक भी होते हैं। इस प्रकार के उद्योग युवा पीढ़ी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं महिलाओं को रोजगार के द्वारा स्वावलंबी बनाने में विशेष योगदान देते हैं और देश के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः विकासशील देशों, जैसेकि भारत, के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इनकी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

मौजूदा आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारत के विकास में अच्छा योगदान दे रहे हैं, यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनके योगदान को और बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार इन उद्यमों का देश के सकल मूल्यवर्धन में 32 प्रतिशत योगदान रहा है। उसी वर्ष में 633.8 लाख असमायोजित गैर–कृषि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों ने 11.10 करोड़ लोगों को सेवायोजन का अवसर प्रदान किया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इन उद्योगों का हिस्सा लगभग 31 प्रतिशत है तथा रोजगार के क्षेत्र में इनका योगदान लगभग 60 प्रतिशत है।

इन सकारात्मक आंकड़ों के बावजूद भारत में लघु और सूक्ष्म

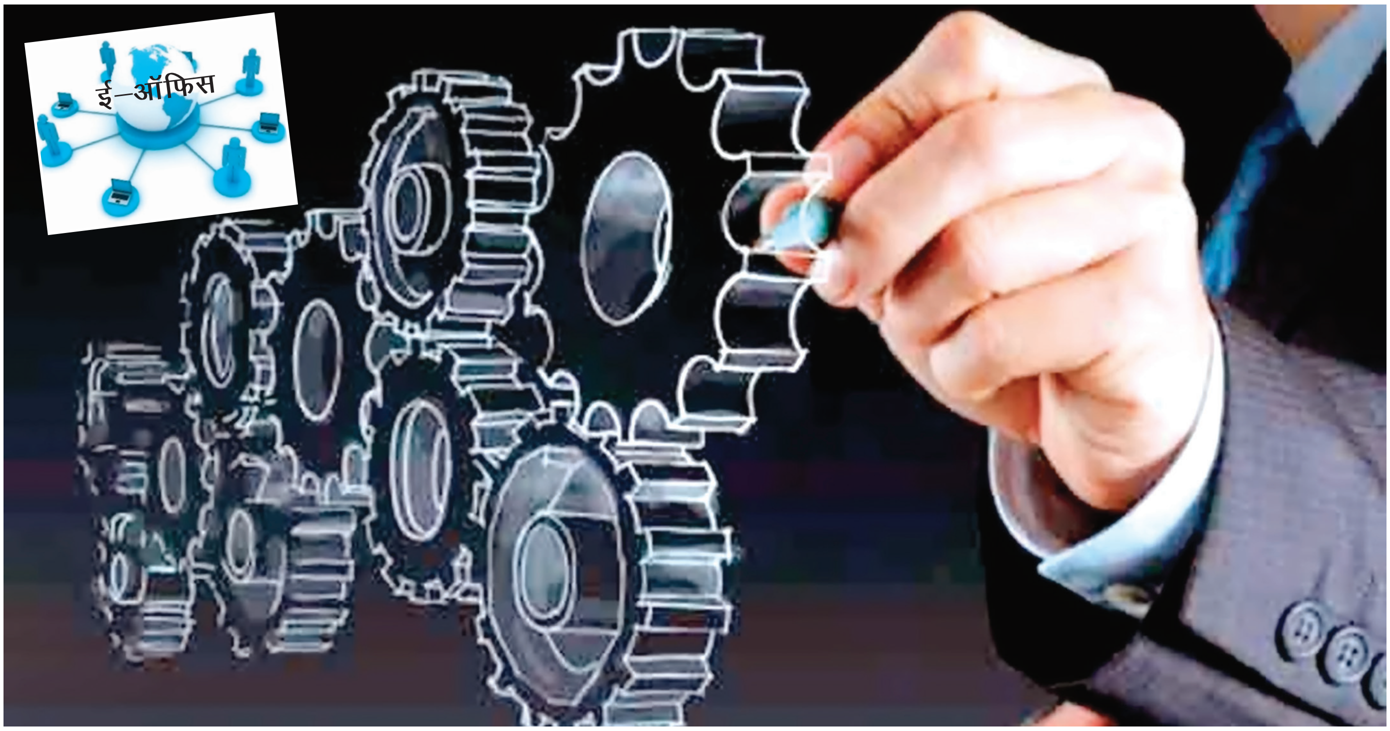

उद्यमों को कई प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है— जैसे जरुरत के समय ऋण मिलने में बाधा, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिक पिछड़ापन, समुचित बाजार—संबंधी सूचना की अनुपलब्धता, कुशल मानव संसाधन का अभाव इत्यादि। इन अवरोधों से जूझने के लिए सुदृढ़ नवाचार के माध्यम से इन उद्यमों की बड़ी सहायता हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि उन चुनौतियों पर विचार किया जाए जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों की नवाचार क्षमता को पनपने नहीं देती, ताकि उनके निराकरण के लिए कदम उठाए जा सकें।

मानव संसाधन

कुशल मानव संसाधन नवाचार क्षमता के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उचित अनुसंधान एवं विकास के लिए वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं की उपलब्धता जरूरी है। संस्थागत और विपणन संबंधी नवोन्मेष के लिए कुशल प्रबंधकों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश, सूक्ष्म और लघु उद्योग ऐसे विशेषज्ञों एवं प्रबंधकों को वित्तीय तथा अन्य संस्थागत संसाधनों की कमी के कारण नियोजित नहीं कर पाते। उचित मानव संसाधन की कमी के कारण इन प्रतिष्ठानों की नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चुनौती से उबरने के लिए अपेक्षित है कि सूक्ष्म और लघु उद्योग अपने आंतरिक मानव संसाधन की क्षमता के निर्माण पर बल दें। साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था की उपलब्धता भी आवश्यक है जो इन उपक्रमों को जरुरत के अनुसार कुशल प्रबंधक एवं कर्मचारी उपलब्ध करा सके।

वित्तपोषण

संस्थागत नवाचार क्षमता को विकसित करने के लिए प्रचुर पूंजी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म और लघु उद्योग सामान्यतः आंतरिक वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इतनी अधिक रकम जुटाने में असमर्थ रहते हैं। ऋण मिलने में होने वाली असुविधा अथवा उसके मिलने में लगने वाला समय उनकी समस्याओं को और बढ़ाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे नवोन्मेष की लागत में कमी आए और उसके लिए मिलने वाला ऋण भी बिना किसी असुविधा के उपलब्ध हो जाए। यह भी आवश्यक है कि सूक्ष्म और लघु उद्योग वित्तीय रूप से स्वावलंबी हों ताकि वह अपनी—अपनी आंतरिक नवाचार क्षमता का विकास कर सकें।

सूचना

सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाईयों में नवाचार के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनका अन्य घरेलू उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, तकनीकों तथा अर्थव्यवस्थाओं से आदान—प्रदान बना रहे। यह आदान—प्रदान आधुनिक प्रतियोगी वातावरण में इनकी समृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। इनका अभाव सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था का उन्नयन किया जाए जिससे सभी आवश्यक जानकारियां इन उद्यमों को समय पर उपलब्ध हो जाएं। इस चुनौती से उबरने के लिए यह भी जरूरी है कि सूक्ष्म और लघु उपक्रम तथा बाजार एक मजबूत कड़ी द्वारा जुड़े रहें। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार और उद्योग—संघों को भी एकजुट होकर काम करने की जरुरत है।

आधारिक संरचना

यथोचित आधारिक संरचना की उपलब्धता और उनका अभिगम अनुसंधान एवं विकास संबंधी नवाचार क्षमता की अभिवृद्धि में निर्णायक भूमिका निभाता है। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में अधिकतर सूक्ष्म और लघु प्रतिष्ठानों को मूलभूत अनुसंधान की सुविधा भी नहीं मिल पाती। चूंकि ऐसी अनुसंधानिक इकाइयों के निर्माण की लागत इन उद्यमों के सामर्थ्य से अधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सरकार और उद्योग—संघों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपसी सहयोग से भी लघु एवं सूक्ष्म इकाईयां आधारिक संरचना की कमी को दूर कर सकती हैं।

बाजार

उत्पाद तथा बाजार संबंधी नवोन्मेष के लिए आवश्यक है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और बाजार की अवस्था— जैसे प्रतिस्पर्धा स्तर, संरक्षणवाद, प्रभुत्व, मांग आदि के बीच उचित समन्वय रहे। अगर उनके उत्पादों की मांग में अनिश्चितता रहेगी तो ऐसे उद्योग नवाचार पर ध्यान नहीं देंगे। उनकी इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह होगा कि वह देशीय और वैश्विक—स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और अंततः बाजार से गायब हो जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की क्षमता इतनी विकसित की जाए कि वो बाजार की संभावनाओं को पहचान सकें और उपयुक्त नवोन्मेष नीति बना सकें।

सरकारी नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यमों की नवाचार क्षमता पर सरकारी नीति का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से नवाचार के हर पहलू— जैसे तकनीकी तथा वित्तीय अभिगम, मानव संसाधन विकास, जागरूकता और अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता आदि को प्रभावित कर सकती है। यह कथन अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत जैसे विकासशील देशों में नवाचार क्षमता के विकास के लिए सरकार एकमात्र सबसे बड़ी भूमिका निभाने की शक्ति रखती है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि सरकार की नीयत और छवि नवोन्मेष को गति प्रदान करने वाली बनी रहे। भारत सरकार ने इस तथ्य की महत्ता को समझते हुए नवाचार क्षमता के विकास के लिए उपयुक्त नीतियां बनायी हैं और कई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वन भी कर रही है जिससे हमारे देश में नवाचार संस्कृति का प्रचार—प्रसार हो रहा हैं और नए अवसर लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आगे दी जा रही है।

एस्पायर योजना

रोजगार एवं उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015 में 'नवाचार, कृषि उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए

योजना' प्रारम्भ की है। इस योजना का मूल उद्देश्य 100 आजीविका और 20 प्रौद्योगिकी संबंधित व्यावसायिक इन्क्यूबेटरों की स्थापना करना है। वर्ष 2018–19 के आम बजट अनुमान में इस योजना के लिए 232 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम

यह कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2007–08 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन उद्यमों में तकनीकी उन्नयन करना है। इस वर्ष के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 1006 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए साख गारंटी कोष (सीजीटी–एमएसई)

इस कोष की स्थापना का मूल कारण ऐसे सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपने उद्यमिक विकास के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु आनुषंगिक सुरक्षा देने में असमर्थ रहते हैं। इस कोष को 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ–साथ संबंधित योजना में अन्य ढांचागत सुधार भी लाए गए हैं ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के वित्तपोषण में असुविधा न हो और रोजगार के नए अवसर भी जन्म ले सकें।

स्फूर्ति योजना

खादी, ग्राम एवं कॉयर क्षेत्र के परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना तथा ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि परंपरागत एवं ग्रामीण उद्योगों में सेवायोजन के अपार अवसर जन्म ले सकें।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त, 2008 को किया गया था। इस वर्ष के बजट अनुमान में इस कार्यक्रम के लिए 1800 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस आवंटन से गैर–कृषि क्षेत्र के लगभग 88000 सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना की जाएगी जिससे स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

सौर चरखा मिशन

गैर–परंपरागत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए 27 जून, 2018 को सौर चरखा मिशन की शुरुआत हुई है। इस मिशन में 50 समूह होंगे और प्रत्येक समूह में 400 से 2000 कारीगरों को सेवायोजन का मौका दिया जाएगा। इस मिशन के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कारीगरों के लिए 550 करोड़ रुपये की अनुवृत्ति प्रदान करेगा।

व्यापार इलेक्ट्रॉनिक प्राप्य छूट प्रणाली

बैंकों को इस प्रणाली व्यवस्था पर लाया जाएगा और इसे वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क से भी जोड़े जाने की घोषणा की गई है। इस प्रणाली के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को देरी से होने वाले भुगतान की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

अन्य पहलें

- भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 के आम बजट में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के उचित वित्तपोषण और नवाचार क्षमता की अभिवृद्धि के लिए 3794 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- इन उद्योगों को बढ़ाने के वास्ते मुद्रा योजना में भी 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
- पिछले वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत कर देने की घोषणा की गई। इस प्रावधान से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी जिसे नवाचार क्षमता के विकास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए 2018–19 के बजट में 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- खादी अनुदान के तहत बजट में 415 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है।
- समावेशी विकास के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2018–19 के बजट में अनुसूचित जाति तथा जनजाति से आने वाले कारोबारियों के उद्यम में वृद्धि के लिए एक राष्ट्रीय हब के तहत 93.96 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विभिन्न योजनाओं के तहत ऐसे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय घटकों के लिए भी बजट विविदान में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम करें। वर्ष 2018 के वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में भारत 57वें स्थान पर रहा है। विगत वर्षों की तुलना में हमारा देश निरंतर सुधार की ओर अग्रसर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे–जैसे यह प्रवृत्ति हमारे देश में बढ़ेगी वैसे–वैसे नवाचार के नए अवसर भी प्रकट होंगे और उद्योग एवं रोजगार का साधन भी बनेंगे।

भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की नवाचार क्षमता को विकसित करने के लिए उपयुक्त नीति एवं योजनाएं बनाई हैं। निकट भविष्य में, इन नीतियों और योजनाओं के फलस्वरूप, भारतीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों का तेजी से विकास होगा और एक सुदृढ़ व्यवस्था का सृजन होगा, जो भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को एक नई ऊर्जा एवं गति देगा।

(लेखक नीति आयोग में युवा पेशेवर हैं। यह लेख उनके व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है।)
ई–मेल : **himanisachdeva07@gmail.com**

एमएसएमई के विकास के लिए बाजार लिंक जरूरी

–हरिकिशन शर्मा

एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों को उनके उत्पादों की मार्केटिंग रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उत्पाद विकास और विपणन के लिए पेशेवर नीति अपनाए जाने की दरकार है। तभी इस क्षेत्र के उत्पादों की बिक्री को बढ़ाया जा सकेगा। सरकार ने हाल के वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं; आवश्यकता इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेशनल सेंपल सर्वे के 73वें राउंड (2015–16) के अनुसार भारत में एमएसएमई क्षेत्र में 6.34 करोड़ यूनिटें हैं। एमएसएमई क्षेत्र ने देश में 11.10 करोड़ नौकरियों का सृजन किया है। इसलिए आर्थिक विकास में इनका अहम योगदान है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तकरीबन एक तिहाई योगदान एमएसएमई क्षेत्र का ही है। वर्ष 2014–15 में जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र की मैन्युफेक्चरिंग इकाइयों का योगदान करीब 6.11 प्रतिशत और सेवाप्रदात्ता कंपनियों का योगदान 24.63 प्रतिशत था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र में तो एमएसएमई इकाइयों का योगदान धीमे–धीमे बढ़ा है लेकिन मैन्युफैक्चंरिंग में यह स्थिर बना हुआ है। इसलिए इन उद्यमों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जा रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान हैं और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं। हालांकि अब भी इस क्षेत्र की क्षमताओं और संभावनाओं का पूरी तरह दोहन नहीं हुआ है। इसकी मुख्य वजह यह है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों की बाजार तक पहुंच नहीं है। अगर एमएसएमई के विकास के लिए सही योजना और बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल जाएं तो इस क्षेत्र का जीडीपी योगदान बढ़ जाएगा। साथ ही, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। यही वजह है कि सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास और बाजार प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं शुरु की हैं। इनमें उद्योग आधार मेमोरंडम, फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडीशनल इंडस्ट्रीज (स्फूर्ति), स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंट्रप्रीन्योशिप (अस्पायर), नेशनल एससी–एसटी हब स्कीम और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएसएमई योजनाएं प्रमुख हैं। इन योजनाओं का मकसद छोटे और मझोले उद्यमों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्धा कराना, तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण, समन्वित ढांचागत सुविधाएं, आधुनिक परीक्षण सुविधाएं, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों तक पहुंच, उद्यमिता विकास और कौशल प्रशिक्षण, उत्पाद विकास के लिए मदद, डिजाईन और पैकेजिंग, हस्तशिल्पियों और कामगारों का कल्याण, घरेलू और विदेशी बाजार के लिए बेहतर संपर्क स्थापित करना है। वर्तमान सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने पर खासा जोर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी योजनाओं के रूप में बीते कुछ वर्षों में सरकार ने एमएसएमई उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक कई पहल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लांच की तो उसी समय स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में छोटे और मझोले उद्योग सबसे ऊपर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, बड़े–बड़े उद्योग सिर्फ एक करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार देते हैं 5 करोड़ छोटे व मझोले उद्यमी 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। **आज लगभग तीन साल बाद जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि 12 करोड़ से अधिक उद्यमियों को इसका लाभ मिल चुका है और अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं।** बड़े उद्योगों में जहां अधिक पूंजी लागत पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं जबकि एमएसएमई थोड़ी–सी पूंजी लगाकर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने अधिकाधिक इकाइयों को इन योजनाओं का लाभ देने के इरादे से एमएसएमई की परिभाषा को भी व्यापक बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के मौजूदा आधार– 'संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश' को बदलकर 'वार्षिक कारोबार' करने का फैसला किया है। साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के लिए अलग–अलग परिभाषाओं को भी खत्म करने का प्रस्ताव किया है। वास्तव में एमएसएमई की नई परिभाषा से व्यवसाय करने में आसानी होगी। इसके परिणामस्वरूप प्रगति बढ़ेगी तथा देश के एमएसएमई क्षेत्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।

एमएसएमई क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता

एमएसएमई क्षेत्र की देश से होने वाले कुल निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार की विदेश व्यापार नीति में इस तथ्य को रेखांकित करते हुए एमएसएमई क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय भी किए गए हैं। इसके तहत छोटे और मझोले निर्यातकों को इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम के तहत निर्यात ऋण लेने पर एक अप्रैल 2015 से पांच साल के लिए तीन प्रतिशत ब्याज दर में छूट की सुविधा दी गई है। इसी तरह मर्केंडाइज एक्सपोर्ट

फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआइएस) के तहत भी एमएसएमई श्रेणी के निर्यातकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। विदेश व्यापार नीति के तहत अगर एमएसएमई श्रेणी के निर्यातक एक सीमा से अधिक निर्यात करते हैं तो उन्हें कस्टम से वस्तुओं के क्लीयरेंस में प्राथमिकता दी जाती है। वहीं निर्यात बंधु योजना के तहत 90 एमएसएमई क्लस्टर्स में प्रशिक्षण मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि एमएसएमई क्षेत्र से निर्यात की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करने की आवश्यकता है।

वास्तव में 'लघु और मध्यम उद्यम राष्ट्र की प्रगति और रोजगार के प्रमुख वाहक हैं।' सरकार ने इसके विस्तार के लिए आम बजट 2018–19 में भी महत्वपूर्ण राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है। न सिर्फ एमएसएमई क्षेत्र का आवंटन बढ़ाया है बल्कि कारपोरेट टैक्स की दर घटाने का भी ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया गया है। साथ ही, बजटीय घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत और विधायी परिवर्तन करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। ऐसे में एमएसएमई के लिए चलायी जा रही इन योजनाओं पर नजर डालना आवश्यक है।

उद्योग आधार मेमोरेंडम

'उद्योग आधार मेमोरेंडम' के तहत छोटे और मझोले कारोबारी महज एक पेज का फार्म भरकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। यह मोबाइल–फ्रेंडली है और इसके लिए किसी भी तरह के दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। कारोबारियों के लिए यह पूरी तरह मुफ्त है। सितंबर, 2015 में यूएएम की शुरुआत से 31 मार्च, 2018 तक 44 लाख एमएसएमई यूएएम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) इस योजना को चलाता है। इसके तहत गांव में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए 15 से 35 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2018–19 में 89,000 सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है। इस तरह इस योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके तहत लाभ लेने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के उद्यम की अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपये होनी चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की नई प्रस्तावित सीमा

उपक्रम	वार्षिक कारोबार की सीमा
सूक्ष्म उद्यम	5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	5 करोड़ रुपये से 75 करोड़ रुपये तक
मध्यम उद्यम	75 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक

स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडीशनल इंडस्ट्रीज (स्फूर्ति)

परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने के इरादे से सरकार 'स्फूर्ति' नाम से एक योजना चला रही है। इसके तहत एक क्लस्टर का चुनाव कर उसे वित्तीय मदद मुहैया करायी जाती है। बड़े क्लस्टर को पांच करोड़ और छोटे कलस्टर को तीन करोड़ रुपये की राशि मिलती है। अब तक इस योजना के तहत 72 कलस्टर मंजूर किए जा चुके हैं जबकि 32 कलस्टर पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 60 और कलस्टर विकसित करने की योजना है जिसके तहत 60,000 हस्तशिल्पियों को फायदा होगा। चालू वित्तवर्ष में इसके लिए लगभग सवा सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

सोलर चरखा मिशन

सरकार ने 951 करोड़ रुपये से सोलर चरखा मिशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। चालू वित्त वर्ष में ढाई सौ सोलर चरखा आधारित कलस्टर और अगले वित्त वर्ष में भी ढाई सौ सोलर चरखा कलस्टर स्थापित करने की योजना है। इससे न सिर्फ प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी अधिक सृजित हो सकेंगे। इस मिशन के लिए चालू वित्त वर्ष में टोकन राशि के बतौर 50 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। सरकार ने इस मिशन के जरिए अगले तीन साल में 10.21 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।

ए स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंट्रप्रीन्योरशिप (एस्पायर)

सरकार ने यह योजना 18 मार्च, 2015 को लांच की थी। इसका मकसद एग्रो–इंडस्ट्री में उद्यमिता और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। चालू वित्त वर्ष में इसके तहत 232 करोड़ रुपये की लागत से 80 लिवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेशन और 30 टैक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूकबेशन स्थापित करने का लक्ष्य है।

निष्कर्ष

बहरहाल, एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों को उनके उत्पादों की मार्केटिंग रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उत्पाद विकास और विपणन के लिए पेशेवर नीति अपनाए जाने की दरकार है। तभी इस क्षेत्र के उत्पादों की बिक्री को बढ़ाया जा सकेगा। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकार ने हाल के वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। आवश्यकता इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की है, तभी ये प्रयास धरातल पर नजर आएंगे।

(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : hari.scibe@gmail.com

लघु और कुटीर उद्योग : वर्तमान और भविष्य

–नितिन प्रधान

ग्रामीण भारत में रोजगार के ऐसे अवसर उपलब्ध हों जिनसे कृषि पर निर्भरता कम हो। इसलिए जहां पूंजी का अभाव है और श्रमबल अधिक है वहां लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित किए बिना बहुसंख्यक ग्रामीणों की आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूंजी के विनिवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही अधिकाधिक संख्या में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम करके आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज़ादी के सत्तर वर्ष बीत जाने के बाद भी वास्तविक भारत आज भी गांवों में ही बसता है। भारत की दो तिहाई आबादी गांवों में रहती है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था का विकास भी गांवों के विकास पर ही निर्भर करता है। लेकिन ग्रामीण भारत का विकास आज की तारीख में भी पूरी तरह खेती की स्थिति पर ही निर्भर है। और हिंदुस्तान में खेती के लिए किसान मानसून की स्थिति पर निर्भर रहता है। यही वजह है कि जिस वर्ष मानसून की मेहरबानी न रहे वह साल न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल होता है बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस दो तिहाई आबादी का ही मूल रूप से खेती–किसानी के काम में जुटा है। शेष आबादी पूरी तरह से उसकी मेहनत पर निर्भर है।

इस स्थिति को पलटने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण भारत में रोजगार के ऐसे अवसर उपलब्ध हों जिनसे कृषि पर निर्भरता कम हो। इसलिए जहां पूंजी का अभाव है और श्रमबल अधिक है वहां लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित किए बिना बहुसंख्यक ग्रामीणों की आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूंजी के विनिवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही अधिकाधिक संख्या में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम करके आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, वे आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण की मदद से प्रादेशिक असंतुलनों को भी कम करते हैं। ये ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपने माल का लाभ प्रदान करके अपनी रूचि के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग करने में सहयोग देते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण जनता के सहयोग से आर्थिक नीतियां बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए। उनके सुझावों के अनुरूप कई नीतियां भी बनीं। लेकिन उनके क्रियान्वयन की चूक के चलते उनके अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाए। ग्रामीणों के आर्थिक विकास का सबसे सशक्त माध्यम पशुपालन, खेती, लघु–कुटीर उद्योग सहित कृषि से संबंधित मुद्दे रहे। तत्कालीन समय में इन सबसे बढ़कर खादी उद्योग रहा है। वर्तमान में खादी की वास्तविक स्थिति से रूबरू होंगे, तो कड़वी सच्चाई यह है कि कुल कपड़े के उत्पाद का एक प्रतिशत भी खादी नहीं है। जबकि पिछले पांच सालों से भी अधिक समय से इसे लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

यद्यपि ऐसा नहीं है कि इस दिशा में प्रयास नहीं हुए। आज़ादी के बाद से ही लघु उद्योगों के विकास के लिए अत्यधिक प्रयास किए गए। सन 1948 में देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई तथा प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में इनके विकास हेतु 42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। फिर 1951, 1977, 1980 एवं 1991 की औद्योगिक नीतियों की घोषणाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया है। सबके मिले–जुले प्रयासों से लघु उद्योगों की प्रगति तो हुई तथा इससे देश में बेरोजगारी दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने मे काफी मदद भी मिली है। लेकिन इन उपायों के बावजूद इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बहुत अधिक तीव्र करने में सफलता नहीं मिल सकी।

साल 1948 से अब तक लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर लगातार विशेष जोर दिया जा रहा है। फिर भी लघु एवं कुटीर उद्योगों की सफलता में कहां चूक हुई? स्वतंत्रता संग्राम से ही कुटीर उद्योग खादी व ग्रामीण हस्तशिल्पियों का महत्व समझने के बावजूद स्वतंत्रता के सात दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हें उचित स्थान क्यों नहीं दे पाए हैं? इस ज्वलंत प्रश्न की तह में देखेंगे तो स्थितियों की सच्चाई को समझने के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग की स्थिति को जानना होगा। सरकारी आंकडों के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, शेष 80 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन मिल व पावरलूम क्षेत्र में होता है। जो 20 प्रतिशत उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, उस पर संकट के बादल घिरे रहते हैं। गांधी जी का कहना था कि हथकरघे के लिए सूत की उपलब्धि हाथ की कताई या चरखे से होनी चाहिए। अगर गांधी के इस सुझाव पर अमल किया जाता तो हाथ से बुने कपड़े का उत्पादन एक प्रतिशत से भी कम के स्थान पर 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए। इसके बावजूद गांवों में घर–घर में हथकरघा विकास के लिए बहुत अधिक उपाय नहीं किए गए।

दरअसल लघु एवं कुटीर उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या कच्चा माल पर्यात मात्रा में नहीं मिल पाना है और यदि इन्हें मिलता भी है तो बड़ी परेशानी के बाद ऊंचे मूल्य चुकाने के बाद। इससे इनका लागत मूल्य बढ़ जाता है और वे अपने आर्डर का माल समय पर तैयार नहीं कर पाते। दूसरी प्रमुख बाधा वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। लघु उद्योगपतियों की पूंजी सीमित होती है। व्यापारिक दर पर निजी स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए आज यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्पादन तकनीकी का आधुनिकीकरण किया जाए। पुराने औजारों एवं प्राचीन विधियों से लघु एवं कुटीर उद्योग नवीन डिजाइन की उत्तम वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। अतः उनकी निर्माण विधि में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके सस्ती दर पर उत्तम किस्म की वस्तुएं शीघ्रता से उत्पादित की जा सकती हैं। उत्पादित माल के विक्रय के विषय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर विशिष्ट संगठनों की जरूरत है। लघु उद्योगों के साधन इतने सीमित होते हैं कि वे विस्तृत–स्तर पर विज्ञापन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। जिन वस्तुओं में आधुनिक मशीनी माल से प्रतियोगिता करनी होती है तब उनके विक्रय की व्यवस्था करना और भी कठिन हो जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व का अनुमान उनकी उपयोगिता से लगाया जा सकता है। रोजगारों का अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को निरंतर प्रभावित करता रहा है। शिक्षित युवाओं के लिए तो रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की चुनौती है ही, साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्र में भी इसे दूर करने के लिए सरकार को निरंतर प्रयास करने पड़ रहे हैं। यह सत्य है कि बड़े पैमाने के उद्योग देश में सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बोझ पहले से अधिक है जिसे कम किए बिना कृषि उद्योगों में कुशलता नहीं आ सकती है। अतः इतनी विशाल जनसंख्या को काम देने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास किया जाए। भारत में औसतन खेतों का आकार इतना छोटा है कि उससे एक किसान परिवार का पालन–पोषण नहीं हो सकता। भारत के कुछ भागों में जहां एक ही फसल होती है वहां कृषकों की दशा और भी खराब है। यदि पशुपालन आदि धंधों का सहारा न मिले तो वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। अतः कृषि के सहायक धंधों के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, सूत कातना, कपड़ा बुनना, मधुमक्खी पालन आदि ऐसे उद्योग है जो सरलता से कृषि के मुख्य धंधों के साथ–साथ अपनाए जा सकते हैं।

ग्रामीण भारत के समुचित विकास और इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मौजूदा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों की आमदनी के विस्तार के लिए न केवल खेती को आधुनिक बनाया है बल्कि पशुपालन, बागवानी आदि सहायक उद्योगों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त ग्रामीण–स्तर पर लघु और सूक्ष्म उद्योगों को विकसित करने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। केंद्र सरकार का सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों के विकास का काम देखने वाला एमएसएमई मंत्रालय ने बीते चार वर्ष में ऐसी कई नीतियां बनाई हैं जो ग्रामीण भारत में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे 2015–16 के मुताबिक एमएसएमई क्षेत्र में करीब 633.28 लाख इकाइयां कार्यरत हैं। सर्वे के मुताबिक इन इकाइयों ने 1.10 करोड़ रोजगार सृजित किए हैं।

बीते चार वर्षों में इन उद्योगों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। इनमें क्रेडिट की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए योजनाओं की शुरुआत, गुणवत्ता सुधार और इस क्षेत्र के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सहायता देने जैसे उपाय शामिल हैं। ग्रामीण भारत में लघु व सूक्ष्म

उद्योगों के योगदान को देखते हुए सरकार इन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग न केवल देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्र द्वारा तैयार वस्तुओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 152 लाख लोगों को स्थायी रोजगार भी प्रदान करता है। आयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के जरिए अपने लघु व कुटीर उद्योग चला रहे लोगों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास कर उन्हें देश के शहरी बाजारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

यह सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व सूक्ष्म उद्योगों के विकास में पूंजी एक बड़ी अड़चन बनी है। इसे देखते हुए ही मौजूदा सरकार ने इन उद्योगों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि की स्थापना की। सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सहायता के लिए सरकार ने साल 2016 में 2500 करोड़ रुपये की समग्र निधि को बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये करने का अनुमोदन किया। इस निधि में पांच हजार करोड़ रुपये की वृद्धि के लिए सरकार ने पूरा अंशदान किया। यही नहीं गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी सूक्ष्म व लघु उद्योगों को दिए जा रहे ऋणों के संवितरण के लिए ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ग्रामीणों द्वारा चलाए जा रहे लघु व सूक्ष्म उद्योगों में उत्पादित सामान की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अतिरिक्त केंद्र सरकार इन उद्यमों की मदद के लिए बाजार संवर्धन और विकास सहायता के नाम से एक स्कीम भी चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत मूल लागत के 30 प्रतिशत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह मदद उत्पादक संस्थाओं को चालीस प्रतिशत, विक्रेता संस्थाओं को 20 प्रतिशत और कारीगरों के बीच 40 प्रतिशत तक वितरित की जाती है। विपणन सहायता स्कीम के तहत उन उद्यमों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बाजार में सब्सिडी दरों पर विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों व व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। साल 2014 से लेकर 2018 तक की अवधि में 53.16 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। सरकार के इन प्रयासों को नतीजा है कि इस अवधि में 848 प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए लगभग 22337 उद्यमियों की मदद की गई।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने इन इकाइयों की वित्तीय मदद को ध्यान में रखते हुए वित्त सुविधा केंद्रों (एफएफसी) की स्थापना की है। इन केंद्रों से लघु व सूक्ष्म उद्यमी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जालंधर, गुवाहाटी, लुधियाना, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई और कानपुर में में ये केंद्र चल रहे हैं। इस वर्ष 31 मार्च तक इन केंद्रों से 421.59 करोड़ रुपये के 133 प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं। एफएफसी पोर्टल पर विभिन्न बैंकों के पास 210.57 करोड़ रुपये मूल्य के 46 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जबकि 42.20 करोड़ रुपये मूल्य के 52 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार निरंतर आर्थिक विकास की गति को तेज करने के उपाय कर रही है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जब तक देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सतत् रफ्तार का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस लक्ष्य को पाना संभव नही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की विकास दर उल्लेखनीय रही है। लेकिन एक वर्ष की किसी एक तिमाही में कृषि व अन्य सहायक उद्योगों की तेज विकास दर पूरे वर्ष की आर्थिक विकास का संबल नहीं बन सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरा बोझ केवल कृषि व उससे जुड़े उद्योगों पर न रहें, बल्कि इस क्षेत्र में लघु व सूक्ष्म अथवा कुटीर उद्योगों के विकास की नीति पर बल दिया जाए। ग्रामीण युवाओं को न केवल स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न उद्यमों की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए बल्कि वहां उसके अनुकूल पूरा ढांचा तैयार किया जाए ताकि उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले अनावश्यक पलायन को भी रोका जा सकेगा।

(लेखक दैनिक जागरण के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय ब्यूरो में ब्यूरो प्रमुख हैं।)

ई–मेल : pradhannitin@gmail.com

एमएसएमई हेतु बैंकों की ऋण योजनाओं का आकलन

–मंजुला वाधवा

2017–18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंकों द्वारा बड़े उद्योगों को दिया गया कुल बकाया ऋण 26041 बिलियन था, कुल का 82.6 प्रतिशत बड़े उद्योगों को मिला जबकि सूक्ष्म एवं छोटे व मध्यम उद्योग–धंधों को केवल 17.4 प्रतिशत। इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है इन्हें सही समय पर पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता न मिल पाना। कारण हैं–आज भी ज्यादातर सूक्ष्म व छोटे उद्यमी असंगठित क्षेत्र में हैं, कार्यकुशल श्रमिकों की कमी एक अन्य बड़ा कारण है जिसके कारण न तो ये उद्यमी सही योजनाएं बना पाते हैं न कुशल तरीकों से उनका प्रबंधन कर पाते हैं। बात साफ है– इनके और बैंकों के बीच जो वर्षों से बना हुआ अविश्वास और दूरी है, उसे हटाने का तरीका एक ही है– इन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाना। निर्धनों को सब्सिडी देने से बहुत बेहतर है उन्हें किफायती कर्ज देना ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इज्जत की रोजी–रोटी कमा सकें और देश के उत्पादक अंग बन समूचे देश को प्रगति के शिखर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकें।

आज़ादी के 71 साल बीत जाने के बावजूद, हमारे देश में छोटे–छोटे व्यवसायों में लगे लाखों–करोड़ों लोगों की पहुंच औपचारिक वित्तीय संस्थाओं व बैंकों तक नहीं बन पाई है, भले ही देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान अच्छा–खासा है, बीमा, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं इन्हें मुहैया नहीं है कि वे छोटे–मोटे धंधे लगाकर सम्मान से अपना तथा अपने परिवारों का पेट पाल सकें। नतीजन, आज भी ज्यादातर लोग अपनी ऋण जरूरतों के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर हैं। ऊंची ब्याज दरों तथा गैर–वाजिब शर्तों पर कर्ज लेकर लगाए गए व्यवसाय में जब इस हद तक घाटा उठाने की नौबत आ जाती है कि ब्याज निकलना तो दूर, मूलधन भी डूबने लगता है तो हमारे समाज का निचला तबका धीरे–धीरे ऋण के ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है, जिससे बाहर निकलने का जरिया बहुत मुश्किल और अक्सर नामुमकिन हो जाता है और पीढ़ी–दर–पीढ़ी यह कर्ज चलता रहता है।

एनएसएसओ के 2015–16 के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 633.8 लाख सूक्ष्म व छोटी गैर–कृषि क्षेत्र में लगी व्यावसायिक इकाइयां हैं और इनमें से अधिसंख्य, जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस क्षेत्र में कार्यरत हैं यानी दुकानदार, फल–सब्जी विक्रेता, ट्रक–टैक्सी चालक, खाने–पीने के सामान और मरम्मत की दुकानें, दस्तकार, शिल्पकार, छोटे–मोटे कलपुर्जे बनाने वाले और फेरी वाले सब इनके दायरे में आते हैं। लगभग 11 लाख करोड़ की राशि इनमें निविष्ट है, देश के जीवी, (Gross Value Added) में इनका योगदान 32 प्रतिशत है, और अंदाजन ये 12 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं जबकि बड़े उद्योगों में केवल 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार हासिल है। विडम्बना तो देखिए, 2017–18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंकों द्वारा बड़े उद्योगों को दिया गया कुल बकाया ऋण 26041 बिलियन था, कुल का 82.6 प्रतिशत बड़े उद्योगों को मिला जबकि सूक्ष्म एवं छोटे व मध्यम उद्योग–धंधों को केवल 17.4 प्रतिशत। इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है इन्हें सही समय पर पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता न मिल पाना। कारण हैं–आज भी ज्यादातर सूक्ष्म व छोटे उद्यमी असंगठित क्षेत्र में हैं, बरसों पुरानी उत्पादन तकनीकों को सीने से लगाए हुए हैं जो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की राह में बड़ा रोड़ा है, कार्यकुशल श्रमिकों की कमी एक अन्य बड़ा कारण है जिसके कारण न तो ये उद्यमी सही योजनाएं बना पाते हैं न कुशल तरीकों से उनका प्रबंधन कर पाते हैं। उनके पास अपनी रेटिंग कराने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है कि बैंक उन्हें कर्ज देने के लिए तैयार हो सकें। बात साफ है– इनके और बैंकों के बीच जो वर्षों से बना हुआ अविश्वास और दूरी है, उसे हटाने का तरीका एक ही है– इन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाना।

तो आइए, बात करते हैं हमारे देश के केंद्रीय बैंक ने इस

दिशा में क्याा कदम उठाए हैं, सभी बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं और हमारा बैंकिंग उद्योग किस प्रकार से इस क्षेत्र के लिए बनाई गई ऋण योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, इस राह में उन्हें क्या कठिनाइयां आती हैं और उन समस्याओं के क्या व्यावहारिक सुझाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि एमएसएमई अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार इस क्षेत्र की परिभाषा में आने के लिए क्या जरूरी है। इस परिभाषा में संशोधन प्रस्तावित है।

- **माइक्रो उद्यम** एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक न हो।
- **लघु उद्यम–** ऐसा उद्यम जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक परंतु 5 करोड़ रुपये से ऊपर न हो तथा
- **मध्यम उद्यम–** ऐसा उद्यम जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक परंतु अधिकतम 10 करोड़ रुपये हो।

केवल विनिर्माण ही नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र के उद्यम भी इनमें शामिल हैं जिन्हें उपकरणों में निवेश करना होता है। सेवा क्षेत्र का

- **माइक्रो उद्यम** वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक न हो।
- **लघु उद्यम**–जिसका उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक हो परंतु 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो और
- **मध्यम उद्यम**–जिसका उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपये से अधिक हो परंतु 5 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

मोटे तौर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन सभी को दिए जाने वाले ऋण प्राथमिकता प्राप्त ऋण श्रेणी के अंतर्गत रखे हैं। इनके अलावा (i) काश्तकारों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति और उनके उत्पादों के विपणन के लिए विकेंद्रीकृत सेक्टर को सहायता प्रदान करने में लगी संस्थाओं को ऋण; (ii) सहकारी समितियों को ऋण; (iii) सामान्य क्रेडिट कार्डधारकों को ऋण भी इसी श्रेणी में आते हैं।

एमएसएमई पर गठित प्रधानमंत्री कार्यदल की संस्तुतियों के अनुसार बैंकों को निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए गए हैं:–

- माइक्रो और लघु उद्यमों को ऋण में 20 प्रतिशत वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि।
- माइक्रो उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और
- माइक्रो उद्यमों को, पूर्ववर्ती 31 मार्च को एमएसई क्षेत्र के कुल उधार का 60 प्रतिशत देना

जहां तक संपार्श्विक (कोलेटरल) प्रतिभूति का सवाल है–बैंकों को अनिवार्य अनुदेश दिया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों से 10 लाख रुपये तक के ऋणों पर प्रतिभूति मांगे। यह भी सूचित किया गया है कि केवीआईसी के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित सभी इकाइयों को 10 लाख रुपये तक के कर्ज बिना कोई संपार्श्विक प्रतिभूति लिए–दिए जाएं।

बैंकों को यह विवेकाधिकार भी दिया गया है कि वे एमएसई इकाइयों का अच्छा रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋण हेतु संपार्श्विक अपेक्षाओं में छूट की सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं।

- एमएसई की ऋण जरूरतें दोनों प्रकार की होती हैं– कार्यशील पूंजी और मियादी ऋण, लिहाजा रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार, बैंक एक करोड़ रुपये तक की समिश्र ऋण सीमा स्वीकृत कर सकते हैं।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत शाखा खोलें। साथ ही, उन्हें अनुमति दी गई है कि वे एमएसएमई क्षेत्र को 60 प्रतिशत या उससे अधिक अग्रिम देने वाली अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत एमएसएमई शाखाओं के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि वे समग्र रूप से इस क्षेत्र को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु और अधिक विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं खोल सकें। हालांकि, लचीला रवैया अपनाते हुए उन्हें इतनी छूट अवश्य दी गई है कि वे अन्य क्षेत्रों के उधारकर्ताओं को भी जरूरत के हिसाब से कर्ज मुहैया करा सकते हैं।
- रिज़र्व बैंक ने महसूस किया कि माइक्रो और लघु उद्यम, जो रूग्ण हो चुके हैं या रूग्णता की कगार पर हैं, का पुनर्वास जरूरी है। लिहाजा अपने डिप्टी गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका काम था– रूग्ण इकाइयों की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाना, आरंभिक रूग्णता का पहले ही पता लगाना और किसी यूनिट को गैर–अर्थक्षम घोषित करने से पहले बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली क्रियाविधि बनाना। एमएसएमई अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार किसी इकाई को तभी रूग्ण, कहा जाएगा जब (क) उद्यम का कोई ऋण खाता तीन महीने या अधिक समय से एनपीए बना हुआ हो। अथवा (ख) पिछले लेखा वर्ष के दौरान उसकी निवल संपत्ति में 50 प्रतिशत तक संचित हानि होने के कारण निवल संपत्ति का क्षरण हुआ हो। जहां तक किसी यूनिट को गैर–अर्थक्षम घोषित करने से पहले बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली क्रियाविधि का प्रश्न है, बैंकों को यह सूचित किया गया है कि यूनिट की अर्थक्षमता संबंधी निर्णय शीघ्र परंतु किसी भी परिस्थिति में उसके रूग्ण बन जाने के 3 महीनों के भीतर अवश्य ले लिया जाए और किसी यूनिट को संभाव्य रूप से अर्थक्षम घोषित किए जाने की तारीख से छह महीनों के भीतर पुनर्वास पैकेज को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाए।
- चूंकि आज भी 92 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यम औपचारिक बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं, ये सही आयोजना,

वित्तीय साक्षरता, परिचालनगत कौशल का अभाव जैसी चुनौतियों से आज भी जूझ रहे हैं, उद्यमों का छोटा आकार इनकी बेबसी को और बढ़ा देता है। अतः केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे या तो अपनी शाखाओं में अलग से एमएसएमई कक्ष गठित करें या फिर स्वयं द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों में इस वर्ग की ऋण जरूरतें पूरी करने के लिए अलग से वार्टिकल बनाएं और डीलिंग स्टॉफ को जागरूक बनाते हुए वांछित प्रशिक्षण भी दें। बैंकों में ऋण आवेदन निपटान प्रक्रिया की निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त बनाने तथा एमएसई ऋण आवेदन का ई–ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें शाखावार, क्षेत्रवार, अंचलवार और राज्यवार स्थिति दी गई हो, बैंकों द्वारा उनकी वेबसाइट पर दिखाई जाए।

- कलस्टर अप्रोच इनके विकास के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है, इस तथ्य को समझते हुए एमएसएमई मंत्रालय ने 60 समूहों की पहचान करके सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया है कि वे अपनी वार्षिक ऋण योजनाओं में इन पहचाने गए समूहों की ऋण आवश्यकताओं को दर्ज करें। इसके अलावा पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि योजना स्फूर्ति (SFURTI) तथा माइक्रो एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) के अंतर्गत 121 अल्पसंख्यक–बहुल जिलों में स्थित समूहों की सूची अनुमोदित की है। तदनुसार, देश के अल्पसंख्यक–बहुल जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों में से माइक्रो और लघु उद्यमियों के पहचाने गए समूहों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उचित उपाय किए गए हैं।
- ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) इस दिशा में एक अन्य उल्लेखनीय कदम है। सब्सिडी की गणना संयंत्र और मशीनरी के खरीदी मूल्य के आधार पर की जानी है न कि लाभार्थी इकाई को दिए गए ऋण के आधार पर सिडबी और नाबार्ड को इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां बनाया गया है।
- अब ब्याज दरों पर भी नजर डाल लें– आज के अविनियमित बैंकिंग माहौल में 01 अप्रैल, 2016 से बैंकों ने निधियों की सीमांत लागत–आधारित ब्याज दरों यानी एमसीएलआर आधारित ब्याज दरों पर ये ऋण देने शुरू कर दिए हैं। मौजूदा उधारकर्ताओं को बैंक विकल्प देंगे कि वे बीपीएलआर की बजाय एमसीएलआर का ऑप्शन चुन सकते हैं।
- हाल ही में रिज़र्व बैंक ने 2018 के अपने परिपत्र द्वारा इन छोटे उद्यमियों को दिए गए अशोध्य ऋणों के वर्गीकरण में एक नई छूट दी है– फरवरी 2018 में सभी बैंकों और एनबीएफसी को निर्देश दिया गया कि वे जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई को दिए गए ऋणों को तभी अशोध्य मानें जब वे देय तिथि से 180 दिनों तक न चुकाए गए हों। जून 2018 में यह छूट जीएसटी में रजिस्टर न हुए एमएसएमई के लिए भी दे दी गई।

सारी समस्याएं एक तरफ और सदियों से चली आ रही कोलेटरल की समस्या एक तरफ, यह अभी तक इस क्षेत्र के विकास में रुकावट बनी हुई थी। बिना संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष गारंटी के छोटे उद्यमियों को बैंकों से ऋण मुहैया कराने के प्रयोजन से एक रास्ता निकाला गया। भारत सरकार और सिडबी ने मिलकर वर्ष 2000 में 2500 करोड़ रुपये की समूह निधि से एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट गठित किया। इसमें 2 करोड़ रुपये तक के ऐसे ऋणों के लिए स्वचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गारंटी सुविधा दी जाती है, जो प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मंजूर किए हों और साथ ही जिनके पास संपार्श्विक प्रतिभूति एवं अन्य पक्ष की गारंटी देने की सुविधा नहीं है। ऋणदाता बैंकों को इसके जरिए भरोसा मिला कि छोटे–छोटे उद्यमी यदि अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे तो उनका पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि बकाया ऋण के 85 प्रतिशत तक की भरपाई क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट करेगा।

2018 तक इस ट्रस्ट ने 30.24 लाख की गारंटियां मंजूर की हैं जिसमें 1.46 करोड़ रुपये से अधिक के संचयी ऋण शामिल हैं। इस योजना से लगभग 16 प्रतिशत महिलाओं और 8 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक उद्यमियों को लाभ पहुंचा है।

अधिनियम बन गया, अलग से मंत्रालय भी, रिज़र्व बैंक ने भी स्पष्ट दिशानिर्देश बना दिए किंतु एमएसएमई के विकास की राह में आज भी अनेक समस्याएं व चुनौतियों के कांटे बिखरे हुए हैं, जिन्हें युद्ध स्तर पर हटाना बेहद जरूरी है। आइए, गौर करें:–

पहुंच

- दूरदराज के इलाकों में शाखाओं का न होना
- बैंक कॉरसपोडेंट मॉडल अभी परिपक्व नहीं

लागत

- ऊंची ब्याज दरें
- ऊंची प्रोसेसिंग लागतें

प्रक्रिया

- लंबी पण्यावर्त अवधि
- जटिल तथा गैर–लचीली प्रक्रियाएं

संपार्श्विक प्रतिभूति–प्रलेखन

- गिरवी के रूप में रखने योग्य प्रतिभूतियों का न होना
- औपचारिक लेखांकन पद्धति न होना
- टैक्स नियमों का पालन न होना।

एमएसएमई क्षेत्र में लगे उद्यमियों के हालात में बदलाव तो आया किंतु उतना नहीं, जितना वांछित था। वर्तमान सरकार के इस क्षेत्र की ओर फिर से ध्यान दिया है और पुरानी कमियों को दूर करने के लिए लक्ष्यबद्ध तरीके से काम करने के उद्देश्य से वित्तमंत्री ने 2015–16 के बजट में 20000 करोड़ रुपये की समूह राशि का आबंटन करके माइक्रो यूनिट डेवल्पमेंट रिफाइनैंस एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की, इस प्रयोजन हेतु 3000 करोड़ रुपये की समूह राशि का क्रेडिट गारंटी प्रावधान भी किया गया।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है– स्वरोजगारियों और स्व–व्यावसायियों यानी निधिविहीनों को निधियां उपलब्ध कराना। 08 अप्रैल, 2015 को इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'भारत की अर्थव्यवस्था को उन्नत व समृद्ध बनाने का एकमात्र तरीका है– छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। उन्होंने भरोसा जताया कि छोटे, मझोले तथा सूक्ष्म उद्योग–धंधों को इस योजना से बेहद लाभ पहुंचेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी, जो फिलहाल 38 प्रतिशत तक है, मुद्रा के आने के बाद काफी बढ़ जाएगी। गरीबों की सबसे बड़ी पूंजी उनका ईमान है और यदि मुद्रा–पूंजी के साथ ईमान का मेल हो जाए तो यह छोटे उद्यमियों की सफलता की कुंजी होगा। एक साल के अंदर ही देश के सभी बैंक इस योजना के तहत जरूरतमंदों को ऋण देने में एक–दूसरे से स्पर्धा करने लगेंगे।

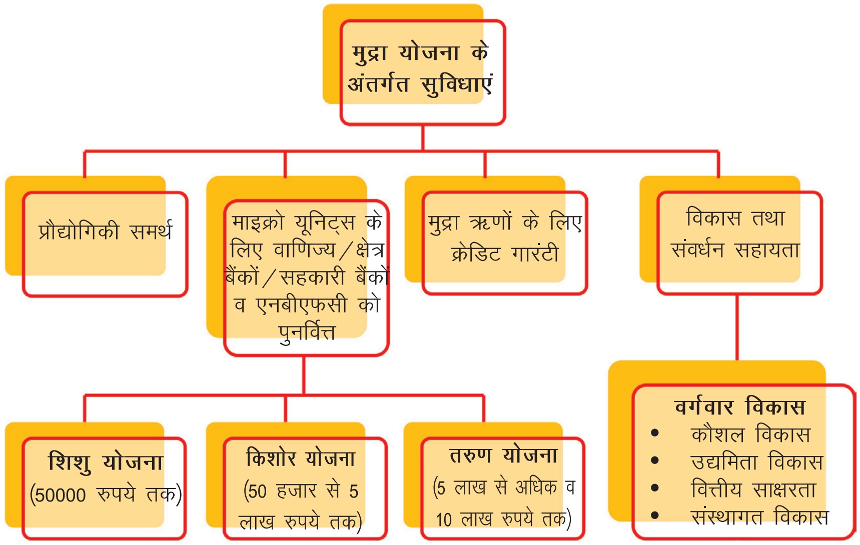

आइए, अब गौर करते हैं मुद्रा योजना की प्रमुख बातों पर– इसके अंतर्गत छोटे उद्यमियों को 50000 से 10 लाख रुपये के कर्ज दिए जा सकते हैं। सभी अनुसूचित सार्वजनिक व निजी बैंक जो पिछले 3 साल से लाभ में चल रहे हैं, जिनकी नेटवर्थ न्यूनतम 100 करोड़ रुपये है, अनर्जक आस्तियां 3 प्रतिशत तक और पूंजी पर्याप्त अनुपात यानी सीआरएआर न्यूनतम 9 प्रतिशत है, इस योजना के तहत ऋण दे सकते हैं।

प्रमुख प्रावधान

- कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं
- कोई ऋण प्रसंस्करण शुल्क नहीं
- ब्याज दर 1 प्रतिशत मासिक
- कार्यशील पूंजी ऋण मुद्रा कार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे जो डेबिट और केडिट कार्ड दोनो का काम करेगा।
- चुकौती अवधि अधिकतम 5 वर्ष।

पोर्टफोलियो क्रेडिट गारंटी फंड भी बना दिया गया है और अप्रैल 2015 से दिए गए ऋण इसमें कवर किए जा रहे हैं। ऋणप्रदाता बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस योजना के तहत 7 प्रतिशत ब्याज पर पुनर्वित्त मिलेगा। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं (एमएफआई) तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी इस योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेकर आगे उधारकर्ताओं को दे सकती हैं। प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दी गई ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ मुद्रा योजना के लाभार्थी भी उठा सकते है। फिलहाल, यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की सहायक संस्था के रूप में केवल पुनर्वित्त उपलब्ध कराने का काम कर रही है। प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण देने हेतु बैंकों के लिए जो लक्ष्य पूर्वनिर्धारित हैं, वे पूरे न करने पर बची राशि मुद्रा बैंक को मिलेगी ताकि वे कम लागत पर प्राप्त ये राशियां निम्न ब्याज दरों पर एमएसएमई क्षेत्र को उधार दे सकें। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के 27, निजी क्षेत्र के 17 बैंक, 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं और 25 एनबीएफसी इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। नवीनतम आंकड़ों पर नजर डाले तो, स्थापना से अब तक कुल 6 लाख करोड़ से अधिक के ऋण इस योजना के अंतर्गत मंजूर किए जा चुके हैं।

अहम सवाल– क्या वास्तव में मुद्रा बैंक के आ जाने से हमारे देश में कोई बड़ा बदलाव आएगा। बेशक हमारे देश के मौजूदा हालात किसी से छिपे हैं क्या। अधिसंख्य भारतीय गरीब हैं, देहाती इलाकों में बसे हैं, जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित। दिन भर मेहनत–मशक्कत करके भी अपने और अपने परिवार के लिए दो जून की रोटी नहीं कमा पाते। ज्यादातर छोटे–छोटे धंधे जैसे खुदरा दुकान, रेहड़ी या फेरी लगाने वाले पुरुष और स्त्रियां प्रशिक्षण तो दूर की बात, बुनियादी तौर पर शिक्षित भी नहीं होते। ऐसी स्थिति में यदि हमारा देश इस विशाल अशिक्षित, अकुशल जनसंख्या के हुनर पहचान कर उन्हें वांछित कौशल, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दे तो यकीनन यह वर्ग हमारे देश के चहुंमुखी आर्थिक व सामाजिक विकास में भागीदारी करके भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने का दम–खम रखता है।

पुरानी कहावत है, भूखे को मछली खिला दो तो एक दिन उसका पेट भर जाएगा पर उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो वह कभी भूखों नहीं मरेगा। इसी उक्ति को साकार करने की कोशिश की है मुद्रा बैंक ने। निर्धनों को सब्सिडी देने से बहुत बेहतर है उन्हें किफायती कर्ज देना ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इज्जत की रोजी–रोटी कमा सकें और देश के उत्पादक अंग बन समूचे देश को प्रगति के शिखर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकें।

(लेखिका नाबार्ड, हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में सहायक महाप्रबंधक हैं।)

ई–मेल : manjula.jaipur@gmail.com

पर्यावरण हितैषी कॉयर उद्योग को प्रोत्साहन

–सन्नी कुमार

कॉयर न केवल देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य भी है। नारियल के रेशे का एक विशेष गुण यह होता है कि उसके आयतन में परिवर्तन हुए बिना जल अवशोषण की उसकी क्षमता काफी बेहतर होती है। इसका लाभ यह होता है कि यह मृदा नमी का लंबे समय तक संरक्षण कर पौधों के विकास में सहायक होता है। और इस तरह मृदा की कमी अथवा शुष्क मृदा वाले क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती हैं। साथ ही सड़क व बांध निर्माण में इसका प्रयोग कर मृदाक्षरण व अपरदन को रोका जा सकता है।

कॉयर न केवल देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य भी है। कॉयर उद्योग से संबंधित कुछ बुनियादी बातों को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम देश के विकास में इसकी भूमिका का ठीक से मूल्यांकन कर सकें।

परिचय

नारियल के फल और छिलकों के बीच पाया जाने वाला कॉयर एक मजबूत प्राकृतिक रेशा है जिसे प्रसंस्कृत कर उससे विभिन्न वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। जहां कच्चे मुलायम नारियल के छिलकों से सफेद रेशे प्राप्त किए जाते हैं वहीं परिपक्व कठोर छिलके भूरे रंग के रेशे का उत्पादन करते हैं।

मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय उत्पाद होने के कारण कॉयर अथवा इससे बनी वस्तुओं का अधिकांश उत्पादन व निर्यात भारत, श्रीलंका, फिलिपींस व इंडोनेशिया जैसे देश ही कर पाते हैं। परंपरागत रूप से कॉयर का प्रयोग कर जहां कालीन, दरी, चटाइयां, सजावटी सामान और बागवानी संबंधी उत्पाद बनाए जाते हैं वहीं अब इसका अनुप्रयोग सड़क व बांध निर्माण, कागज उद्योग, भू–टेक्सटाइल, पैकेजिंग व टिम्बर के विकल्प के रूप में होने लगा है।

पर्यावरण हितैषी है कॉयर

कॉयर अथवा नारियल के रेशे से बने उत्पाद न केवल लागत प्रभावी होते हैं बल्कि पर्यावरण हितैषी भी होते हैं। ऐसे समय मे जब विविध पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर एक व्यापक वैश्विक विमर्श छिड़ा हो तो ऐसे में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग का अचानक से बढ़ जाना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि आज से कुछ दशक पहले जब कॉयर या इसके मज्जे (वह पदार्थ जो नारियल के रेशे को उसके छिलके से जोड़ता है) का परंपरागत रूप से सीमित अनुप्रयोग किया जाता था अथवा समस्यामूलक कचरा समझ कर यूं ही छोड़ दिया जाता था वही आज के समय में यह अपने बहुविध अनुप्रयोग के कारण काफी लोकप्रिय हो रहा है। सड़क निर्माण से लेकर कागज उद्योग तक में यह एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है।

लिगनिन और सेल्युलोज जैसे विशुद्ध प्राकृतिक तत्वों से बना कॉयर अन्य किसी भी प्राकृतिक रेशे (ऊन, कपास, रेशम) की तुलना में ज्यादा मजबूत व दृढ़ होता है। अपने जैव निम्निकारक (Bio Degradable) गुणों की वजह से यह न केवल कृत्रिम व रासायनिक रेशों, (नायलॉन, पॉलीस्टर आदि) का विकल्प बनकर उभरा है बल्कि विभिन्न पर्यावरणीय समस्या पैदा करने वाले प्लास्टिक का प्रतिस्थापक भी साबित हो सकता है। ज्ञातव्य है कि आज कई राज्यों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध तो आरोपित किए जा रहे हैं किंतु उसका विकल्प देने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में नारियल के रेशे से बना थैला न केवल सस्ता होगा बल्कि पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव भी उत्पन्न नहीं करेगा। इस तरह देखा जाए तो नारियल के रेशे अपने उपयोग में पर्यावरण के अनुकूल हैं किंतु अपनी कुछ अनूठी विशेषताओं की वजह से न केवल ये पर्यावरण के अनुकूल बल्कि उसके रक्षक भी साबित हो रहे हैं।

नारियल के रेशे का एक विशेष गुण यह होता है कि उसके आयतन में परिवर्तन हुए बिना जल अवशोषण की उसकी क्षमता काफी बेहतर होती है। इसका लाभ यह होता है कि यह मृदा

नमी का लंबे समय तक संरक्षण कर पौधों के विकास में सहायक होता है। और इस तरह मृदा की कमी अथवा शुष्क मृदा वाले क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती हैं। साथ ही सड़क व बांध निर्माण में इसका प्रयोग कर मृदा क्षरण व अपरदन को रोका जा सकता है क्योंकि यह मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखता है और उसको तेज बहाव में कटाव से बचाता है। इसके अलावा कॉयर आसानी से जलता नहीं है और एक बेहतर ताप–प्रतिरोधक की भांति कार्य कर सकता है। यह ध्वनि का भी एक अच्छा अवशोषक होता है। इसलिए विभिन्न स्थानों पर इसका प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। एक शोध से तो यह बात भी सामने आई है कि नारियल के रेशे कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड्स का अवशोषण कर हवा को शुद्ध बना सकते हैं। आजकल तो कॉयर का प्रयोग एक बेहतर प्राकृतिक बायो कम्पोस्ट के रूप में भी हो रहा है जिससे मृदा की उर्वरता तो बढ़ती ही है साथ ही उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। इस तरह रासायनिक खाद के बरक्स कॉयर एक जैविक खाद का विकल्प प्रस्तुत करता है। सबसे बढ़कर कागज उद्योग में लकड़ी का यह एक अच्छा पूरक साबित हो सकता है और इस तरह वनों की कटाई से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई कर सकता है।

कॉयर का आर्थिक महत्व

सतत् एवं समावेशी विकास के क्षेत्र में जितना योगदान कॉयर उद्योग का है उतना शायद ही अकेले किसी एक उद्योग का है! सही अर्थों में विकास का लक्ष्य यही होता है कि इसका लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, कॉयर इस दिशा में ही सहयोग करता है। कॉयर उद्योग में अभी लगभग 7 लाख के करीब लोग रोजगाररत हैं और इनमें से निर्णायक प्रतिशत महिलाओं और पिछड़े वर्गों का है। साथ ही यह कृषि उत्पादों से जुड़ा उद्योग है इसलिए इसका लाभ कृषकों और ग्रामीण संरचना तक पहुंचता है। इस संदर्भ में देखें तो कॉयर उद्योग समावेशी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कॉयर उत्पादों के खपत की बात करें तो इसका बाजार घरेलू व विदेश दोनों जगहों पर है। कॉयर के कुल वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान शीर्ष देशों में से है तथा यह उत्तरोत्तर बढ़ ही रहा है। आंकड़ों के हवाले से देखें तो वर्ष 2011–12 में कॉयर का कुल निर्यात 1052 करोड़ रुपये था जो 2012–13 में बढ़कर 1116 करोड़ रुपये हो गया तथा पुनः 2013–14 में यह बढ़कर 1476 करोड़ रुपये हो गया। अर्थात् यह स्पष्ट है कि समय के साथ कॉयर निर्यात बढ़ा है किंतु अगर पिछले 4 वर्षों में निर्यात वृद्धि की बात करें तो इसकी दर अधिक तेज है। मार्च 2018 के निर्यात आंकड़ों को देखें तो यह 2014 के 1476 करोड़ रुपये से बढ़कर 2532 करोड़ रुपये हो गया है। अर्थात् पिछले चार वर्षों में यह वृद्धि हजार करोड़ रूपये से अधिक की रही।

भारत के मुख्य निर्यातक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देश हैं। इनमें चीन और यूएस, को भारत सर्वाधिक कॉयर का निर्यात करता है।

हम अभी तक कॉयर उत्पादों के संबंध में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लगभग आधा कच्चा माल बिना उत्पादन गृहों तक पहुंचे ही ईंधन या ऐसे अन्य कृत्यों में नष्ट हो जा रहा है। साथ ही, प्रौद्योगिकी की सीमित पहुंच तथा वित्त की अनुपलब्धता भी कॉयर उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त अपेक्षित कौशल के अभाव में उत्पादों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती ही है। बाजार प्रणाली भी इतनी विकसित नहीं है जो उत्पादकों को सीधे बाजार से जोड़े।

सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम

कॉयर बोर्ड का गठन

आज़ादी के तुरंत बाद से ही सरकार ने कॉयर उद्योग के विकास के लिए सांस्थानिक प्रयास शुरू कर दिए थे। 1953 के 'कॉयर उद्योग अधिनियम' के तहत 'कॉयर बोर्ड' की स्थापना की गई। केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले इस बोर्ड की जिम्मेदारी है कि कॉयर उद्योग के बहुस्तरीय प्रोत्साहन में अपनी भूमिका निभाए। कॉयर बोर्ड न केवल इस उद्योग से संबंधित विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को संचालित करता है बल्कि शोध कार्यों को भी बढ़ावा देता है ताकि नई तकनीकों से उत्पादन कार्य की गतिशीलता बढ़ाई जा सके। वर्तमान में ऐसे दो संस्थान कार्यरत हैं– केंद्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान, अलप्पी तथा केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलूरू। इनके द्वारा निम्नांकित तकनीकें विकसित की गई हैं जो कॉयर उद्योग के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं–

(क) मोबाइल फाइबर निष्कर्षण यंत्र– इसका उपयोग सुदूर क्षेत्रों के अप्रयुक्त फाइबर के निष्कर्षण हेतु किया जाता है।

यह मात्र 10 एचपी की मशीन होती है जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। इसे 2010 में विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार द्वारा श्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार भी मिल चुका है।

(ख) बायोकेम सॉफ्टनिंग– इसका उपयोग मशीन से निष्कर्षित कॉयर फाइबर की गुणवत्ता वृद्धि के लिए किया जाता है। यह एक काम लागत वाली तकनीक है जिससे रेशे बहुत मुलायम हो जाते हैं।

(ग) उदय वायवीय हथकरघा– इसे हाल ही में कॉयर बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। इसमें गैस से भरा एक सेलेंडर परंपरागत हथकरघा में लगा दिया जाता है।

(घ) अनुग्रह हथकरघा– यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। इसे कम परिश्रम के साथ घर में चलाया जा सकता है।

(ङ) अनुपम करघा– यह एक सेमी–स्वचालित करघा है। परंपरागत करघा के विपरीत इसमें सभी प्रकार के कॉयर उत्पादों की बुनाई की जा सकती है। इसमें श्रम भी काफी कम लगता है।

कॉयर विकास योजना– यह एक व्यापक हितों वाली योजना है जिसके अंतर्गत निम्नांकित योजनाएं संचालित हो रही हैं।

(क) कॉयर उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना (CITUS) : इस योजना का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराना है जिससे उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त यह नई पीढ़ी के उद्यमियों को भी कॉयर उद्योग की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। साथ ही यह प्रदूषण–मुक्त कॉयर उत्पादन के लिए तकनीकी उन्नयन के लिए कार्य करता है।

(ख) महिला कॉयर योजनाः कॉयर उद्योग में कार्यरत कुल कर्मियों में 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। महिला कॉयर योजना अपनी तरह की पहली महिला केंद्रित रोजगार योजना है। इसके तहत महिलाओं का कौशल विकास भी किया जाता है। दरअसल, इस कार्यक्रम में महिलाओं को नवीनतम तकनीकों के साथ काम करना सिखाया जाता है ताकि वो उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। नई यूनिट की स्थापना के लिए महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) निर्यात बाजार प्रोत्साहन– जैसाकि ज्ञात ही है कि भारत कॉयर के शीर्ष निर्यातकों में है तो इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य ध्येय निर्यात प्रदर्शन को बढ़ाना है जिसके लिए कई रणनीति अपनाई जाती है। इसके तहत सेमिनारों में भागीदारी, वैश्विक मेलों में भाग लेना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, निर्यात में बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत करना तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिए जाने जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं।

(घ) घरेलू बाजार प्रोत्साहन – घरेलू बाजार को प्रोत्साहन देना शुरू से ही सरकार की प्राथमिकता में था और इसलिए ही इसका उल्लेख 1953 की अधिनियम में भी है। इसका मुख्य ध्येय घरेलू बाजार में कॉयर उत्पादों के बारे में जानकारी प्रसारित करना तथा लोगों में इसके उपयोग को लेकर सहजता पैदा करना है। यही वजह है कि उत्तर–पूर्व के राज्यों में कॉयर के प्रसार पर खूब बल दिया गया।

(ङ) व्यापार और उद्योग संबंधी सहायता सेवा (TIRFSS) – इसका मुख्यतः चार उद्देश्य है–

ज्ञान प्रबंधन; सूचना प्रबंधन; अवसंरचना निर्माण; मानव संसाधन विकास।

कॉयर उद्यमी योजनाः यह योजना दरअसल 'कायाकल्प, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन कार्यक्रम (REMOT) का ही बदला हुआ नाम है। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसमें 10 लाख रुपये तक की कॉयर यूनिट की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 40 प्रतिशत सरकारी सब्सिडी, 55 प्रतिशत बैंक लोन तथा 5 प्रतिशत उद्यमी निवेश शामिल होता है। इस आर्थिक सहायता में तीसरे पक्ष या किसी संपत्ति के गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है।

स्फूर्ति–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन संचालित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परंपरागत उद्योगों को बाजारोन्मुखी, उत्पादक तथा लाभ–आधारित बनाना है। कॉयर बोर्ड इस योजना की नोडल एजेंसी है। इस योजना के तहत सुविधा केंद्र निर्माण, क्षमता विकास, उत्पाद विकास तथा बाजार प्रोत्साहन सहायता के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त सरकार ऐसी अनेक योजनाओं को संचालित कर रही है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इसका भी परोक्ष लाभ कॉयर उद्योग को मिल रहा है। वस्तुतः भारतीय अर्थव्यवस्था को समावेशी स्वरूप प्रदान करने और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास अपरिहार्य है। जरूरत है आवश्यक वित्त और तकनीकी के प्रसार की ताकि उपलब्ध संसाधनों का यथेष्ट उपयोग किया जा सके।

(लेखक 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के संपादक मंडल में शामिल हैं। साथ ही, विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन वेबसाइट्स हेतु स्वतंत्र लेखन करते हैं।)

ई–मेल : sunnyand65@gmail.com

स्वच्छता अभियान से बदल रही हैं जिंदगियां

–संजय श्रीवास्तव

चार सालों में स्वच्छता को लेकर जो कुछ हुआ, वो उत्साह देने वाला है। सरकार की योजना अपने कदम को केवल ओडीएफ तक सीमित रखने की नहीं है बल्कि इसके बाद ओडीएफ प्लस जैसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्थानीय तौर पर ठोस और द्रव अपशिष्टों के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पर काम शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे के इस्तेमाल से पूंजी तैयार की जाएगी। यानी कचरे को जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में बदला जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा।

स्वच्छता अभियान को चार साल पूरा होने के बाद आ रही रिपोर्ट्स उत्साह देने वाली हैं। ये रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि स्वच्छता अभियान का रंग ना केवल देश में दिखने लगा है बल्कि ये लोगों की जिंदगियां भी बदल रहा है। इस बात के प्रमाण हैं कि हालात बदल रहे हैं। स्वच्छता के आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले चार सालों में शहरों और गांवों को साफ करने में जो काम हुआ है, वो बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधारों में शुमार हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर, 2018 को 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान की शुरुआत करते हुए कहा, देशभर में 8.5 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हो गए हैं। 90 फीसदी भारतीयों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। इससे पहले केवल 40 फीसदी लोगों के पास ये सुविधा थी। आज भारत के सवा चार लाख से भी अधिक गांव, 453 जिले और 2800 नगर, शहर और कस्बे और 29 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं।

गौरतलब है कि 15 अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री ने लालकिले से स्वच्छता अभियान की घोषणा की थी। उन्होंने ये संभावना जताई थी कि जब 2019 में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब तक देश में स्वच्छता की हालत और इसके प्रति हमारी सोच काफी बदल चुकी होगी। वाकई ऐसा हो भी चुका है। अब गांवों से लेकर शहरों तक और मुहल्लों तक सफाई एक बड़ा मुद्दा है। ये पहलू काफी अहम हो चुका है कि कूड़ा निष्पादन कैसे हो और कैसे अपने आसपास की जगहों को साफ रखें। इसी का असर ये रहा कि हालिया वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने स्वच्छता अभियान से बेहतर परिणामों पर मुहर लगा दी।

स्वच्छता अभियान के परिणाम कई सकारात्मक तस्वीरों की ओर इशारा करते हैं। हमारा समाज धीरे–धीरे स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है जिससे स्वच्छता अनुपात में भी सुधार हो रहा है। शुद्ध पेयजल और शौचमुक्त गांवों और जिलों के बढ़ने से मां और नवजात बच्चों को संक्रामक बीमारियों से बचाया जा पा रहा है। ये अभियान अगर स्वच्छ समाज और स्वच्छ देश बना रहा है तो इसका असर हमारे सकल घरेलू उत्पाद की बेहतर सेहत पर भी पड़ेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की है। 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)। के स्वास्थ्य लाभों पर अपने अध्ययन में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इस कार्यक्रम से लगभग तीन लाख से अधिक लोगों की जिंदगियां बची हैं। डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञ रिचर्ड जॉनस्टन ने कहा कि अनुमान है कि 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से 2014 और अक्तूबर, 2019 के बीच तीन लाख से अधिक लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया जाएगा। श्री रिचर्ड ने कहा कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने से पहले गंदगी से हर साल डायरिया के 19.9 करोड़ मामले सामने आते थे। ये धीरे–धीरे घट रहे हैं। अक्तूबर, 2019 तक सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं का इस्तेमाल पूरा हो जाने से इसका पूरी तरह सफाया हो जाएगा। अध्ययन में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता सेवाओं, व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार के सबूत मिलने की भी बात कही गई है।

ये तो तय है कि जब स्वच्छता बढ़ेगी और पेयजल शुद्ध होगा तो खानपान भी बेहतर होगा। इससे बीमारियों में कमी आएगी। देश के पांच राज्यों में पिछले दिनों इसी बात को लेकर एक सर्वे भी हुआ। ये राज्य थे– कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। इसमें खुले में शौचमुक्त जिले (ओडीएफ जिले) और खुले में गैर–शौच मुक्त जिले शामिल किए गए। ये सर्वे करीब दो सप्ताह चला। इससे पता लगा कि ओडीएफ जिलों मे डायरिया में कमी आई है और अब ये 9.3 फीसदी बच्चों तक सीमित हो गई है जबकि गैर ओडीएफ जिलों में इसका प्रतिशत 13.9 का है।

इसी तरह ओडीएफ जिलों में 62.5 फीसदी मांएं स्वस्थ पाई गई हैं तो गैर ओडीएफ जिलों में ये स्थिति 57.5 फीसदी की रही। जिन घरों में पाइप से पीने का पानी आता है, वहां संक्रमण अपने निम्न–स्तर पर है। जाहिर है कि इसके लिए पंचायतों और स्वास्थ्य विभाग के बीच जिस तालमेल की जरूरत है, वो इन चार सालों में बहुत बेहतर हो चुका है।

ये बहुत सीधी बात है कि अगर बीमारियां बढ़ेंगी और बच्चों

से लेकर बड़े संक्रामक बीमारियों का शिकार होंगे तो उसका असर उनकी क्षमता, इलाज के लिए खर्च होने वाले धन और कार्यकुशलता पर पड़ेगा। हमारे देश में अब तक नाकाफी सेनिटेशन से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6.4 फीसदी की क्षति होती है। अगर ये नहीं होगा तो सीधे–सीधे सकल घरेलू उत्पाद ही ऊपर की ओर बढ़ेगा बल्कि हर घर की आय के साथ खुशहाली भी बढ़ सकेगी। यानी स्वच्छता अभियान देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो सकता है। जो काम हम पिछले कुछ दशकों में नहीं कर पाए, वो इसके जरिए करके दिखा सकते हैं। फिर ये भी कहना चाहिए कि स्वच्छता का असर केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। दुनियाभर में तमाम समृद्ध देशों में स्वच्छता ने उनके विकास में एक अहम भूमिका अदा की है।

स्वच्छ भारत और निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया जा रहा ऐसा अभियान है, जो मांग–आधारित एवं जनकेंद्रित है। इसके जरिए कोशिश हो रही है कि लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाया जाए। स्व सुविधाओं की मांग उत्पन्न करने के साथ स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा होने पर ग्रामीणों का जीवन–स्तर खुद–ब–खुद बेहतर हो जाएगा। गांव न केवल स्वच्छ होंगे बल्कि काफी हद तक बीमारियों से मुक्त भी हो जाएंगे।

क्या है उद्देश्य

जाहिर–सी बात है कि इस महत्वाकांक्षी अभियान का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त देश बनाना है। गांधीजी ने अपने शुरुआती भाषणों में चिंता जाहिर की थी कि हम स्वच्छता के प्रति आग्रही क्यों नहीं हैं। वो बार–बार अपने भाषणों में सफाई पर केवल जोर ही नहीं देते थे बल्कि उन्होंने इसे खुद अपने जीवन में उतारा हुआ था। सरकार का ये कदम देश को गांधी की आकांक्षाओं का साफ–सुथरा देश बनाना भी है। मुख्य तौर पर इस प्रोग्राम को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ही चलाया जा रहा है।

स्वच्छता प्रहरी

महाराष्ट्र में सोलापुर जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉ. निशि गंधा गांवों का दौरा करती रहती हैं। पंचायत सदस्यों, स्कूली बच्चों, अधिकारियों, नागरिकों से मिलती हैं। वो बहुत असरदार तरीके से लोगों को इसके फायदे और जरूरतों के बारे में बताती हैं। उन्होंने तब तक पैरों में जूते–चप्पल नहीं पहनने की शपथ ली है जब तक कि उनका जिला खुले में शौचरहित ना हो जाए। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में एक स्कूली बच्चे ने गांवों के ऐसे लोगों के नामों को चिन्हित करते हुए गांव की खास जगहों पर इश्तहार लगाया। इस नए विचार ने अपने अभियान में सफल होने में समुदाय की मदद की। हिमाचल में कोठी ग्राम पंचायत के महिला मंडल ने कचरा प्रबंधन के लिए एक नई चीज शुरू की। ये लोग घरों से पॉलिथीन इकट्ठा करते हैं। प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके कचरा उठाने के लिए बैग तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सड़कों के किनारे पेड़ों पर टांग दिया जाता है, ताकि लोग सड़कों पर गंदगी करने से बचें। रांची नगर निगम ने खुले में शौच करने वालों के खिलाफ 'हल्ला बोल, लुंगी खोल' अभियान छेड़ा। इसके तहत निगम अधिकारी खुले में शौच करते लोगों को पकड़ते और उनकी लुंगी जब्त कर लेते।

मंडी में ग्राम पंचायत–स्तर पर विकास निधि स्थापित की गई है, जिसमें घरों की संख्या के हिसाब से 20 लाख रुपये तक की राशि इकट्ठी हो गई। इस निधि का उपयोग गांवों में शौचालय, खाद बनाने, वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे या बारिश के पानी के लिए नालियां विकसित करने के लिए किया जाता है, अवार्ड भी दिए जाते हैं। मंडी जिले में लगभग 70 हजार सदस्यों वाले 4,490 महिला मंडल हैं, जो गांवों में सफाई सुनिश्चित करने के साथ लोगों को संपूर्ण स्वच्छता और जल संरक्षण का महत्व समझाते हैं। मंडी को वर्ष 2016 में केंद्र ने सबसे साफ–सुथरा पहाड़ी जिला घोषित किया था।

आगे की रणनीति

मिशन का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। कोशिश होगी कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सामुदायिक शौचालय ना केवल बनें बल्कि उन्हें साफ–सुथरा भी रखा जाए। पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। ये कार्यक्रम पांच साल की अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा।

खर्च का गुणा भाग

स्वच्छता कार्यक्रम पर खर्च किए जाने वाले 62,009 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की तरफ से 14,623 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले 14,623 करोड़ रुपयों में से 7,366 करोड़ रुपये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 4,165 करोड़ रुपये व्यक्तिगत घरेलू शौचालय पर 1,828 करोड़ रुपये जन–जागरूकता पर और समुदाय शौचालय बनवाए जाने पर 655 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से खुले में शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करने, मैला ढ़ोने की प्रथा को खत्म करने, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आदि शामिल है। अभियान के तहत देश में करीब 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों को बनाने के लिए एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अगला कदम

चार सालों में स्वच्छता को लेकर जो कुछ हुआ, वो उत्साह देने वाला है। सरकार की योजना अपने कदम को केवल ओडीएफ तक सीमित रखने की नहीं है बल्कि इसके बाद ओडीएफ प्लस जैसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्थानीय तौर पर ठोस और द्रव अपशिष्टों के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पर काम शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे के इस्तेमाल से पूंजी तैयार की जाएगी। यानी कचरे को जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में बदला जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा।

80 फीसदी साफ हो जाएगी गंगा

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि गंगा की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले वर्ष मार्च तक नदी का 80 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ हो जाएगा। हम मार्च 2019 तक 70 से 80 प्रतिशत गंगा के स्वच्छ होने की उम्मीद करते हैं। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि गंगा के किनारे सक्रिय 251 सकल प्रदूषण उद्योगों (जीपीआई) को बंद कर दिया गया है। 938 उद्योगों और 211 मुख्य नालों में प्रदूषण की रियल–टाइम मॉनीटरिंग पूरी हो चुकी है, जो नदी को प्रदूषित करते हैं। अब परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र के साथ मिलकर इसके क्रियान्वयन का काम शुरू करना है।

खुले में शौच से कौन–सी बीमारियां फैलती हैं

मानव मल पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ता है। मानव मल में भारी संख्या में रोगों के कीटाणु होते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। एक ग्राम मानव मल में रोगों के इतने वाहक हो सकते हैं

1,00,00,000 वायरस

10,00,000 बैक्टीरिया

1000 परजीवी पुटी/अंडाणु

100 परजीवी अंडे

खुले में शौच करने से दस्त, टाइफाइड, आंतों में कीड़े, रोहा, हुक वार्म, मलेरिया, फालेरिया, पीलिया, टिटनस आदि बीमारियां हो सकती हैं।

ओडीएफ गांवों में इजाफा

ओडीएफ गांवों की संख्या में लगातार जबर्दस्त इजाफा हो रहा है। ओडीएफ का मतलब है खुले से शौचमुक्त। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के मुताबिक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का पैमाना आवश्यक रूप से शौचालय का इस्तेमाल है। यानी जिस ग्राम पंचायत, जिला या राज्य (सभी ग्रामीण) के सभी परिवारों के सभी लोग शौचालय इस्तेमाल करते हों, ओडीएफ को चार–स्तरीय सत्यापन से गुजरना पड़ता है। पहले ब्लॉक–स्तर, फिर जिला, फिर राज्य–स्तर के अधिकारी और आखिर में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधिकारी सत्यापन करते हैं।

जमकर काम

आंकड़ों पर भरोसा करें तो 2015 के बाद से रोजाना 51 हजार से ज्यादा शौचालय गांवों में रोज बन रहे हैं। वर्ष 2016 से रोज करीब 370 गांव ओडीएफ घोषित हुए। 2018 में 430 जिले ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। स्वच्छता के मापकों पर भारत ने पिछले दो सालों में 15 स्थानों की छलांग लगाई है। अब ये संयुक्त राष्ट्र के पांच मानकों पर 76वीं रैंकिंग पर हैं, ये नंबर और भी बेहतर हो सकता है अगर महिला सुरक्षा को लेकर हालत और सही हो जाए।

अनुदान

पारिवारिक इकाई के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण लागत को 10,000 रुपये से बढ़ा कर 12,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें हाथ धोने, शौचालय की सफाई एवं भंडारण को भी शामिल किया गया है। इस तरह के शौचालय के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता 9,000 रुपये और इसमें राज्य सरकार का योगदान 3,000 रुपये होगा। जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तर–पूर्व राज्यों एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाली सहायता 10,800 रुपये होगी, जिसमें राज्य का योगदान 1,200 रुपये होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : sanjayratan@gmail.com

प्रकाशन विभाग ने दिल्ली पुस्तक मेला, 2018 में भाग लिया

अपनी समृद्ध विरासत के अनुरूप प्रकाशन विभाग ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 24वें दिल्ली पुस्तक मेले में हिस्सा लिया। पुस्तक मेले का आयोजन 25 अगस्त, 2018 से 2 सितंबर, 2018 के बीच किया गया। प्रकाशन विभाग ने मेले में बच्चों और अन्य विषयों पर किताबों के अलावा इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, कला और साहित्य से संबंधित अच्छी–अच्छी किताबों की शानदार प्रदर्शनी लगाई। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी किताब ने काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मेले के दौरान प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे प्रकाशन विभाग की पुस्तकों का विमोचन करते हुए। साथ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानन्द जोशी, प्रकाशन विभाग की महानिदेशक और अपर महानिदेशक भी हैं।

मेले में प्रकाशन विभाग की तरफ से बाल साहित्य से जुड़ी 11 किताबों समेत कुल 19 किताबों का लोकार्पण किया गया। कुछ अहम किताबों मसलन 'रवींद्रनाथ की कला सृष्टि, 'चंपारण पुराण', 'विवेकानंद की कहानी', 'डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार (कन्नड़)', 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय (कन्नड़)', 'भक्तिः उत्तर और दक्षिण का समन्वय सूत्र', 'श्रुति व स्मृति' और 'भारतीय संस्कृति के आंतरिक लय के स्रोत' आदि किताबों का विमोचन श्री अमित खरे, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी जैसे विशिष्ट अतिथियों द्वारा संपन्न हुआ।

प्रकाशन विभाग ने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीतने के अलावा किताब छापने में अच्छे प्रदर्शन के लिए एक प्रमाणपत्र भी हासिल किया। 'सरदारः सचित्र जीवनी' (हिंदी), 'लाइफ एट राष्ट्रपति भवन' (अंग्रेजी) और 'पुस्तक सूची' (हिंदी) ने प्रथम पुरस्कार हासिल किए, जबकि 'भारत–2018' (हिंदी), 'योजना, अप्रैल, 2017' (अंग्रेजी), 'बाल भारती, सितंबर, 2017' (हिंदी), और 'अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ड्यूरिंग क्विट इंडिया' को दूसरा पुरस्कार मिला। 'बुद्धिज्म–द पाथ ऑफ कम्पैशन' को प्रमाणपत्र से नवाजा गया। भारतीय प्रकाशक संघ द्वारा हर साल दिल्ली पुस्तक मेले में पुरस्कार दिए जाते हैं। ❑

प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर, 2018 को रांची, झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना–आयुष्मान भारत –प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इस योजना की शुरुआत गरीबों में गरीब, और समाज के वंचित वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

आयुष्मान भारत के पहले भाग – स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र–की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर की गई थी, और दूसरे भाग – स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से दो दिन पहले की गई। 5 लाख रूपये की बीमा राशि में सभी जांच, दवा, अस्पताल में भर्ती के खर्च आदि भी शामिल होंगे। इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियां शामिल होंगी। निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में 13,000 से ज्यादा अस्पताल इस योजना में शामिल किए गए हैं।

जो राज्य पीएमजेएवाई का हिस्सा हैं, उन राज्यों के लोग किसी भी राज्य में इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 10 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी उदघाटन किया । देशभर में ऐसे केंद्रों की संख्या 2300 तक पहुंच गई है। देश मैं आने वाले चार वर्षों के अंदर ऐसे 1.5 लाख केंद्र खोलने का लक्ष्य है।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी 14555 डायल करके या सेवा केंद्र के माध्यम से हासिल की जा सकती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 सितंबर, 2018 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करते हुए